लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[६ से १९ मार्च १९५९/१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १२ मार्च, १९५९

२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाद्यान्नों का राज्य व्यापार

+

†*११४६. { श्री केशव :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वाजपेयी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री किस्तैया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सूपकार :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नरसिंहन् :
श्री पांगरकर :
डा० राम सुभग सिंह :

404 (Ai) LSD—1.

श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री महन्ती :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री परूलकर :
श्री जाधव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम राज :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आसर :
काजी मतीन :
श्री विमल घोष :
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने के बारे में सारे देश के खाद्यान्न विक्रेताओं ने प्रतिरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). इस योजना को लागू करने के बारे में व्यापारियों के पास से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किन्तु देश का अधिक हित किस में है यह सरकार निश्चय करेगी ।

†श्री केशव : क्या इस संस्था को न लाभ और न हानि के आधार पर चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है अथवा अन्य वाणिज्यिक संस्था के रूप में चलाने का विचार है ?

†श्री अ० म० थामस : हमारा मुख्य उद्देश्य इसे न लाभ और न हानि के आधार पर चलाने का है । हमें उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण के लिये दी गई मात्रा के लिये राज्य सहायता देनी पड़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: मैं बताना चाहूंगा कि यह उन मामलों में से एक है जिन पर विचार किया जा रहा है। यह योजना का ही एक अंश होगा। इस समय हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस योजना के बन जाने के बाद सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है कि जिससे जनता को खाद्यान्न प्राप्त करने में जो कठिनाइयां होती हैं उनमें कमी की जा सके ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीया सदस्य को कुछ धैर्य रखना होगा। सभा के समक्ष योजना प्रस्तुत होने पर इन सब चीजों की व्यवस्था कर दी जायेगी।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : यह योजना राज्य व्यापार निगम को सौंपी जायेगी अथवा उस नये निगम को जो इस काम के लिये बनाया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय सदस्य को यह आशा मुझसे नहीं करनी चाहिये कि मैं इस योजना के ब्योरे के बारे में भविष्यवाणी कर सकूंगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस योजना का समर्थन करने के लिये सभी वर्गों को गतिशील बनाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं तथा कुछ लोगों ने इस योजना पर जो आरोप लगाये हैं उनका सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सबसे अधिक प्रभावपूर्ण कदम एक ऐसी योजना तैयार करना है जो कार्यान्वित की जा सके। हम निश्चय ही प्रचार का जवाब प्रचार से दे रहे हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार ने मद्रास के मंत्री का वक्तव्य, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, देखा है कि मद्रास राज्य में ही इस प्रकार की योजना बनाने का विचार है ? क्या केन्द्र द्वारा इस योजना के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले ही विभिन्न राज्यों में अलग-अलग चलाई गई योजनाओं को सरकार प्रोत्साहन देगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सम्पूर्ण देश के लिये राज्य व्यापार की केवल एक ही योजना बनने जा रही है। कुछ राज्यों में उनके ब्योरे के सम्बन्ध में कुछ अन्तर हो सकता है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : सरकार द्वारा थोक व्यापार का क्या अर्थ लगाया जाता है ? अनुमानतः इसकी मात्रा कितनी लगाई जाती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : 'थोक' से हमारा क्या तात्पर्य है यह मैं अब बता सकता हूं। योजना के प्रयोजन के लिये 'थोक' का क्या तात्पर्य होगा इसकी परिभाषा योजना में ही दी जायेगी। आज थोक व्यापारी का तात्पर्य उस व्यापारी से है जो किसी समय पर कुछ खाद्यान्न रखता है। कुछ राज्यों में इसका तात्पर्य ५० मन और कुछ में १०० मन से समझा जाता है। इसका तात्पर्य यह भी होता है कि सामान्यतः उसे १० मन या उससे अधिक मात्रा रखनी चाहिये।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या माननीय मंत्री योजना का ब्योरा और उसकी मुख्य-मुख्य बातें सभा पटल पर रखेंगे जिससे संसद् सदस्य उस पर अपनी सम्मति प्रकट कर सकें ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : निस्सन्देह, योजना के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर मैं उसे चर्चा के लिये सभा के समक्ष रख दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस योजना की घोषणा नवम्बर, १६५८ में की गई थी और माननीय मंत्री ने अभी अभी स्वीकार किया था कि मूल्यों पर नियंत्रण रखने का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण तरीका इस योजना के बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लेना है। यह मानते हुए कि वह ये सारी बातें जानते हैं, तो फिर योजना के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये उसे क्यों रोक लिया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने जो कुछ किया है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने नवम्बर के अन्त तक निर्णय किया था। तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों का एक दल, योजना आयोग, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से राज्य व्यापार के बारे में एक मसौदा तैयार करने के लिये कहा गया था, जनवरी के प्रथम सप्ताह में यह मसौदा तैयार हो गया था जबकि उसे केबिनेट के समक्ष रखा गया था। केबिनेट ने निदेश दिया कि उसे राज्य सरकारों की समीक्षा जानने के लिये भेज दिया जाये। यह समीक्षा प्राप्त हो गई है। इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है जो केबिनेट को प्रस्तुत की जायेगी। केबिनेट द्वारा निर्णय कर लेने के पश्चात् उसे सभा के सामने रखा जायेगा।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या यह सच है कि योजना के विस्तार में सोचे जाने और उस पर अन्तिम निर्णय करने से बहुत पूर्व ही सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि वह खाद्यान्नों में राज्य व्यापार करना चाहती है जिसके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में खाद्यान्न छिपा दिये गये और उसके भाव बढ़ गये ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था और उसका ब्यौरा अब तैयार किया जा रहा है। घोषणा का एक प्रभाव यह पड़ा है कि कुछ व्यापारियों ने खाद्यान्नों का स्टाक छिपा लिया हो।

†**श्री वाजपेयी** : अशोक मेहता जांच समिति ने खाद्यान्नों के व्यापार में समाजीकरण की सिफारिश की थी उस समय सरकार ने उसे मंजूर नहीं किया था। अब क्या नये परिवर्तन हो गये हैं जिससे खाद्यान्नों के व्यापार में समाजीकरण करने की आवश्यकता पड़ गई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस मामले का इतिहास सभी सदस्यों को पता है। वह जानते हैं कि निर्णय बाद में किया गया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जहां तक खाद्यान्नों के समाहार का सम्बन्ध है क्या सरकार उसमें कुछ परिवर्तन करने जा रही है और क्या वह केन्द्र और राज्यों में भी लागू किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है कि सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीदने का कार्य अब बढ़ता जा रहा है। केन्द्रीय सरकार की ओर से समाहार किया जाता है तथा राज्य सरकारें भी अपने-अपने लिये समाहार करती हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार ने ऐसी कार्यवाही क्यों की है ? क्या ऐसा करने से अन्न विक्रेताओं, व्यापारियों तथा थोक व्यापारियों द्वारा काले बाजार के भाव पर अन्न बेचकर जनता का शोषण नहीं किया जायेगा तथा नगर और गांव की भोली जनता को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने तो भाषण दे डाला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा :** मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों किया ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** निश्चय ही यह भी एक विचार था।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** यह बताया गया था कि दिसम्बर में केरल के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्री से मिले थे तथा केरल राज्य की कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई थी ? उस समय यह बताया गया था कि प्रधान मंत्री ने केरल के मुख्य मंत्री को इस बात का आश्वासन दिया था कि एक-दो मास में राज्य व्यापार आरम्भ हो जायेगा और फिर ये कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। अब निकट भविष्य में अब राज्य व्यापार नहीं होने जा रहा है और उसे देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार केरल राज्य की कठिनाइयां दूर करेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** हम यथासम्भव केरल सरकार की कठिनाइयां दूर करने में लगे हुए हैं। प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा उसका ब्यौरा और क्या-क्या वार्ता हुई, इस बारे में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कुछ बताया मेरे विचार से उस विषय में वार्ता नहीं हुई थी।

श्री ब्रजराज सिंह : यह स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम चालू होने से पहले क्या यह निश्चय कर लिया जायेगा कि जो गल्ला किसान द्वारा लाया जाता है और दुकानदार को जब दिया जायेगा तो इस बीच में दो रुपये प्रति मन के हिसाब से कभी भी भाव में कोई अन्तर नहीं रहेगा ?

श्री अ० प्र० जैन : यह तो बहुत तफसील की बात है। स्कीम बनेगी तो उसमें भी शायद इतनी तफसील की बात न हो। जब काम चल जायेगा तो यह बहुत सारी बातें तै होंगी।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या वित्त आयोग ने पिछले अवसर पर राज्य व्यापार से होने वाली हानि की आलोचना की थी और क्या योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** हानि न हो इस के लिये हम यथासम्भव प्रयत्न करेंगे। हमें हानि की आशा नहीं करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस मामले पर खाद्य चर्चा के समय पर विचार करें। मैं काफी प्रश्न पूछने के लिये अनुमति दे चुका हूं। अगला प्रश्न।

दूसरे शिपयार्ड का स्थान

+

†*११४७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय समिति ने, जिसकी नियुक्ति दूसरे शिपयार्ड की स्थिति के सम्बन्ध में ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन के प्रतिवेदन की जांच करने के लिये की गई थी, अपना कार्य अन्तिम रूप से कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या है ;

(ग) अन्तिम रूप से कौन सा स्थान चुना गया है ; और

(घ) परियोजना का प्राक्कलित व्यय कितना है और उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी नहीं। मैं समझता हूं कि समिति अभी कुछ टेक्निकल बातों की जांच करने में लगी है जिनकी जांच-पड़ताल स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव करने से पहले की जानी है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन की सिफारिश पर जो टिप्पण था वह पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा जारी किया गया है और क्या वह सरकार को प्राप्त हो कर उच्च शक्ति प्राप्त समिति को दे दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रकार के कुछ समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुये हैं जिसके बारे में मैंने मंत्रालय से पता लगाया था किन्तु अभी तक पश्चिमी बंगाल सरकार के पास से ऐसा कोई टिप्पण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। वह जब भी प्राप्त हो जायेगा तो उसकी सूचना हम उन्हें दे देंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं कि इस मिशन ने प्रस्तावित स्थान के पास कुशल कारीगरों की उपलब्धता और असैनिक इंजीनियरिंग कार्यों पर अत्यधिक जोर दिया था ?

†**श्री राज बहादुर** : केवल ये ही दो बातें बताई गई हैं किन्तु इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनका मिशन ध्यान रखेगा और उसी के आधार पर उन्होंने यह कहा है कि शिपयार्ड के लिये उपयुक्त कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात यह है कि पांच स्थानों में से जिनका उल्लेख उन्होंने अपने प्रतिवेदन में किया है, कोचीन को सबसे अधिक उपयुक्त बताया गया है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : इस प्रश्न पर १६ अगस्त, १६५८ को एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि समिति ही की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं और इस प्रश्न पर अगली बैठक में निर्णय होने वाला है। निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : कुछ बड़े महत्वपूर्ण टेक्निकल मामले हैं उदाहरण के लिये स्थान का सिविल इंजीनियरिंग पहलू, विद्यमान पुलों का स्थान, स्थान बनाम प्रतिरक्षा अधिष्ठापन रूप भद करने आदि पर जिस व्यय करने की आवश्यकता होगी। इन सब चीजों की जांच करने में समय लगता है और १६ फरवरी को समिति की आखिरी बैठक हुई थी।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : ब्रिटिश दल जिसने हमारे देश का दौरा किया था विस्तृत जांच-पड़ताल करने के पश्चात् शिपयार्ड की स्थापना के लिये कुछ स्थान विशेष की सिफारिश की थी। अब माननीय मंत्री का कथन है कि वर्तमान समिति शिपयार्ड के लिये स्थान का चुनाव करेगी । क्या हम यह समझें कि ब्रिटिश दल की सिफारिशें ठप्प करके नये स्थान का चुनाव किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : समिति प्रतिवेदन की जांच विभिन्न पहलुओं से करेगी तथा जो पांच नाम बताये गये हैं उन पर भी समिति विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन् नायर** : इस समिति द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ब्रिटिश मिशन में इस सम्बन्ध में सबसे कुशल विशेषज्ञ थे, किन अतिरिक्त टेक्निकल बातों पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : ब्रिटिश विशेषज्ञों ने अपने दृष्टिकोण सेइस पर विचार किया था किन्तु समिति को अन्य बहुत सी उन बातों पर विचार करना होगा जिनका उल्लेख मैं अभी कर चुका हूं। ऐसी बात नहीं है कि यह समिति जान बूझ कर उन सिफारिशों से भिन्न कोई बात कहेगी अपितु वह इन सिफारिशों की अधिक से अधिक अच्छे ढंग से जांच करके अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी क्योंकि इसमें अनेक कारक अन्तर्गस्त हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन ने प्रतिवेदन के साथ एक नमूना पेश किया है जिसमें कोचीन का नक्शा दिखाया गया है, और यदि ऐसा है, तो इस समय सरकार के सामने स्थान का चुनाव करने के लिये सब से महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। मैं यह भी बता चुका हूं कि स्थान के साथ ही प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान भी महत्वपूर्ण कारण है। सिविल इंजीनियरिंग का महत्व उसके पश्चात् आता है। इस अवस्था में अन्य टेक्निकल आपत्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता या उनकी टीका नहीं की जा सकती।

†**श्री सुबोध हंसदा** : चूंकि तीनों इस्पात संयंत्र कलकत्ता पत्तन के आस-पास स्थित हैं, क्या शिपयार्ड को अन्तिम चुनाव करते समय इसको ध्यान में रखा जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : ब्रिटिश मिशन ने इस मामले पर विचार किया था और मुझे विश्वास है कि समिति प्रतिवेदन की जांच करते समय इस बात को ध्यान में रखेगी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या करवाड़ के स्वाभाविक और उपयुक्त दावे पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकूंगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व समिति किसी अन्य मंत्रालय से परामर्श करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : समिति म प्रतिरक्षा मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा परिवहन तथा संचार मंत्रालय के उच्चतम पदाधिकारी हैं।

तपेदिक प्रशिक्षण केन्द्र

†*११४८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में तीन और तपेदिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के विचार पर अन्तिमरूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कब से खोले जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क)से (ग) . हैदराबाद में जून, १९५८ में एक तपेदिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था। पटियाला में शीघ्र ही एक और केन्द्र स्थापित किया जायेगा। एक तीसरा केन्द्र आगरा में इमारत बन जाने तथा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था हो जाने के बाद खोलने का विचार है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या तपेदिक का सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो देश में कितने प्रतिशत लोगों को यह रोग होता है ?

†**श्री करमरकर** : एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता लगा था कि नगरों, कस्बों और पड़ोस के गांवों में सक्रिय अथवा संभवत: सक्रिय रूप से एक हज़ार लोगों में से २५ या ३० लोगों को होता है।

†**डा० सुशीला नायर** : तपेदिक केन्द्रों के बारे में मैं समझती हूं कि महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका इलाज गृहों में किया जाये। क्या इस योजना से प्राप्त परिणामों के बारे में कोई पता लगाया गया है और क्या उस दृष्टि से क्या सम्पूर्ण देश से इस रोग का विनाश करने के लिये इसे सारे देश में लागू करने का विचार है ?

†**श्री करमरकर** : गृह उपचार के बारे में, उदाहरणत: नई दिल्ली तपेदिक प्रशिक्षण केन्द्र से, जो कार्य करने लगा है, पता लगा है कि इस योजना से अच्छे परिणाम निकले हैं और वह भी इस तात्पर्य में कि घरेलू इलाज प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है, हम इसे सभी जगह लागू करना चाहेंगे, किन्तु अनाभाव के कारण हम विवश हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या इन तीन केन्द्रों का चुनाव करने में कोई विशेष औचित्य है ?

†**श्री करमरकर** : औचित्य यह है कि ये केन्द्र उपयुक्त पाये गये थे। राज्य सरकार योजना बनाने के लिये तैयार थी। इन स्थानों का चुनाव करते समय इन सारी बातों पर विचार किया गया था ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री ने सेनेटोरियम में उपचार कराने की तुलना में घरेलू चिकित्सा पर जो काम होता है उसका पता लगाया है ? मैं समझती हूं कि वह बहुत कम होता है। क्या छूत को फैलने से रोकने के लिये इस योजना पर अधिक ध्यान देने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां, घरेलू चिकित्सा सेनेटोरियम की चिकित्सा से सस्ती होती है और सेनेटोरियम का व्यय हम सारे देश के लिये बर्दाश्त नहीं कर सकते, यही कारण है कि हम घरेलू चिकित्सा सम्बन्धी योजनाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

†**श्री बाल्मीकी** : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स वर्क-चार्ज्ड की हैसियत से काम करते हैं, या मस्टर-रोल पर काम करते हैं और सी० एच० एस० स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, क्या उन के लिये इस तरह के फ्री ट्रीटमेण्ट का इन्तज़ाम किया जायगा ।

†**श्री करमरकर** : नई दिल्ली में जो टी० बी० सेन्टर है, वहां मुफ्त ट्रीटमेंट किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाल्मीकी :** मेरे नालेज में इस तरह के केसिज़ आये हैं कि वर्क-चार्ज्ड टी० बी० के मरीज़ों को मेहरोली या दूसरी जगह फ्री काट्स नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री करमरकर : दिये जा रहे हैं। मेहरौली में आम तौर पर बैड्ज़ लिमिटिड हैं और मरीज़ अनलिमिटिड आ जाते हैं, इस लिये वहां एक रजिस्टर मेनटेन किया गया है, जिस के मुताबिक प्रायटी के हिसाब से बैड दिये जाते हैं। जहां पार्लियामेंट के मेम्बरान कहते हैं कि बहुत अरजेन्ट केस है, तो उस में हम एक्सेप्शन करते हैं।

श्री बाल्मीकी : चूंकि ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिये टी० बी० सेन्टर से रीकमेंड नहीं होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति, माननीय सदस्य वैयक्तिक मामले माननीय मंत्री को बता दें।

हसन-मंगलौर लाइन

†*११४९. **श्री केशव :**
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री अगाड़ी :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हसन-मंगलौर लाइन के सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया ;

(ग) क्या यह लाइन बन्नेर घाटा और अनाखोल से हो कर जायेगी; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) ये स्थान सेलम और बंगलौर के बीच में हैं।

†**श्री केशव :** मेरा प्रश्न बन्नेरघाटा और अनाखोल के बीच रेलवे लाइन का है। यह लाइन हसन और मंगलौर के बीच की लाइन में नहीं आती है। मेरे विचार से बंगलौर और मंगलौर में कुछ भ्रान्ति हो गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब अनेक सदस्य एक ही प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो उन सबको एक में मिला दिया जाता है और कभी-कभी एक-दो बातों में उनमें अन्तर हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इमाम** : क्या हसन–मंगलौर लाइन के सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली गई है : क्या सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और यदि ऐसा है, तो उसके लिये मंजूरी कब दी जायेगी और निर्माण कब से आरम्भ होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अभी इसकी जांच की जा रही है ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : इस में कितना समय लगेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जब तक काम करना आवश्यक होगा ।

†**श्री बासप्पा** : क्या यह सच है कि माननीय रेलवे मंत्री ने रेलवे आय-व्ययक पर बोलते समय यह आश्वासन दिया था कि रेलवे आय-व्ययक के दौरान में इस पर निर्णय किया जायेगा ? यदि ऐसा है तो बिलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैंने रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान में नहीं कहा था । मैंने यह कहा था कि मुझें आशा है कि इस मामले में संसद् के वर्तमान सत्र के दौरान में निर्णय कर लिया जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हसन-मंगलौर लाइन का सर्वेक्षण करने का निश्चय करने से पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड ने करवाड़ की जांच की है जो मंगलौर से निकट है, यह क्षेत्र अविकसित है तथा वहां आने-जाने के साधन भी ठीक नहीं हैं । सर्वेक्षण को प्रभावी बनाने से पहले क्या सरकार करवाड़ जिले में रेलवे लाइन बिछाने पर विचार कर रही है ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह रेलवे लाइन तभी बनेगी जब कि मंगलौर पत्तन का विकास हो जायेगा । इसी प्रकार करवाड़ के लिये कोई भी लाइन बनाने पर तभी विचार किया जायेगा जब कि करवाड़ पत्तन का विकास करने के प्रश्न पर निर्णय हो जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि मंगलौर-पत्तन बड़ा खराब पत्तन है तथा सभी मौसमों में उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है । करवाड़ का यह दावा कि वह विश्व के अच्छे पत्तनों में से एक है उसकी उपेक्षा इसीलिये की जाती है कि शक्तिशाली और अमीर व्यापारी मंगलौर को अधिक पसन्द करते हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इस बारे में अपना कोई निर्णय नहीं देना चाहता कि कौन सा पत्तन बहुत अच्छा है और कौन सा बहुत खराब है । जैसाकि मैं कह चुका हूं कि जब भी करवाड़ पत्तन का विकास करने के बारे में निर्णय हो जायेगा, भले ही वह खराब हो अथवा अच्छा वहां के लिये एक रेलवे लाइन बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : शक्तिशाली अमीर व्यापारी तो मंगलौर को ही पसन्द करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के लिये विदेशी विशेषज्ञ

†*११५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को मुख्य-मुख्य बहुप्रयोजनीय नदी घटी परियोजनाओं के निर्णय के लिये अभी भी विदेशी विशेज्ञों की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है और कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(घ) उन्हें मंगवाने के लिये क्या क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) हां ।

(ख) और (ग). विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनकी आवश्यकता का उसी समय अनूभव किया जा सकता है जब कि वास्तविक कार्यान्विति के दौरान हमारे सामने अत्याधिक उलझी हुई समस्यायें आयेंगी ;

(घ) विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें विभिन्न विदेशी सहायता योजनाओं के अधीन प्राप्त की जाती हैं और कभी-कभी सीधी सेवायें भी प्राप्त करली जाती हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** भारत में इस समय कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ?

†**श्री हाथी :** १२ विदेशी विशेषंज्ञों को ठेके पर बुलाया गया था । शेष सभी सहायता योजनाओं के अधीन यहां आये हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस सम्बन्ध में भारतीयों को भी प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ?

†**श्री हाथी :** जी हां, भारतीयों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है । प्रारम्भ में हमने भाखड़ा में ५० विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किया था, परन्तु अब वहां पर उनकी संख्या कम हो कर ११ हो गई है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** क्या सरकार इन कामों के लिये भारतीयों को प्रशिक्षण देने का विचार रखती है ?

†**श्री हाथी :** जहां भी सम्भव है हम उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि पहले हमें जितने विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, उतने विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता अब नहीं रही है, वह अब कम हो गई है और उन्होंने एक स्थान के बारे में बताया है कि पहले जहां वहां पर ५० थे, अब केवल ११ हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सब मिला कर इस प्रकार की योजनाओं में कितने विदेशी विशेषज्ञ हैं और वह समय कब तक, माननीय मंत्री महोदय के विचार में, आने वाला है जब कि हम को बाहरी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हाथी : रिबर वैली प्राजैक्ट्स पर अभी १५ हैं सब मिला कर और पांच यहां पर सैंट्रल वाटर एंड पावर कमिशन में हैं जो कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, सर्वे का काम, डिटेल्ड स्टडी, टैक्नीक आदि के बारे में वे कुछ काम कर रहे हैं । सारे मिला कर २० हैं ।

सेठ गोविन्द दास : पहले कितने थे ; यह मैं जानना चाहता था ?

श्री हाथी : मैंने कहा है कि ५० थे ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या कोई ऐसी तिथि निश्चित की गयी है, जिस दिन तक भाखड़ा में इस समय काम करने वाले सभी विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय व्यक्ति काम करने लगेंगे ?

†**श्री हाथी :** जैसा कि मैं ने बताया है, हम कुछ एक भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । वे जब स्टेण्डर्ड के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो वे सारा काम संभाल लेंगे । हमारे कई भारतीय इंजीनियर अब विशेषज्ञ बन गये हैं और उन्होंने कुछ काम संभाल भी लिया है । उदाहरणार्थ, हीराकुड में इस समय एक भी विदेशी विशेषज्ञ नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं ने जानना चाहा था कि कब तक माननीय मंत्री महोदय आशा करते हैं कि जब हमें विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी ?

श्री हाथी : जब कभी कोई ऐसा प्राबलैम आ जाए कि जिस के बारे में हमें पता न हो या कोई ऐसा काम आ पड़े कि जो यहां पहले न हुआ हो तो जरूरी होगा कि हम फारेन एक्सपर्ट्स को यहां बुलायें । इस वास्ते अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कभी भी इनकी जरूरत नहीं होगी या कब तक इनको रखना जरूरी होगा । कोई ऐसी चीज आ जाए कि जहां कोई काम यहां नहीं हुआ हो जैसे क्ले ग्राउटिंग की बात है, जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ था, तो ऐसी चीजों के लिए फारेन एक्सपर्टस को बुलाना पड़ सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि जब विदेशी विशेषज्ञ यहां आ जाते हैं तो कभी-कभी इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं उनके द्वारा कि उनके देश से सामान और मशीनरी आदि खरीदी जायें, यदि हां, तो इसके बारे में भी कोई विचार किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी :** मेरे विचार में यह बात सच नहीं है ।

वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

†***११५१. श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना के समय से लेकर उसने अभी तक कुल कितने जहाज खरीदे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कारपोरेशन को आवंटित किये गये व्यापार मार्गों पर चलाये जाने के लिए कम से कम कितने जहाजों की आवश्यकता है और कारपोरेशन कब तक उतने जहाज खरीद लेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन ने एक पुराना टैंकर खरीद लिया है और ९ जहाजों, जिनमें एक टैंकर भी सम्मिलित है, के निर्माण के लिये आर्डर भी दे दिया है । आशा है कि १९५९ में ५ जहाजों, जिनमें एक टैंकर भी सम्मिलित है, की डिलिवरी मिल जायेगी ।

(ख) आशा है कि कारपोरेशन सब से पहले भारत-पोलैण्ड और भारत-फारस की खाड़ी के मार्गों पर जहाज चलाना प्रारम्भ करेगा । इन दोनों मार्गों के लिये कम से कम ८ जहाजों की आवश्यकता है । आशा है कि कारपोरेशन तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इतने जहाज प्राप्त कर लेगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : दो वर्ष और दस मास के उपरान्त केवल एक ही टैंकर प्राप्त किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस काम में क्या क्या कठिनाइयां हैं ? वास्तविक कार्य प्रारम्भ होने से पहले कितना समय और लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैंने बताया है, १९५९ के अन्त तक पांच जहाज प्राप्त हो जायेंगे । इससे कम समय लगने का तो कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि जहाज बनाने में पर्याप्त समय लग जाता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या विशाखापटनम नवांगण में ये जहाज तैयार किये जा सकते हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : हमने विशाखापटनम नावांगण को भी इस सम्बन्ध में आर्डर भेजे हैं । आशा है कि सितम्बर, १९६० तक एक जहाज मिल जायेगा और शेष जहाज तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रारम्भ में प्राप्त हो जायेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : भारत और फारस की खाड़ी के बीच में मार्ग पर इस वर्ष कितने जहाजों के चलाये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस सम्बन्ध में मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि भारत—फारस की खाड़ी के मार्ग पर व्यापार प्रारम्भ करने के लिये कम से कम पांच जहाजों की आवश्यकता है जिनमें एक माल–एवं–यात्री जहाज भी सम्मिलित हो ।

बिना टिकट यात्रा

†*११५२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बिना टिकट के यात्रा करने के विरुद्ध लोकमत बनाने के लिये दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या व्योरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध आन्दोलन चलाने में सामान्य तथा दृश्य श्रव्य साधनों जैसे—प्रलेखीय चल-चित्रों, पोस्टरों, स्टेशनों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों द्वारा उद्घोषणओं आदि का उपयोग किया जाता है । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई विशेष उपाय करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अभी तक किये गये उपायों का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उस दिन इस सम्बन्ध में एक कानून पास किया गया था ।

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उस समय माननीय सदस्यों का यह कहना था कि यह कानून बड़ा सख्त है । इस समय तो उनका यह कहना था कि रेलों में यात्रियों को तंग किया जा रहा है । परन्तु अब उनका यह कहना है कि इस सम्बन्ध में कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । अब मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों का संभरण

†***११५३. श्री स० म० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १६५८ और जनवरी तथा फरवरी, १६५६ में उत्तर प्रदेश को कितना खाद्यान्न संभरित किया गया था ; और

(ख) वे खाद्यान्न किस किस दर पर संभरित किये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) दिसम्बर, १६५८ और जनवरी तथा फरवरी, १६५६ में उत्तर प्रदेश को २.३३ लाख टन खाद्यान्न संभरित किये गये थे ।

(ख) उन खाद्यान्नों को निम्नलिखित दरों पर संभरित किया गया था :—

गेहूं	१४ रुपये	प्रतिमन
चावल	१६ रुपये	प्रतिमन
मक्की	११ रुपये	प्रतिमन

इन कीमतों में बोरों की कीमतें सम्मिलित हैं और एफ० ओ० आर० डेस्टीनेशन स्टेशन पर डिलीवरी हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र से जो गेहूं १४ रुपये मन के हिसाब से प्राप्त हुआ था, वह अपने उचित मूल्य वाली दुकानों को १५ रुपये मन के हिसाब से दिया है ; और यदि हां, तो उन से अधिक मूल्य क्यों लिया गया है और क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन सम्बन्धी खर्चे के रूप में थोड़ी राशि वसूल की हो, परन्तु मेरे ख्याल में एक रुपया अधिक नहीं लिया गया है । यह खर्चा प्रत्येक जगह अलग अलग पड़ता है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे ज्ञात है कि एक रुपया अधिक लिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक कि व्योरे का सम्बन्ध है, इस बारे में माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री को लिख सकते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम सीमा को १५० रुपयों से बढ़ा कर २५० रुपये कर दिया है ; और यदि हां, तो क्या वितरण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को और अधिक अन्न संभरित किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह सच है कि सीमा को बढ़ा कर २५० रुपये कर दिया गया है और अब २५० तथा इससे कम आय वाले सभी व्यक्ति उचित मूल्य वाली दुकानों से राशन प्राप्त कर सकते हैं । इस दृष्टि से हमने उन्हें दिये जाने वाले अन्न की मात्रा बढ़ा दी है ।

†**श्री जाधव :** २४ फरवरी, १९५९ के एक अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश अब खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म निर्भर है । १९५८–५९ में उत्तर प्रदेश को कितना खाद्यान्न भेजा गया था ?

†**श्री अ० म० थामस :** वैसे तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म निर्भर है । परन्तु १९५७–५८ में उत्तर प्रदेश को भयंकर विपत्तियों का सामना करना पड़ा था । इसीलिये १९५८–५९ में उत्तर प्रदेश को लगभग ५१०.९ हजार टन खाद्यान्न दिया गया था ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि हाल में ही उत्तर प्रदेश से अनाज ले जाने और उत्तर प्रदेश में अनाज लाने के सम्बन्ध में कुछ नये प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ? और यदि हां, तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : कोई खास प्रतिबन्ध तो नहीं लगाये गये लेकिन जो स्थान सरहद पर हैं वहां से कुछ स्मगलिंग होती थी उसको रोकने के लिये कुछ थोड़ी सी तब्दीली की गई है । कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं की गई है ।

श्री वाजपेयी : सीमा के ऊपर अनाज का अवैध व्यापार नहीं होता, इस प्रकार का मत मंत्री महोदय ने इस सदन में कई बार प्रकट किया था, और निरन्तर यह मांग की जाती रही थी कि उन प्रतिबन्धों को कड़ा किया जाय । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश से चोरी से अनाज बाहर जाता है ?

श्री अ० प्र० जैन : यहां पर स्वीकार करने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि कुछ अनाज चोरी से जाता तो था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की आटे की मिलों को भी गेहूं का कोटा दे रही है ; यदि हां, तो कितना गेहूं दिया गया था और क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वे उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : उत्तर प्रदेश की मिलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अगस्त, १६५८ से उन्हें गेहूं संभरित किया जा रहा है। उन्हें औसतन १४,५०० टन प्रति मास के हिसाब से गेहूं दिया गया है।

†**श्री स० म० बनर्जी**: क्या सरकार की ओर से आटे की कोई कीमत निर्धारित की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी, हां। कीमतें निर्धारित की गयी हैं।

†**श्री नागी रेड्डी** : १६५८ और १६५६ में उत्तर प्रदेश को कितना-कितना चावल संभरित किया गया था ?

†**श्री अ० म० थामस** : १६५८ में हमने ५१०.६ हजार टन खाद्यान्न संभरित किया था। जनवरी, १६५६ में ६१.५ हजार टन और फरवरी में ७६.६ हजार टन खाद्यान्न संभरित किया गया था।

†**श्री नागी रेड्डी** : मैं चावल के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

†**श्री अ० म० थामस** : उत्तर प्रदेश को दिसम्बर में लगभग ७०० टन चावल और जनवरी में १०० टन चावल दिया गया था। उत्तर प्रदेश में चावल की इस समय अधिक आवश्यकता नहीं है।

†**श्री कमल सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चोरी छिपे खाद्यान्न दाखिल हो रहा है ; यदि हां, तो सरकार उसकी रोक थाम करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस प्रकार की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। सरकार उसकी रोक थाम करने के लिये हर प्रकार के प्रयत्न कर रही है।

सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाएं

†*११५५. **श्री नागी रेड्डी** :
श्री रामम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की गति को धीमा किये बिना ही उनमें मितव्ययता लाने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) उन कार्यवाहियों स कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** :(क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में मितव्ययता की दृष्टि से क्या-क्या उपाय किये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न कार्यवाहियों से निर्माण-कार्यों के होने वाले परिणामों का ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या यह सच है कि पूरी मात्रा में इस्पात उपलब्ध न होने के कारण बहुत सी परियोजनाओं का काम रुक गया है और इसलिये परियोजनाओं के प्रशासन कार्य में अब व्यर्थ में ही खर्च बढ़ रहा है ?

†**श्री हाथी :** इसीलिये हमने विवरण की मद ६ में लिख दिया है––"कार्य की वास्तविक कार्यान्विति प्रारम्भ करने से पहले उचित आयोजन तथा विस्तृत अनुसंधान करना आवश्यक है ।" अतः सामान की आवश्यकता के सम्बन्ध में उचित आयोजन करना पड़ेगा ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या यह सच है कि इन पांच वर्षों में आन्ध्र में कई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के बाद भी केवल उसी कारण से रोक दिया गया है कि उनके लिये पर्याप्त मात्रा में इस्पात उपलब्ध नहीं था और अभी तक इन परियोजनाओं से कुछ भी लाभ नहीं उठाया गया है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री हाथी :** हो सकता है कि कुछ एक परियोजनाओं के लिये इस्पात उपलब्ध न हो । हमें इस्पात के लिये विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है । इस्पात की प्राप्ति के लिये कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

कोरबा तथा बीरसिंहपुर विद्युत स्टेशन

\+

†*११५६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री किस्तैया :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोरबा विद्युत स्टेशन विस्तार योजना और बीरसिंहपुर ताप-विद्युत् स्टेशन योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** योजना आयोग ने बीरसिंहपुर ताप विद्युत् स्टेशन योजना को द्वितीय योजना काल में कार्यान्वित करने की अभी हाल ही में मंजूरी दी है और उसके प्रारम्भिक कार्य इस समय किये जा रहे हैं । स्टेशन के लिये किसी उपयुक्त स्थान के सम्बन्ध में खोज की जा रही है । आशा है कि इस योजना को कोरबा विद्युत् स्टेशन की योजना के साथ चलाने से यह लाभ होगा कि उससे उस क्षेत्र की विद्युत् सम्बन्धी मांग पूरी हो जायेगी, इसलिये कोरबा स्टेशन विस्तार योजना को एक दम प्रारम्भ करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग ने कोरबा विस्तार योजना की मंजूरी दे दी है और सरकार से यह सिफारिश की है कि इसे मंजूरी दे कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही प्रारम्भ कर दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** मैंने अन्तिम स्थिति बता दी है । अब योजना आयोग ने बीरसिंहपुर विद्युत स्टेशन योजना के लिये भी मंजूरी दे दी है और उसके लिये विदेशी मुद्रा भी दी जा रही है, इसलिये केवल विस्तार योजना को प्रारम्भ कर देने से कोई लाभ नहीं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने यह सिफारिश की है कि कोरबा विस्तार योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही प्रारम्भ कर दिया जाये ?

†**श्री हाथी :** जी हां, सिफारिश तो की गई थी, परन्तु वह सिफारिश उस समय की गयी थी जब वीरसिंहपुर की योजना के सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया था ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है कि मध्य प्रदेश में लोगों को बिजली बहुत कम प्राप्त है और बिना बिजली के वहां पर न बड़े और न छोटे उद्योग चल सकते हैं ? ऐसी हालत में वीरसिंहपुर की जो योजना है वह और उसी के साथ कोई और योजना भी वहां पर चलाने के लिये कुछ सोचा जा रहा है ?

श्री हाथी : जो कोरबा स्कीम की फर्स्ट स्टेज है उस से ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी और बीरसिंहपुर की योजना से ६०,००० कीलोवाट बिजली पैदा होगी । यह १२० किलोवाट बिजली हो गई । इसके अलावा शायद चम्बल से कुछ मिल सके ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग ने उस क्षेत्र की आवश्यकता के बारे में कितना अनुमान लगाया था और इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश में कितनी विजली उपलब्ध है ?

†**श्री हाथी :** इस के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

खाद्यान्न का चोरी-छिपे पाकिस्तान में ले जाया जाना

+

*११५७ { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाड़मेर से सैकड़ों मन खाद्यान्न चोरी-छिपे पाकिस्तान ले जाया जाता है , और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : अगर बाड़मेर से पाकिस्तान में भारतीय गल्ला जाने का समाचार नहीं मिला है तो क्या पाकिस्तान की किसी और सीमा से इस प्रकार का समाचार मिला है कि भारत से बहुत सा गल्ला बाहर जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : हम को ऐसा समाचार नहीं मिला है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बात कह सकते हैं कि भारतवर्ष की किसी सीमा से भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर से अनाज नहीं जा रहा है ?

श्री अ० प्र० जैन : जब बड़ी लम्बी-चौड़ी सीमा होती है तो इस बात को कोई बहुत यक़ीन से कहना तो मुश्किल है लेकिन जितनी हमको सूचना मिली है उस से तो ऐसा ही मालूम होता है कि नहीं जा रहा है ।

†**श्री दलजित सिंह** : क्या पाकिस्तान में खाद्यान्नों के भाव भारत से अधिक हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमारी जानकारी के अनुसार उस सीमान्त क्षेत्र में पाकिस्तान में भाव कम हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत से पाकिस्तान को इस तरीक़े से नाजायज़ तौर से गल्ला न जा सके, इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री अ० प्र० जैन : बराबर वहां पर जांच पड़ताल रहती है । सरहद के इधर का जो कुछ मील का इलाक़ा है उस के अन्दर बिना इजाज़त के ग़ल्ला इधर-उधर नहीं जाता है ।

भाखड़ा नंगल के सम्बन्ध में पंजाब और राजस्थान में करार

+

†*११५८. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में पंजाब और राजस्थान में अब यदि कोई समझौता हो गया है तो क्या ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०४]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवाद की ऐसी कौन-कौन सी बातें थी जिन के बारे में पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार में गत पांच वर्षों में कोई समझौता नहीं हो सका था । और उन्हें अब कैसे सुलझाया गया है ?

†**श्री हाथी** : विवाद की मुख्य बातें यह थीं कि दिन प्रति दिन के निर्माण क्रम कैसे चलाये जायें और यदि किसी उर्वरक फैक्टरी या किसी और काम के लिये राजस्थान में अतिरिक्त विद्युत् की आवश्यकता हुई तो वह बिजली कहां से और किस दर पर दी जायेगी और पानी का उपयोग कैसे किया जायगा । इन के बारे में १३ जनवरी, १९५९ को समझौता हो गया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न यह है कि विवाद की इन तीन बातों को कैसे सुलझाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** इनके सम्बन्ध में समझौता एक बैठक में हुआ था जिस में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री उपस्थित थे। लम्बी चौड़ी चर्चा के बाद ही इस सम्बन्ध में समझौता हुआ था। ये सभी बातें सभा-पटल पर रखे गये विवरण में निहित हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** उस में पहली बात दिन प्रति द्रिन के प्रशासन के सम्बन्ध में थी। क्या यह सच नहीं है कि परियोजना की पूर्ति के बाद राजस्थान को इस के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई अधिकार न होगा और यदि अधिकार नहीं होगा तो फिर राजस्थान सरकार ने इस निर्णय को चुप चाप कैसे स्वीकार कर लिया है। और जल तथा विद्युत् संभरित करने के काम को संतोषजनक ढंग से कैसे चलाया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** राजस्थान को निश्चित रूप से और निर्धारित मात्रा में बिजली तथा पानी का संभरण किया जायेगा। अतः इस संबंध में तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उस में यह लिखा हुआ है कि जब भी कोई विवाद उत्पन्न होगा, दोनों राज्यों के चीफ़ इंजीनियर आपस में बातचीत के द्वारा उसे सुलझा लेंगे। यदि वैसा संभव न हुआ तो वह मामला एक स्थायी समिति को सौंप दिया जायेगा जिस में दोनों चीफ़ इंजीनियर और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का प्रतिनिधि सम्मिलित होगा। यदि वहां भी मामला सुलझ न सका तो उस सम्बन्ध मध्यस्थ निर्णय के लिये राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त एक मध्यस्थ को सौंप दिया जायेगा।

†**सरदार इकबाल सिंह :** विवरण में यह लिखा हुआ है कि सतलज से प्राप्त होने वाले पानी का, जिस में सरहिंद नहर का पानी भी शामिल है, सम्भरण दोनों राज्यों को किया जायेगा। करार में सरहिंद नहर के पानी के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध हैं ?

†**श्री हाथी :** सम्पूर्ण करार में ५१ खण्ड हैं और उसकी एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या यह सच है कि सरहिंद नहर से राजस्थान को २,२०० क्यूसिक पानी संभरित किया जायेगा और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी :** सभी आंकड़े याद रखने कठिन हैं। माननीय सदस्य करार में देख लें।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** पानी का कितना भाग राजस्थान को मिलेगा और कितना भाग पंजाब को ?

†**श्री हाथी :** उस पर आने वाले खर्च को दोनों सरकारें ८४.७८ : १५.२२ के अनुपात में वहन करेंगी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** मैं जल संभरण के अंश के संबंध में पूछ रहा हूं।

†**श्री हाथी :** संभवतः क्रमशः १५ प्रतिशत और ८५ प्रतिशत।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में लिखा हुआ है कि परियोजना पर कुल ६८.३१ करोड़ रुपयों की लागत आयेगी और दोनों राज्य क्रमशः ८५ : १५ प्रतिशत खर्च वहन करेंगे। इस हिसाब से पंजाब को ५५ करोड़ रुपये वहन करने पड़ेंगे। क्या इन ५५ करोड़ रुपयों की राशि में उस विद्युत् पर आने वाला खर्च भी सम्मिलित है जो कि पंजाब को संभरित की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** इस राशि का सम्बन्ध तो बांध पर आने वाले खर्च से है । बांध से सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी मांग पूरी होगी। विद्युत् और सिंचाई पर आने वाले खर्च के सम्बन्ध में अभी ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

†**श्री तंगामणि:** मैं यह पूछना चाहता हूं कि ५५ करोड़ रूपयों की इस राशि में से विद्युत् और सिंचाई पर आने वाले खर्च की कितनी राशि है ?

†**श्री हाथी :** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता परन्तु फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि उसके निर्माण पर कुल ६८ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा। सिंचाई और विद्युत् के संबंध में आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं। आंकड़े तैयार करने के बाद ही इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या करार पर हस्ताक्षर करते समय राजस्थान के लिये अतिरिक्त विद्युत् के संभरण के सम्बन्ध में विचार किया गया था, और यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त बिजली के लिये ?

†**श्री हाथी :** उर्वरक फैक्टरी के लिये २५,००० किलोवाट अतिरिक्त बिजली के लिये विचार किया गया है ।

गण्डक पर पुल

***११६०. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व रेलवे पर गण्डक के ऊपर पुल का निर्माण, इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित गर्डर न उपलब्ध होने के कारण स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) वहां निर्माण कार्य पुन: शीघ्र आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कार्य को पूरा करने के लिये निश्चित अवधि में कितने समय की वृद्धि होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पुल को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आगे चलने पर ज़रूरत होने पर उस पर बड़ी ब्रौडगेज की लाइन बिछाई जा सके ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी हां, उसमें इतनी गुंजायश है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** वह पुल कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**श्री से० वें० रामस्वामी :** लगभग १९६० तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन

+

†*११६१. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल के जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन में गहूं के अधिकतम और न्यूनतम गारंटी-मूल्यों को कम कराने का प्रयास किय था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) खबर है कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन अभी हाल ही में समाप्त हुआ है । अंतिम रूप से स्वीकृत करार की प्रति अभी आई नहीं है पर ज्ञात हुआ है कि जो अधिकतम और न्यूनतम भाव तय हुए हैं वह क्रमश: १.९० डालर और १.५० डालर हैं और यह कनाडा में जमा मनिटोबा नम्बर १ गेहूं पर लागू होते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार यह प्रस्ताव मिलने पर उस पर विचार भी करेगी या उसे ज्यों का त्यों मान लेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हमें गुणावगुण के आधर पर निर्णय करना है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, उसके इस अधिकतम या न्यूनतम मूल्य निर्धारण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यदि हम इस करार में शामिल हो जायं और यदि भाव अधिकतम सीमा से भी ऊंचे चढ़ जायें तो भी हमें निर्यात करने वालों से इसी भाव पर कुछ गेहूं मिल सकता है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यदि सरकार इस करार में शामिल हो जाय तो भारत के इसके अधीन क्या दायित्व होंगे ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम १.९० डालर और १.५० डालर के बीच की भाव-दर के कारण बाध्य हैं कि .....

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इस में से कितना भारतीय मुद्राओं में है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इसका हिसाब अभी लगाना होगा । हम इस बात के लिये बाध्य हैं कि करार के अधीन पंजीबद्ध निर्यात करने वाले देशों से वाणिज्यिक आयात करें ।

†**श्री कासलीवाल** : पहले ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे लेकिन अब प्रतीत होता है कि नये अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार पर ब्रिटेन ने भी हस्ताक्षर करने का निश्चय कर लिया है । ब्रिटेन के इस कार्य का गंहू के अन्तर्राष्ट्रीय भावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरे ख्याल से ब्रिटेन के इसमें शामिल होने न होने का भावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जेनेवा में नये गेहूं करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और करार में प्रति बुशल के लिये ११ से १४ स्टर्लिंग की व्यवस्था की गयी है, इसका इस देश में गेहूं के भावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं बता चुका हूं कि हमारे देश के भीतर के भावों पर इस करार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । हां, यदि भाव अधिकतम सीमा से भी अधिक हो जायें तो भी हम निर्यात करने वाले देशों से उसी भाव पर कुछ परिमाण में गेहूं का आयात कर सकेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या निर्यात करने वाले देशों में कुछ नये देश भी शामिल हो चुके हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : निर्यात करने वाले सभी देश पहले से ही इस करार के सदस्य हैं—ये हैं : अर्जेन्टाइना, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन और अमरीका । यही निर्यात करने वाले प्रमुख देश हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : कोई नया देश नहीं आया ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार में शामिल होने से भारत सरकार को क्या लाभ हुआ है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : लाभ यह है कि यदि हमें आयात करने की आवश्यकता पड़ी तो उस भाव पर आयात सुनिश्चित हो जायगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यदि भारत सरकार इस करार में शामिल होती है तो क्या वह कुछ गेहूं खरीदने के लिये बाध्य होगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी नहीं, हम कुछ भी निश्चित परिमाण में खरीदने के लिये बाध्य नहीं हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट था कि ब्रिटेन निर्यात करने वाला नहीं, एक आयात करने वाला देश है । क्या उन्होंने इस वजह से अब करार में शामिल होने का निश्चय किया है कि अब गेहूं के भाव गिरने वाले हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : किसी को पता नहीं कि ब्रिटेन इस करार में शामिल होगा या नहीं । पहले तो उन्होंने इससे बाहर ही रहना पसन्द किया था ।

हैदराबाद में गोष्ठी

११६२. श्री खुशवक्त राय : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय ने २८ जनवरी, १९५९ को हैदराबाद में एक गोष्ठी की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या लोक-सभा और राज्य-सभा के सब सदस्यों को उस गोष्ठी में आमंत्रित किया गया था; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो संसद् सदस्यों को किस आधार पर आमंत्रित किया गया था ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां। एक गोष्ठी हैदराबाद के निकट पत्तनचेरू नामी गांव में २९-१-१९५९ से ४-२-१९५९ तक की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) केवल सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की अनौपचारिक परामर्श समिति (इनफ़ार्मल कनसल्टेटिव कमेटी) के सदस्य इस गोष्ठी में निमंत्रित किए गए थे । राज्यों की अनौपचारिक परामर्श समितियों के सदस्य भी राज्यों द्वारा निमंत्रित किए गए थे । इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश के कुछ संसद् व विधान सभा सदस्य राज्य सरकार द्वारा बुलाए गए थे।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हमें अंग्रेजी में भी उत्तर चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ लिया जाय ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों से मेरा एक आग्रह है । दक्षिण से आने वाले सदस्य तो हिन्दी पढ़ना और बोलना सीख लेते हैं, तो अन्य मान्य सदस्य क्यों नहीं सीख सकते ? क्या हिन्दी सीखने के लिये मंत्री बनने की प्रतीक्षा में हैं ? उन्हें भी धीरे-धीरे हिन्दी सीख लेनी चाहिये ताकि कुछ समय—एक या दो वर्ष बाद हिन्दी या अंग्रेजी में प्रश्न पढ़ने का यह प्रश्न ही खतम हो जाय ।

†**एक माननीय सदस्य** : : क्या यह सामान्य नियम हो जायगा कि कोई अंग्रेजी में न बोले, सब हिन्दी में ही बोलें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई नियम नहीं है, मैं सिर्फ एक अपील कर रहा हूं ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में जो संसद् सदस्य बुलाये गये थे उनमें विरोधी दल के सदस्य भी थे या नहीं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : आन्ध्र प्रदेश विधान मंडल और संसद् के दोनों पक्षों के लोग इस शिविर में बुलाये गये हैं ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या सरकार इसके बाद भी ऐसी बैठकें बुलायेगी, और यदि हां, तो अगली बैठक कब बुलाई जा रही है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जहां तक इसका सम्बन्ध है अभी तक इसके सम्बन्ध में कुछ भी निश्चय नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुवीर सहाय : मुझे पता चला है कि आन्ध्र के पट्टनचेरू स्थान पर हुये शिविर के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है और उसे सामुदायिक विकास सम्बन्धी अनौपचारिक सलाहकार समिति के सदस्यों में बांटा गया है। क्या इन शिविरों के बारे में दिलचस्पी पैदा करने के लिये इस प्रतिवेदन को अन्य संसद्-सदस्यों और राज्य सरकारों में भी बांटा जायेगा ?

†श्री ब० स० मूर्ति : जी हां। कार्यवाही के विवरण की एक प्रति संसद् की सामुदायिक विकास सम्बन्धी सलाहकार समिति के सब सदस्यों और राज्य सरकारों के पास भेजी गई है। जो भी अन्य सदस्य चाहें इसकी प्रति उनके पास भेजी जा सकती है।

†श्री श्रीनारायण दास : संसद् और राज्य विधान मण्डलों के कितने-कितने सदस्यों ने इस शिविर में भाग लिया और इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†श्री ब० स० मूर्ति : लोक-सभा और राज्य सभा के २५ सदस्यों और आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा तथा विधान परिषद् के २५ सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। जहां तक केन्द्रीय मंत्रालय का सम्बन्ध है, सिर्फ ६०० रुपये व्यय हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार मेज़बान थी इसलिये हमें ठीक-ठीक पता नहीं है कि उन्होंने कितना व्यय किया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जिन संसद् सदस्यों ने इस कैम्प में जाकर के विशेष ट्रेनिंग पायी, वहां से ट्रेनिंग पाने के बाद उनसे अपने क्षेत्र में क्या विशेष कार्य करने की आशा की जाती है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : इसमें सदस्यों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रश्न नहीं है। वहां जो भी सदस्य जमा हुये थे उन्होंने सामुदायिक विकास, देश और योजना सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर विचार किया था। पट्टनचेरू शिविर में भाग लेने वाले सभी सदस्यों से हमें अपेक्षा है कि सामुदायिक विकास कार्य में जनता की दिलचस्पी पैदा करने के लिये वे यथासंभव व प्रयास करेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस सभा का प्रश्न है, वे प्रश्न नहीं पूछेंगे, बल्कि अपने आप इसे सीखेंगे।

श्री वाजपेयी : ऐसे अनेक सदस्य हैं जो यद्यपि सलाहकार समिति के मेम्बर नहीं हैं, किन्तु कम्युनिटी डेवेलपमेंट में अपनी रुचि रखते हैं। क्या भविष्य में होने वाली गोष्ठियों में ऐसे सदस्यों को भी बुलाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

†श्री ब० स० मूर्त्ति : वास्तव में आन्ध्र सरकार ने अन्य संसद् सदस्यों को भी आमंत्रित किया है जो सभा की सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं। यदि मेज़बान राज्य सभी संसद् सदस्यों को बुलाना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन

+

†*११६४. { **श्री इगनेस बेक :**
श्री काज़ी मतीन :
श्री श० च० गोडसोरा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल और राउरकेला के उर्वरक कारखाने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेंगे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस उर्वरक के लिये बाजार तैयार करने के उद्देश्य से इसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह नया उर्वरक हाइग्रोस्कोपिक[1] है और इस के संग्रह के लिये बेहतर इन्तजाम होना चाहिये ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) प्रदर्शन ।

(२) किसानों के खेतों में परीक्षा के लिये मुफ्त वितरण ।

(३) अधिक आयात और फैक्ट्रियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वितरण ।

(४) १९५४ से १९५८ तक लागत से भी कम भाव पर बिक्री ।

(ग) जी हां ।

†**श्री इगनेस बेक** : इन दोनों कारखानों से साल में कुल कितने कैलिशयम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन होगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इन दोनों कारखानों में से प्रत्येक में अधिक से अधिक ३,९०,००० टन उर्वरक का उत्पादन हो सकेगा । आशा है कि नंगल के कारखाने में १९६० में और राउरकेला में १९६१ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

प्रश्न संख्या ११५८ के बारे में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : तारांकित प्रश्न संख्या ११५८ सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं बांध की लागत की कुल आवंटित राशि नहीं बता पाया था । माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं अब बता सकता हूं कि बिजली और सिंचई के लिये लागत का आधार आवंटन विवरण और परिशिष्ट घ के अनुच्छेद ४३ में दिया हुआ है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिकन्दराबाद में बच्चों के लिये राज-सहायता प्राप्त छात्रावास

†*११५४. **श्री त० व० विठ्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद में पढ़ने वाले रेलवे कर्मचारियों के १०० बच्चों के लिये एक राज-सहायता प्राप्त छात्रावास बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ग) इसमें दाखिला कब से शुरू होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी)** : (क) निर्माण-कार्य के लिये टेंडरों पर अन्तिम रूप दिया जा चुका है और रेलवे प्रशासन शीघ्र ही काम का ठेका दे देगा ।

(ख) इस कार्य के लिये अभी तक कुछ खर्च नहीं किया गया है ।

(ग) लगभग जनवरी, १९६० तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Hygroscopic.

खाद्यान्नों का उत्पादन

†*११५९. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले वर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई कमी को किस प्रकार पूरा करने की आशा है ; और

(ख) कमी को पूरा करने के लिये कितने मूल्य के खाद्यान्न की आवश्यकता होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). १९५७–५८ में खाद्यान्नों के उत्पादन में ६७ लाख टन की कमी थी। कई कारणों से उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न का विदेशों से आयात करके कमी को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका। १९५८ में १२०·४ करोड़ रुपये के मूल्य का ३१.७ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया। सरकार को इस आयातित खाद्यान्न का वितरण करके और अन्य उपाय अपना कर, जैसे खाद्यान्न के एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध, मूल्य नियंत्रण इत्यादि, स्थिति को उत्तमोत्तम ढंग से संभालना था।

औषधीय जड़ी–बूटियां

†*११६३. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्य सरकारों ने औषधीय जड़ी-बूटियों को पैदा करने और उनका विकास करने की योजनायें बनाई हैं ; उनके क्या नाम हैं ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये ऐसी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण, राज-सहायता अथवा अनुदानों के रूप में कोई सहायता दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) औषधीय जड़ी-बूटियों के उगाने और उनका विकास करने के लिये राज्य सरकारों से कोई ठोस योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हिमपात और तूफान के कारण क्षति

*११६५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में हिमपात और तूफान के कारण गत जनवरी में खड़ी फसलों, जान और माल की कितनी हानि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

बिहार सरकार को छोड़कर, जिस ने जनवरी, १९५९ में ओलों के आने से खड़ी फसल को कुछ नुकसान होने की सूचना दी है, अन्य किसी भी राज्य से इस अवधि में बर्फ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

या ओले पड़ने के कारण खड़ी फसल, जीवन या अन्य सम्पत्ति को हानि पहुंचने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

हावड़ा डिवीजन में भ्रष्टाचार

†*११६६. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नवम्बर, १९५८ में कलकत्ता की बंगला और अंग्रेजी पत्रिकाओं में छपे इन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और कदाचार होने के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों के यूनियन ने इन कदाचारों के विरुद्ध २८ नवम्बर, १९५८ को कलकत्ता में एसप्लेनेड में स्थित जन-सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विषय की अभी जांच हो रही है ।

हीराकुड बांध परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी

†*११६७. **श्री प्र० के० देव :**
श्री बि० चं० प्रधान :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड़ परियोजना के ४५०० कर्मचारियों से इस आशय का नोटिस प्राप्त हुआ है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो वे हड़ताल कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन मांगों पर विचार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०५]**

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज

†*११६८. **डा० सुशीला नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवाओं के एक उप महा-निदेशक को लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सभी सच है कि प्रशासन बोर्ड (बोर्ड आफ एडमिनिस्ट्रेशन) अथवा संवरण समिति (सेलेक्शन कमिटी) को कोई निर्देश किये बिना ही ऐसा किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) इस पद के लिये उचित व्यक्ति का संवरण होने तक स्वास्थ्य सेवाओं के उप महा-निदेशक (मेडिकल) से अग्रेतर आदेश प्राप्त होने तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल का प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिंटेंडेन्ट के पद पर कार्य करने के लिये कहा गया है।

(ख) और (ग). क्योंकि यह बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था है, इसलिये इस विषय के संस्था के लिये बनाये गये प्रशासन बोर्ड अथवा प्रवरण समिति को निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

दिल्ली में यातायात की कठिनाई

†*११६९. **श्री वाजपेयी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से दिल्ली में यातायात की कठिनाई को कम करने के लिये विभिन्न कार्यालयों का अलग-अलग कार्य-समय निश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में चावल का क्रय

*११७०. **श्री खादीवाला:**
श्री क० भे० मालवीय:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में चावल खरीदते समय किसानों को नगद भुगतान नहीं किया जाता और इसके परिणामस्वरूप किसानों को चावल व्यापारियों को नगद भुगतान के लिये कम मूल्य पर बेच देना पड़ता है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यापारी नगद भुगतान पर कम मूल्य पर धान और चावल खरीद कर उन्हें अधिक मूल्य पर सरकार को बेच देते हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) और (ख). किसान साधारणतः धान बेचते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कि धान खरीद रही है धान की खरीद के लिये एजेन्ट नियुक्त किये हैं जो सरकार की ओर से धान खरीद कर नगद भुगतान करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वतन्त्र विमान संचालक

†*११७१. **श्री बसुमातारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वतन्त्र विमान संचालकों को अपने वायुयानों को विदेशी 'चार्टर्स' पर भेजने से पहले निर्यात पर्मिट और रिजर्व बैंक सीमा-शुल्क भुगतान प्रमाण पत्र लेना पड़ता है और नगदी अथवा जमानत के रूप में विमान की लागत जमा करानी पड़ती है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** अननुसूचित उडान पर, चाहे वह अनुसूचित विमान संचालकों द्वारा की गयी हो अथवा गैर-सरकारी अननुसूचित संचालकों द्वारा, विमान और उसके पुर्जों आदि के भेजने के लिये निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत लाइसेंस आवश्यक है । केवल अन्तर यह है कि अननुसूचित संचालकों को अननुसूचित उडान पर प्रयोग किये जाने वाले विमान, पुर्जे इत्यादि के मूल्य के २५ प्रतिशत तक किसी बैंक अथवा बीमा कम्पनी की जमानत के बौंड पर लाइसेंस दिये जाते हैं । संचालकों से नगद रुपया जमा कराने को नहीं कहा जाता है ।

२. सीमा-शुल्क और रिजर्व बैंक के प्रमाण-पत्र के बारे में अनुसूचित संचालकों द्वारा की गयी अननुसूचित उड़ान और अननुसूचित संचालकों द्वारा की गई अननुसूचित उडान में कोई अन्तर नहीं होता । दोनों ही को सीमा-शुल्क प्रमाण पत्र और विदेशी मुद्रा के दृष्टि-कोण से दिये जाने वाले प्रमाण पत्र सम्बन्धी सामान्य आवश्यकतायें नियमानुसार पूरी करनी पड़ती हैं ।

पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क)

†*११७२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) को कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है ; और

(ख) उस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). जहां तक भारत सरकार को मालूम है, चालू योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में राज्य सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है । अतः उसने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी ।

डीजल इंजनों का निर्माण

†*११७३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के लिये डीजल इंजनों का निर्माण करने में टाटा और बिड़ला को किन शर्तों पर विदेशी सहयोग की इजाजत दी जा रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस उद्योग में सांझे में काम करने के लिये गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लग रही है ;

(ग) कितनी विदेशी और भारतीय पूंजी लग रही है ;

(घ) क्या इसमें अधिकार-शुल्क और लाभ के प्रत्यादान खंड लगाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों की टेक्निकल और वित्तीय रूप से जांच हो रही है। इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि विदेशी सहयोग की किन शर्तों पर मंजूरी दी जायेगी।

(ख) से (ङ). भाग (क) में बतायी गयी बातों को देखते हुये ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

वैमानिक जांच संगठन[1]

†*११७४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन विभाग के वैमानिक जांच संगठन के क्या कृत्य और कर्तव्य हैं ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में वैमानिक जांच संगठन का एक कार्यालय है और यदि हां, तो कब से है ;

(ग) क्या यह संगठन असैनिक और सैनिक विमानों की मरम्मत, सज्जा और ढांचे के निर्माण, इंजनों और अतिरिक्त पुर्जों के निर्माण के समन्वय के लिये उत्तरदायी है ; और

(घ) यदि हां, तो यह किन शर्तों के अधीन है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** :(क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०६]**

(ख) जी, हां। १०-१-१९४६ से।

(ग) जी, हां।

(घ) असैनिक विमानों की असैनिक उड्डयन के महा-निदेशक के सामान्य कर्तव्यों के भाग के रूप में भारतीय विमान नियम, १९३७ के अनुसार जांच की जाती है। 'सैनिक विमानों' की प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ हुये करार के अधीन जांच की जाती है। प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा जांच शुल्क सहमत दरों पर दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Aeronautical Inspection Organisation.

मनीपुर राज्य परिवहन

†*११७५. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य परिवहन के लेखों की १६५२-५३ से लेखा-परीक्षा नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तम्बाकू

†*११७६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १६५७ से ३१ जनवरी, १६५६ तक की अवधि में अच्छी किस्म की सिगरेटों का उत्पादन करने के लिये भारतीय तम्बाकू की किस्म में सुधार करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०७]**

मध्य प्रदेश में फालतू चावल

†*११७७. **श्री नि० बि० माईति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १४ फरवरी, १६५६ के 'स्टेट्समैन' (दिल्ली संस्करण) के पृष्ठ ५, स्तम्भ ६, पर छपे उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा १२ फरवरी, १६५६ को भोपाल में एक सम्वाददाता सम्मेलन में दिया गया बताया जाता है और जिसमें यह कहा गया है कि चालू वर्ष में मध्य प्रदेश में लगभग ५ लाख टन चावल फालतू होगा ।

(ख) क्या उपरोक्त तथ्य को देखते हुये, उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार को मध्य प्रदेश से चावल खरीदने की आज्ञा दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मध्य प्रदेश के फालतू चावल को भारत सरकार ले लेती है और धान को मध्य प्रदेश सरकार स्वयं लेती है । पश्चिमी बंगाल की आवश्यकता को समय समय पर केन्द्रीय रिजर्व में से अथवा फालतू अनाज वाले राज्यों से खरीदे गये स्टाक में से आवंटन करके पूरा किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोटला मुबारकपुर

†*११७८. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटला मुबारकपुर (नई दिल्ली) का 'ले आउट प्लान' (नक्शा आदि) तैयार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय को अन्तिम रूप दिये जाने में कितना समय लगेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) नगर आयोजन संगठन इस पर कार्य कर रहा है । आशा है कि वह शीघ्र ही प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे देगा ।

दामोदर घाटी निगम में विदेशी

†*११७९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दामोदर घाटी निगम में कितने विदेशी नियोजित हैं और पृथक पृथक उनके क्या वेतन हैं ; और

(ख) कितने समय तक विदेशियों के स्थानों पर भारतीयों की नियुक्ति किये जाने की सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दामोदर घाटी निगम में केवल एक विदेशी, श्री ए० एम० कामरा, मुख्य इंजीनियर, नियोजित है । उनको ५०० रुपये प्रतिमाह और २०,००० डालर प्रतिवर्ष दिया जाता है जिस पर आयकर नहीं लगता ।

(ख) श्री कामरा की वर्तमान अवधि ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होती है । उनके स्थान पर भारतीय इंजीनियर रखने का विचार है ।

उड़ीसा में नदियों की सिंचाई और विद्युत् क्षमता

†*११८०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १९ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में महानदी के अतिरिक्त सभी नदियों की सिंचाई और विद्युत् क्षमता का अध्ययन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो महानदी के अतिरिक्त उड़ीसा में किन किन नदियों का अध्ययन किया गया है ; और

(ग) महानदी समेत उड़ीसा की जिन नदियों का अध्ययन किया गया है उनकी सिंचाई और विद्युत् क्षमता कितनी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

गन्ना उत्पादकों द्वारा लाभ में हिस्सा बटाना

११८१. **श्री यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से कोई पत्र मिला है, जिसमें यह कहा गया हो कि चीनी के कारखानों द्वारा अर्जित अतिरिक्त लाभ में से गन्ना उत्पादकों को निश्चित भाग मिलना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार की क्या नीति है और उसने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों को लाभ में उक्त अंश दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). यह प्रश्न उठते ही नहीं।

पंजाब गन्ना (गुड़ बनाने के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९

†*११८२. **श्री झूलन सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन परिस्थितियों के कारण पंजाब गन्ना (गुड़ बनाने के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ को प्रख्यापित किया गया और यह क्यों न्याय संगत था ; और

(ख) जहां तक भविष्य के वर्षों का संबंध है, इस आदेश से पंजाब में गन्ने के उत्पादन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है क्या उसका ध्यान रखा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) आदेश को पंजाब सरकार की प्रार्थना पर प्रख्यापित किया गया क्योंकि गन्ने के गुड़ बनाने में प्रयोग होने पर इसके अधिक मूल्य के कारण पंजाब में चीनी कारखानों के समय से पूर्व बन्द हो जाने की सम्भावना थी। पंजाब में चालू छः कारखानों में से तीन सहकारी चीनी कारखाने हैं। कारखानों के समय से पूर्व बन्द हो जाने से सहकारी चीनी कारखानों को भारी हानि होती और परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादकों को भी हानि होती जो कि इन मिलों के अंशधारी हैं।

(ख) इस आदेश से पंजाब में गन्ने की पैदावार पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में विषाक्त भोजन

†*११८३. श्री कुट्टिकृष्णन् नायर :
श्री मणियागाडन :
श्री वे० ईयाचरण :
श्री नल्लाकोया :
श्री आसर :
श्री बाजपेयी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ फरवरी, १९५९ को कोजिकोडे, केरल में विषाक्त भोजन की एक भयंकर घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप बहुत से व्यक्तियों को अस्पताल में भरती होना पड़ा;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह उस ही दूषित खाद्यान्न के प्रयोग के फलस्वरूप है जिससे पिछले वर्ष केरल के विभिन्न भागों में बहुत सी जानें गयीं ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त घटना के बारे में क्या ब्यौरा है ; और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (घ). २६ व्यक्ति (१४ पुरुष, ५ स्त्रियां और ७ बच्चे) जिन्होंने कोजिकोडे में दो दुकानों से चाय पी थी, बीमार पड़ गये और उनको २५ फरवरी, १९५९ को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुरुष रोगियों को जिला अस्पताल में और स्त्रियों और बच्चों को स्त्रियों और बच्चों के अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल से पुरुषों को २६ फरवरी को और स्त्रियों तथा बच्चों को २८ फरवरी, १९५९ को छुट्टी दे दी गयी। किसी मृत्यु का पता नहीं लगा है। दुर्घटना के कारणों की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। जिन वस्तुओं के बारे में आशंका थी उनको राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। रोगियों द्वारा वमन के नमूने और शंकित वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है और विश्लेषण का परिणाम प्रतीक्षित है ।

दिल्ली में क्लोरीन मिले पानी का संभरण

†*११८४. **चौ० ब्रह्म प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में दिये जा रहे पानी में क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित कारणों के कारण कच्चे पानी की मिलावट के लिये पूर्वोपाय के रूप में क्लोरीन किया गया है :—

(१) बांध बनाने और अन्तर्ग्रहण नहर खोदने के लिये अन्तर्ग्रहण कुओं के समीप बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) वज़ीराबाद के ऊपर की ओर नदी में इस समय तरबूजों वगैरह की खेती हो रही है ।

खोसला समिति का प्रतिवेदन

†*११८५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या रेलवे पुलों की हालतों पर ध्यान देने और उनको सुधारने के लिये उपाय सुझाने के लिये नियुक्त खोसला समिति ने अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) रेलवे बोर्ड द्वारा उसकी जांच कब समाप्त किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) उन सिफारिशों पर कब कार्यवाही की जायेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर

†*११८६. { श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर के प्रथम फ़ेज के लिये ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम फ़ेज कब पूरा हो जायेगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिये गये संयुक्त परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर के प्रक्रम १ के तीन वर्षों में पूरा हो जाने का प्रस्ताव है । तथापि वास्तविक पूर्णता निधि की उपलब्धता पर निर्भर होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली बोर्ड

†*११८७. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने बिजली बोर्ड स्थापित करने की योजना कार्यान्वित कर ली है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों की बड़ी विद्युत् परियोजनायें भी इन बोर्डों को सौंपी जायेंगी ;

(ग) इन बोर्डों की पूंजी का मुख्य स्रोत क्या होगा ; और

(घ) ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में वे कहां तक सहायक सिद्ध होंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मध्य प्रदेश, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, केरल, राजस्थान, मद्रास, मैसूर, बिहार, आसाम और पंजाब में बिजली बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं । उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सरकारों से सूचना मिली है कि उन्होंने १ अप्रैल, १९५९ से बिजली बोर्ड स्थापित करने की योजना पर अन्तिम निर्णय कर लिया है । उड़ीसा सरकार भी शीघ्र ही बोर्ड स्थापित करने का प्रबन्ध कर रही है ।

(ख) सभी विद्युत् परियोजनायें इन बोर्डों को सौंपने का विचार है परन्तु बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ में इस संबंध में कोई विशेष उपबन्ध नहीं है । इस प्रयोजन से अधिनियम का संशोधन करने के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ग) बोर्ड की निधि उन्हें राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण, जनता से स्वयं बोर्ड द्वारा लिये गये ऋण, जिसके लिये वे राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेंगे और राज्य सरकार विभागों द्वारा जो आस्तियां हस्तान्तरित की जायेंगी, उनसे बनेगी ।

(घ) राज्य बिजली बोर्ड इसलिये स्थापित किये जा रहे हैं कि राज्य में बिजली का उत्पादन और संभरण, विशेषकर उन-क्षेत्रों में जहां पहले बिजली नहीं है विनियमित हो । अतः ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाना उनका विशेष उत्तरदायित्व है ।

"श्रिम्प"[१] और "प्रॉन"[२]

†*११८८. { **श्री प्र० के० देव** :
श्री बि० चं० प्रधान : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में समुद्र तट पर 'श्रिम्प' और "प्रॉन" मछली उपलब्ध होने के बारे म कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Shrimps. [२] Prawns.

(ख) क्या उड़ीसा में 'श्रिम्प' को डिब्बों में भरने का कारखाना खोलने का कोई विचार है ; और

(ग) परिष्कृत 'श्रिम्प' के निर्यात से १९५८–५९ में अब तक कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) उड़ीसा के समुद्री तट पर विभिन्न प्रकार की मछलियां उपलब्ध होने के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उड़ीसा में समुद्री तट पर से किये गये निर्यात से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु सारे देश के आंकड़े १·७६ करोड़ रुपये हैं ।

महिला ग्राम विद्यापीठ, इलाहाबाद के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा हड़ताल

†*११८९. **श्री नि० बि० माईति :**
श्री बाजपेयी :
श्री आसर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महिला ग्राम विद्यापीठ, इलाहाबाद का नर्स-व-दाई प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस केन्द्र की मुख्य अध्यापिका और प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी-अपनी शिकायत संघ स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) महिला ग्राम विद्यापीठ, इलाहाबाद में केन्द्रीय सहायता से सहायक नर्स–दाइयों को प्रशिक्षण देना बन्द कर दिया गया है ।

(ख) मुख्य अध्यापिका और प्रशिक्षणार्थी स्वास्थ्य सेवा मुख्य निदेशालय के नर्सिंग मंत्रणाकार से मिले थे ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार उन छात्राओं को राज्य की अन्य संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिये प्रयत्न कर रही है जो वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं ।

मंगलौर पत्तन

†*११९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हालैंड के विशेषज्ञ ने मंगलौर पत्तन को सभी मौसमों में इस्तेमाल होने वाले पत्तन के रूप में विकिसत करने के लिये जो सिफारिशें की हैं वे किस प्रकार की हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) श्री पोस्थ्यूमा, पत्तन विशेषज्ञ ने अभी कोई सिफारिशें नहीं की हैं। उनका प्रतिवेदन शीघ्र ही मिलने की आशा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेल दुर्घटनायें

†१७७९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ जनवरी, १९५९ से अब तक भारतीय रेलों में (रेलवे वार) जो बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) भारतीय रेलों (रेलवे वार) को कितनी हानि पहुंची है।

(ग) प्रत्येक दुर्घटना का क्या कारण था; और

(घ) उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). जनकारी संलग्न विवरण में दी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०९]**

(घ) सरकारी निरीक्षक से विस्तृत प्रतिवेदन मिलने के बाद यदि कोई कार्यवाही करना आवश्यक होगा तो विचार किया जायेगा।

पंजाब में बी० सी० जी० दल

†१७८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दलजीत सिंह :
श्री इकबाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में बी० सी० जी० दल के कितने व्यक्ति हैं ;

(ख) बी० सी० जी० आन्दोलन में कितने मैडिकल आफीसर काम कर रहे हैं ;

(ग) राज्य के विभिन्न भागों में ऐसे कितने यूनिट काम कर रहे हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :

(क) पंजाब में बी० सी० जी० दल के कर्मचारियों की साधारण संख्या यह है:

मैडिकल आफीसर	१
टैक्नीशियन	६
ड्राइवर	१
चपरासी	१
क्लीनर	१

†मूल अंग्रेजी में

एककों की वर्तमान संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) १३ मैडिकल आफीसर

(ग) १३ यूनिट

दिल्ली परिवहन उपक्रम

†१७८१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८ में दिल्ली परिवहन उपक्रम को कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : दिल्ली परिवहन उपक्रम का लेखा वित्तीय वर्ष के अनुसार रखा जाता है। पुनरीक्षित प्राक्कलनों के आधार पर इस उपक्रम को १६५८–५६ में १·०३ लाख रुपये लाभ होने की आशा है।

आलू की पैदावार

†१७८२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८–५६ में (राज्यवार) आलू की कुल पैदावार का प्राक्कलन क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: १६५८–५६ का आलू का अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं है।

बम्बई राज्य में कृषि का विकास

†१७८३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई राज्य को कृषि के विकास के लिये १६५६–६० में कितनी राशि देने का विचार है; और

(ख) उस अवधि के लिये कितनी राशि मांगी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) कृषि के लिये, सहकारिता के अतिरिक्त, बम्बई राज्य को १६५६–६० में १६·१७ करोड़ रुपये से अनधिक राशि देना योजना आयोग ने स्वीकार किया है।

(ख) बम्बई सरकार ने भी १६·१७ करोड़ रुपया ही मांगा था।

जगाधरी रेलवे वर्कशाप

†१७८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में जगाधरी रेलवे वर्कशाप के विकास के लिये कुल कितना आवंटन दिया गया था ;

(ख) कार्यक्रम की विभिन्न प्रावस्थाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सिलसिले में अब तक क्या कार्य किया गया है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)**: (क) इस परियोजना के लिये द्वितीय योजना काल में कोई आवंटन नहीं किया गया था।

(ख) जो योजना तैयार की गई है वह बिना प्रावस्थाओं के कार्यान्वित की जायेंगी।

(ग) अभी भूमि अर्जित नहीं की जा सकी।

जम्मू और काश्मीर में सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें

†**१७८५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम और द्वितीय योजनाओं में जम्मू व काश्मीर में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये ऋण और अनुदानों में रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ख) किन-किन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता दी गई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जम्मू व काश्मीर सरकार को प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में अनुमोदित विकास योजनाओं के लिये जिनमें अन्य योजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई और विद्युत् भी शामिल है जो केन्द्रीय सहायता दी गई वह नीचे बताई गई है :

	लाख रुपये
१९५१–५२	१८·८०
१९५२–५३	९०·००
१९५३–५४	१२५·००
१९५४–५५	२००·००
१९५५–५६	२००·००
१९५६–५७	४०५·३८
१९५७–५८	१७५·००
१९५८–५९	अभी तक कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सहायता प्राप्त अनुमोदित विकास योजनाओं में जो सिंचाई और विद्युत् योजनायें शामिल थीं उनकी सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११०]**

जिला गुरदासपुर में तार व टेलीफोन सुविधायें

†**१७८६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिला में ५,००० और इससे अधिक जन संख्या वाले कितने गावों में अभी तार और टेलीफोन सुविधायें नहीं है ; और

(ख) इन सुविधाओं की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) गत जनगणना के अनुसार जिला मुख्यालय और तहसीलों के अतिरिक्त ५,००० से अधिक जनसंख्या वाले केवल चार स्थान हैं। वे ये हैं :—

(१) धारीवाल

(२) दीनानगर

(३) कादियान्

(४) सुजानपुर

इन चारों जगहों पर तार सुविधायें विद्यमान है और पहले तीन स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन भी हैं। सुजानपुर में टेलीफोन कार्यालय खोलने का परीक्षण पंजाब में पोस्टमास्टर-जनरल ने किया था और उनकी राय में यह लाभप्रद नहीं था।

(ख) अगले वर्ष सुजानपुर में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के बारे में पुनः विचार किया जायेगा। यदि लाभप्रद प्रतीत हुआ तो इसकी मंजूरी दे दी जायेगी।

जिला गुरदासपुर में लैटर-बक्स

†**१७८७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला गुरदासपुर (पंजाब राज्य) के किन-किन गांवों में अभी तक लैटर बक्स नहीं लगाये गये हैं; और

(ख) ये कब तक लग जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) गुरदासपुर जिले में कुल १४८३ गांव हैं। डाक व तार विभाग प्रत्येक गांव में पोस्ट बक्स नहीं लगाता। विभाग की यह नीति है कि उन ग्राम्य क्षेत्रों में और इलाकों में पोस्ट-बक्स लगाये जाते हैं जहां से दो या अधिक पत्र प्रतिदिन भेजे जाते हैं और जो निकटतम डाक घर से एक मील अथवा अधिक दूर होते हैं। जिला गुरदासपुर में केवल ३६७ ऐसे गांव हैं जहां लैटर-बक्स लगाना वाजिब है और यहां उचित संख्या में लैटर-बक्स लगाये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अजमेर रेलवे वर्कशाप

†**१७८८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर रेलवे वर्कशाप में प्रतिवर्ष जो वस्तुएं बनती हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इ वर्कशाप से रेलवे की कितने प्रतिशत आवश्यकतायें पूरी होती हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) मीटर लाइन के लिये लोको, कैरिज और वैगन डुप्लीकेट जिनमें लगभग ११,३०० पुर्जे लगते हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) मीटर लाइन इंजन। कैरिज और वैगन आदि के लिये अपेक्षित 'डुप्लीकेटों' की लगभग ९२ प्रतिशत आवश्यकता इस वर्कशाप से पूरी होती है।

स्पेशल गाड़ियां

†१७८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कुल कितनी स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं ;

(ख) वे कुल कितने मील चलीं; और

(ग) उन गाड़ियों से कुल कितने लोगों ने यात्रा की ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १७७६।

(ख) ३,०८,९०६।

(ग) मेले, त्योहारों आदि पर चलाई गई स्पेशल गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों की संख्या मालूम नहीं क्योंकि उनका कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता है।

रेल कर्मचारी

†१७९०. **श्री दलजीत सिंह** :
श्री सिद्धय्या :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कुल कितने-कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे संरक्षण बल

†१७९१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीफ सिक्योरिटी आफीसरों और जूनियर अफीसरों की संख्या क्या है ; और

(ख) प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है:—

पद	अफसरों की संख्या	अनुसूचित जाति के अफसर	अनुसूचित आदिम जाति के अफसर
१. चीफ सीक्योरिटी आफीसर	१	—	—
२. सीक्योरिटी आफीसर	२	—	—
३. असिस्टैंट सीक्योरिटी आफीसर	१४	—	—
४. इंस्पैक्टर	२०६	१६	१
५. अन्य तीसरी श्रेणी के कर्मचारी	१४४		
६. चौथी श्रेणी के कर्मचारी	८३४६	४५०	४३

उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र

†१७९२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं?

†**स्वास्थ्य** मंत्री **(श्री करमरकर)** : उड़ीसा सरकार ने अब तक राज्य के नगरीय क्षेत्रों में २९ और ग्राम्य क्षेत्रों में ३७ क्लिनिक खोले हैं। क्लिनिकों के स्थानों के नाम संलग्न विवरण में बताये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १११]**

उड़ीसा में बी० सी० जी० आन्दोलन

†१७९३. **श्री प्र० के० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय बी० सी० जी० दल में कितने कर्मचारी हैं;

(ख) बी० सी० जी० आन्दोलन में कितने मैडिकल आफीसर काम कर रहे हैं;

(ग) राज्यों के विभिन्न भागों में ऐसे कितने यूनिट काम कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(घ) इस आन्दोलन में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं ; और

(ङ) किस तिथि तक राज्य के सभी क्षेत्र इस आन्दोलन के अधीन आ जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ९ बी० सी० जी० दल हैं जिनमें ८ डाक्टर, ६० टेक्नीशियन और १० पब्लिसिटी असिस्टेंट और अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

(ख) ८ मेडिकल आफीसर।

(ग) बरहामपुर, गंजम, सम्बलपुर और कटक में स्थित चार जोनों के अधीन ९ दल।

(घ) बी० सी० जी० आन्दोलन सारे क्षेत्र में चल रहा है।

(ङ) द्वितीय योजना की समाप्ति तक सारा राज्य इस आन्दोलन के अधीन आ जायेगा।

† मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में विस्तार व विकास मुर्गी पालन केन्द्र[1]

†१७६४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८, १६५८-५६ और द्वितीय योजना की शेष अवधि में अखिल भारतीय मुर्गी पालन विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में विस्तार व विकास केन्द्र खोलने के लिये कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) वह राशि किस प्रकार खर्च की गई अथवा करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

(क) वर्ष	केन्द्रीय सहायता की राशि
१६५७-५८	१.६१ लाख रुपये
१६५८ ५६	०.३० लाख रुपये
१६५६-६०	१.८५ लाख रुपये
१६६०-६१	अभी निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) पहले से स्थापित किये जा चुके ७ मुर्गी पालन विस्तार व विकास केन्द्रों को जारी रखने और द्वितीय योजना काल के दो शेष वर्षों में पांच नये केन्द्र खोलने के लिये ।

नई दिल्ली में होटल

†१७६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के होटलों में स्वच्छता आदि सम्बन्धी हाल ही के निरीक्षण प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) हालत को सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) . नई नगरपालिका समिति के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नई दिल्ली के होटलों के ४५० निरीक्षण किये हैं ।

सामान्य रूप से यह देखा गया है कि नई दिल्ली के होटलों में अब पहले से अधिक सफाई रखी जाती है । बहुत से होटलों में अब बहते हुए गरम पानी से बर्तन धोये जाते हैं । खाने की वस्तुयें तैयार करने वाले तथा परोसने वाले कर्मचारियों का परीक्षण समिति के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है और छूत के रोगों से उनका बचाव किया जाता है । यदि कोई बातचीत से न माने तो कानूनी कार्यवाही की जाती है । पुनर्वास बस्तियों में स्थित कुछ बिना लाइसेंस के रेस्त्राओं में और नगरपालिका समिति की अस्थायी मार्किटों के कुछ होटलों में स्वच्छता का ठीक ध्यान नहीं रखा जाता है। दुकानदारों से कहा जाता है कि वे अपने होटलों की इमारतों में कुछ परिवर्तन कर लें ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Extension-*cum*-Development Poultry Centres in Orissa.

आन्ध्र प्रदेश में किराये पर लिये गये गोदामों का किराया निश्चित करना

†१७९६. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के तलंगाना क्षेत्र में सरकार द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों के किराये निश्चित न करने के कारण किये गये कितने मामले अभी विचाराधीन हैं;

(ख) इन मामलों का अन्तिम निर्णय न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) किस तिथि तक इन सब मामलों का अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) गैर-सरकारी व्यक्तियों से किराये पर लिये गये गोदामों के १४ मामले ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किराया निर्धारित किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) यथासंभव शीघ्र इन मामलों का निबटारा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में अनाज के गोदाम

†१७९७. **श्री सरजू पांडे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार ने अब तक अनाज के कितने गोदाम बनाये हैं एंव प्रत्येक गोदाम में कितना अनाज रखा जा सकता है तथा वे कहां हैं ; और

(ख) १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने गोदाम बनाये जायेंगे ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १०,००० टन की क्षमता का एक 'सिलो-कम-इलेवेटर' गोदाम और एक १०,५०० टन का एक "मैसनरी गोदाम" हापुड़ में बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त हरदुआगंज में १९,७६० टन की क्षमता के 'शेडो फैक्टरी गोदाम' खाद्य विभाग ने ले लिये हैं ।

(ख) कानपुर में २५,००० टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण मंजूर हो गया है ।

इगतपुरी स्टेशन पर जल संभरण

†१७९८. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के इगतपुरी स्टेशन पर जल संभरण रेलवे तथा रेलवे कर्मचारियों के लिये पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का विचार वहां जल संभरण की नई योजना चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा तथा योजना का प्राक्कलन क्या है ; और

(घ) इगतपुरी में कितने रेलवे कर्मचारी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान । वर्तमान मांग के लिये विद्यमान संभरण पर्याप्त है ।

(ख) मध्य रेलवे ने भविष्य में जल संभरण बढ़ाने के लिये एक अस्थायी योजना तैयार की थी । इगतपुरी-भुसावल भाग के उपस्थित विद्युतीकरण के कारण इस योजना पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि रेलों के विद्युत् से चलने पर जल की मांग में परिवर्तन हो जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) २,००० ।

पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइन

†१७९९. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं के काम में अब तक किन किन पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बनाई गई हैं; और

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). एक विवरण जिसमें प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में बनाई गई रेलवे लाइनों तथा उन क्षेत्रों का, जहां से वे जाती हैं, उल्लेख है, संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११२**] इन क्षेत्रों का अपेक्षात्मक या समूचे रूप में वर्गीकरण नहीं किया जा सका है क्योंकि इस शब्दावली का कोई सर्वमान्य अर्थ नहीं है ।

परिवार नियोजन

†१८००. **श्री वारियर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक राज्यवार कितना धन परिवार नियोजन पर व्यय किया गया है;

(ख) शल्य-चिकित्सा की योजना से कितने लोगों ने लाभ उठाया है;

(ग) कितने व्यक्तियों ने अन्य ढंगों को स्वीकार किया; और

(घ) क्या नियोजन की हानि की परिणामस्वरूप परिवारिक सम्बन्धों के बिगड़ने के मामलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक राज्यवार मंजूर की गई धन-राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११३**]

(ख) ३३,४५० । विचार है कि यह पूरी संख्या नहीं है ।

(ग) लगभग ७ लाख ।

(घ) नहीं, श्रीमान । परिवार नियोजन से परिवार की शान्ति, स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता बढ़ती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान

†१८०१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन में कितने रेलवे कर्मचारियों को अभी मकान नहीं मिले हैं और उनके नाम प्रतीक्षा-सूची पर हैं; और

(ख) १९५९-६० में कितने कर्मचारियों को मकान मिलेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा पटल पर रखी जायेगी ।

छोटी सिंचाई योजनायें

†१८०२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९५९-६० में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित तफसील बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११४]**

कोट्टूर–दवन-गिरि-भद्रावती लाइन

†१८०३. **श्री केशव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र और मैसूर दोनों सरकारों ने कोट्टूर-दवनगिरी-भद्रावती लाइन के निर्माण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अम्बाला में ग्रांड ट्रंक रोड पर पुल

†१८०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला में ग्रांड ट्रंक रोड के लेवल क्रासिंग (समतल पारण) पर ऊपरी पुल के निर्माण की क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : पंजाब सरकार द्वारा ऊपरी पुलों की निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इसे थोड़ा महत्व दिया गया है। इसका निर्माण इस बात पर निर्भर है कि राज्य सरकार इस कार्य के लिये अपने भाग का अंश कब देती है।

जनता रेलगाड़ियों में सोने का स्थान

†**१८०५. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सारी जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सोने के स्थान की व्यवस्था आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : तीन विभिन्न प्रकार के सोने के डिब्बे बनाये गये हैं। तथा आजकल प्रयोगात्मक आधार पर प्रयोग हो रहे हैं। उनके अपेक्षात्मक लाभ निश्चित किये जा रहे हैं।

जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ियों सहित अधिक रेलगाड़ियों में सोने के स्थान की व्यवस्था आरम्भ करने के प्रश्न पर, डिब्बे का डिजाइन सुनिश्चित होने पर तथा स्वीकृत डिजाइन के डिब्बे बनने पर, विचार किया जायेगा।

उचित मूल्य वाली दुकानें

†**१८०६. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने उचित मूल्य वाली दुकानों से खाद्यान्न लेने के अधिकार की सीमा १५० रु० से बढ़ाकर २५० रु० प्रति मास करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने आदेश कार्यान्वित किये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) केन्द्र सरकार ने ऐसे कोई साधारण अनुदेश नहीं दिये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव कि आय सीमा १५० रु० से बढ़ाकर २५०रु० कर दी जाये हाल में ही मंजूर हुआ था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में बच्चों के लिये मनोरंजन यात्रा की रेलगाड़ी

१८०७. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बच्चों के लिये मनोरंजन यात्रा की जो रेलगाड़ी चालू की गई थी, क्या इस बीच उस पर किये गये प्रारम्भिक खर्च का अन्तिम हिसाब हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण पर वास्तव में कितना धन व्यय हुआ;

(ग) अब तक उस छोटी रेलगाड़ी से कितने बच्चे व बूढ़े मनोरंजन यात्रा कर चुके हैं; और

(घ) उसके संचालन और रख-रखाव की क्या व्यवस्था की गयी है ?

रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). एक विवरण साथ नत्थी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

भाग (क) जी हाँ, खर्च की थोड़ी सी रकम को छोड़कर जो खाते में नहीं दिखायी गई है ?

भाग (ख) खाते में दिखाया गया खर्च	१,६५,८१६.८६ रु०
अनुमानित खर्च जो अभी तक अन्तिम शीर्षकों में नहीं दिखाया गया है।	२,५००.०० रु०
जोड़ :	१,६८,३१६.८६ रु०

भाग (ग) (प्राप्त सूचना के अनुसार) १५–११–५८ से ६–२–५९ तक

बच्चे	१९,२९१
बूढ़े	कोई नहीं

भाग (घ) इसके संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी बाल भवन के अधिकारियों पर है।

बेजवाड़ा-गुदूर रेलवे सैक्शन

†१८०८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेजवाडा-गुदूर सेक्शन में फरवरी, १९५९ के अन्त तक यातायात के लिये कितनी अधिक दोहरी लाइन खुल गई थीं; और

(ख) इस कार्य पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) १८ फरवरी, १९५९ तक और ४.२७ मील की लाइन खुल गई और कुल लम्बाई २२ मील हो गई है।

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम

१८०९. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५८–५९ में किये गये प्रयत्नों का विवरण क्या है ;

(ख) इससे होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). निम्नलिखित २ बाढ़ नियंत्रण योजनायें जो दिसम्बर १९५७ में मंजूर की गई थीं १९५८–५९ वित्तीय वर्ष में चालू रहीं :—

क्रम सं०	बाढ़ नियंत्रण योजना का नाम	उससे होने वाले लाभ	योजना पर किया गया कुल खर्चा
(१)	जमुना नदी के दायें किनारे पर ठोकर (स्पर) नं० १३ को ५० फुट और बढ़ाना।	नदी के कटाव से नाला नं० १२ (बिजली-घर के पास) के बायें किनारे की रक्षा।	जनवरी, १९५९ के अन्त तक ३९,८३९ रुपये (काम मार्च, १९५९ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है)।
(२)	नाला नं० १२ के बायें किनारे के समकोण (राइट एन्गलस) पर २ आड़ी ठोकरें (क्रास स्पर्स) बनाना।	नदी के कटाव से नाला नं० १२ (बिजली-घर के पास) के बाएं किनारे की रक्षा।	जनवरी, १९५९ के अन्त तक १,१६,०८३ रुपये (काम मार्च, १९५९ के अन्त तक पूरा होने की आशा है)।

(२) १९५८–५९ में बाढ़ नियंत्रण के लिये केवल जनफगढ़ नाले के दुबारा श्रेणीबन्धन (रिग्रेडिंग) के सम्बन्ध में अन्तरिम योजना मंजूर हुई है। इस योजना के अन्तर्गत नजफगढ़ नाले के आर० डी० ६५,००० (ककरौला पुल) और आर० डी० १,२७,५०० (दिल्ली-रोहतक रेलवे पुल से नीचे) के बीच के हिस्से में से सिल्ट और अन्य रुकावटें हटाने का काम होना है। यह योजना १,४८,७४८ रुपये (विभागीय खर्चे को छोड़ कर) की अनुमानित लागत कर मंजूर की गई है। इस पर अभी कोई खर्चा नहीं हुआ है क्योंकि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (सी० पी० डब्ल्यु० डी०) ने, जिन्होंने यह काम करना है, अभी टेन्डर मंगाये हैं। आशा है यह योजना अगली बरसात के पहले पूरी हो जायेगी और इससे लगभग २९०० एकड़ भूमि से पानी की निकासी होगी और यह क्षेत्र रबी फसल के लिये पिछले वर्षों से पहले तैयार हो जायेगा।

(ख) जनवरी, १९५९ के अन्त तक १.१६ करोड़ रु०।

पंजाब में गोशाला विकास की योजना

†१८१०. **श्री वी० चं० शर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने गोशाला-विकास योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में दूध का संभरण बढ़ाने तथा उत्तम किस्म के ढोर पैदा करने के लिये १९५८–५९ में पंजाब राज्य में कितनी गोशालायें मंजूर की हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: १९५८–५९ में विकास के लिये कोई नई गोशाला नहीं ली जायेगी क्योंकि राज्य के लिये मंजूर अधिकतम सहायता विद्यमान नौ गोशालाओं के ही व्यय के लिये पर्याप्त है।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में भूमि उपयोग बोर्ड

†१८११. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ फरवरी १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूमि उपयोग बोर्ड ने उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कोई कार्य किया है जिन के लिये यह बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड ने उड़ीसा में क्या कार्य किया है; और

(ग) क्या बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :(क) तथा (ख) भूमि उपयोग बोर्ड ने भूमि उपयोग आदेश, १६५१ जारी करने तथा उड़ीसा कृषि अधिनियम, १६५१ बनाने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया है ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बोर्ड के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

अन्वेषक क्लब[1]

†१८१२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई चेनल तैराक श्री मिहिर सेन ने ध्रुव एंव सहारा तथा अमेजन बेसिनों में क्षेत्रों के अन्वेषण करने के लिये एक 'अन्वेणक क्लब' खोलने का विचार कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस कार्य के लिये सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें क्या सहायता दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सरकार को इस बारे में कोई सरकारी जानकारी नहीं है । परन्तु श्री मिहिर सेन ने कुछ समय पूर्व जब वह प्रधान मंत्री से मिले थे, कहा था उनकी इच्छा 'अन्वेषक क्लब' (एक्सप्लोरर्स क्लब) आरम्भ करने की है । ध्रुवों या सहारा या अमेजन बेसिन का कोई उल्लेख न किया गया था ।

(ख) तथा (ग) इस कार्य के लिये उन्हें सहायता देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है ।

कोटा में माल डिब्बा मरम्मत का नया कारखाना

†१८१३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री ओंकार लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने कोटा में माल डिब्बा मरम्मत कारखाना खोलने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना धन व्यय होगा तथा इस कार्य पर कितने व्यक्ति रखे जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] 'Explorers' club.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां।

(ख) कुल २.७ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। लगभग २००० व्यक्तियों को काम मिलेगा।

बोलपुर टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत

†१८१४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोलपुर (पश्चिमी बंगाल) के नये टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत पर, जो दिसम्बर १९५८ में खुला है, कितना निर्माण-व्यय हुआ ;

(ख) क्या उक्त इमारत में कर्मचारियों के लिये विश्राम तथा शौचादि के स्थान का प्रबन्ध है;

(ग) यदि नहीं तो क्यों;

(घ) क्या सरकार का विचार अब इनकी व्यवस्था करने का है;

(ङ) यदि हां तो कब; और

(च) क्या यह सच है कि इमारत के खुलने से पहिले ही कुआं ढह गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) २६,५४२ रु०।

(ख) विश्राम के स्थान का कोई प्रबन्ध नहीं है। अहाते में एक अलग शौचालय है।

(ग) एक समय में केवल एक टेलीफोन आपरेटर कार्य पर रहेगा और ऐसे एक्सचेंजों के लिए प्रायः विश्राम तथा शौचादि के स्थान का कोई पृथक प्रबन्ध नहीं किया जाता।

(घ) टेलीफोन एक्सचेंज की नई इमारत के प्रस्ताविक विस्तार में ये सुविधायें दी जायेंगी।

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष में।

(च) कुंआ बैठ गया है तथा कुंआ के चारों ओर ईंटों के बने भाग में कुछ दरारें पड़ गई हैं। कुंए की जगह खराब हो गई है और इसके और अधिक बैठने की संभावना है। विभाग मरम्मत के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

माल डिब्बे

†१८१५. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री म० र० कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये निर्माताओं को माल डिब्बों के लिए शिक्षात्मक क्रमादेश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये समवाय कौन कौन से हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११५**]

---

† मूल अंग्रेजी में

रेलगाड़ियों में चोरियां

†१८१६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-दिसम्बर १६५८ में पूर्व रेलवे पर हावड़ा और बर्दमान के बीच चलने वाली बिजली की रेलगाड़ियों से रेलवे सम्पति की चोरी की कितनी घटनायें हुई ; और

(ख) कितने मूल्य का रेलवे सामान चुराया गया तथा कितने मामलों का पता लगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). अप्रैल से दिसम्बर १६५८ तक ऐसी दस घटनायें हुईं जिन में लगभग ६२५ रु० की क्षति हुई। क्षति सीटों के ऊपरी कपड़े काटने तथा रबर के गद्दों में कुछ छेद करने से हुई। किसी भी मामले में अपराधी का पता नहीं लगा।

डमडम हवाई अड्डा

†१८१७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डम डम हवाई अड्डे पर विमान-दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता देने के लिए कोई चिकित्सा एकक है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी यातायात कार्य का विकेन्द्रीयकरण

†१८१८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६५६ में रेलों के विदेशी यातायात-कार्य के विकेन्द्रीय करण से कोई बचत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना धन बचा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). पूर्व विचार है कि प्रश्न अस्थायी लेखा शीघ्र कार्य के बारे में है जो अगस्त १६५२ से कलकत्ता में उत्तर पूर्व रेलवे तथा तत्कालीन अविभाजित पूर्व रेलवे का विदेश यातायात लेखा-कार्य कर रहा था। यह कार्यालय १६५६ में विकेन्द्रित कर दिया गया था क्योंकि साधारण सिद्धान्त यह अपनाया गया था प्रत्येक खंडीय रेलवे का अपने सारे कार्य पर, जिस में विदेश यातायात लेखा-कार्य भी सम्मिलित है स्वयं नियन्त्रण रखे। विकेन्द्रीयकरण का उद्देश्य कोई बचत करना न था।

त्रिपुरा सड़क

†१८१६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने अगस्त का नगर पालिका के अधीन अगरतला नगर की सड़कों पर तारकोल डालने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है ;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्य के लिए १० लाख रु० मांगे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो राशि की मंजूरी देने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अगरतला प्रशासन ने अगरतला नगर की १९.६८ मील लम्बी सड़कों को निम्न ढंगों से सुधारने की योजनायें तथा प्राक्कलन प्रस्तुत किये हैं ;

(१) १.१७ मील लम्बी तारकोल की सड़क को दोहरे यातायात के लिये चौड़ा करना ।

(२) विद्यमान १०.८६ मील लम्बी सीमेंट की सड़क का पुनर्वर्गीकरण करके तारकोल डालना ।

(३) ३.९३ मील लम्बी विद्यमान सीमेंट सड़क को फिर से बनाना ।

(४) सीमेन्ट से न बनी ३.७२ मील लम्बी विद्यमान सड़क को सीमेंन्ट का बनाना ।

(ख) इन कामों की अनुमानित लागत १०.७८ लाख रू० है ।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्ययक में इस व्यय के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया था । परन्तु यह व्यय क्षेत्र अनुदान में बचत में से पूरा किया जा सकता है एवं परिवहन तथा संचार मंत्रालय योजनाओं व प्राक्कलनों की जांच कर रहा है ।

त्रिपुरा में चावल का मूल्य

†१८२०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धर्मनगर, त्रिपुरा में चावल २० से २२ रु० तक प्रति मन बिक रहा है;

(ख) इस वर्ष धर्मनगर, त्रिपुरा में धान का कुल कितना उत्पादन हुआ था एवं क्या वह उत्पादन वस्ती के लोगों को अगली फसल आने तक के लिए काफी है या बाहर से मंगाने की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वहां उचित्त मूल्य की दुकानें खोलने का है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १७ फरवरी, १९५९ के आस पास बताया गया था कि धर्मनगर में चावल १९–२० रु० मन बिक रहा है ।

(ख) इस वर्ष धर्मनगर में धान का कुल उत्पादन लगभग ६ लाख मन बताया जाता है जो कि क्षेत्र की पूर्ण आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है । बाहर से कुछ संभरण का प्रबन्ध करना होगा ।

(ग) यदि आवश्यकता हुई तो उचित समय पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में फलों की खेती

१८२१. { श्री पद्म देव :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को फलों की खेती में बहुत कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ख) छात्रों को यह विषय पढ़ाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन को कोई विशेष कठिनाई का पता नहीं लगा है। प्रशासन को फल की खेती करने वालों की आवश्यकताओं का पूरा पता है और उनको सहायता देने का पूरा प्रयत्न कर रहा है ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में मालियों के प्रशिक्षण के लिये एक योजना चल रही है, जिसके अन्तर्गत फल की नर्सरी और बगीचों तथा उन से सम्बन्धित कृषि-गत अन्य मामलों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

सहकार विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

१८२२. **श्री पद्म देव** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में हिमाचल प्रदेश के सहकार विभाग के कर्मचारियों का प्रस्तावित प्रशिक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर और किस अभिकरण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख)

	कर्मचारी वर्ग जो १९५८-५९ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं	कर्मचारियों की संख्या	नाम केन्द्र व अभिकरण जिसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है
	१	२	३
१ (क)	कनिष्ठ सहकार अधिकारी-प्रशिक्षित	२३	सहकार प्रशिक्षण विद्यालय, मशोबरा, हिमाचल प्रदेश ।
(ख)	कनिष्ठ सहकार अधिकारी जो प्रशिक्षण पर रहे हैं	३२	

†मूल अंग्रेजी में

	१	२	३
२	निरीक्षक (मध्य स्तर) प्रशिक्षित	६	प्रदेशीय सहकार प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
३	निरीक्षक जिन्हें सहकारी विक्रय में प्रशिक्षण दिया गया ।	२	—
४	निरीक्षक जिन्हें भूमि बन्धक अधिकोषण में प्रशिक्षित किया गया	२	प्रदेशीय सहकार प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास ।
५	ज्येष्ठ सहकार अधिकारी प्रशिक्षित	४	सहकार प्रशिक्षण महाविद्यालय पूना ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर डिग्रियां

†१८२३. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित **प्रश्न संख्या** १०९ तथा ११० के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में रेलों से डिग्रियों की रकम वसूल करने के लिए १८५ डिग्रियों की इजराय क्यों करवानी पड़ी और डिग्री मंजूर होने पर डिग्रियों की रकम का भुगतान क्यों नहीं किया गया ; **और**

(ख) इन १८५ डिग्रियों के इजराय के मामलों में पूर्वोत्तर रेलवे को कितना भुगतान करना पड़ा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५७-५८ में १८५ डिग्रियों की इजराय के मामलों में से १२६ मामलों का संबंध उन न्यायालयों से है जो अब पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के क्षेत्राधिकार में हैं । इनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी । शेष ५९ मामलों में डिग्रियों के पूर्ति न करने के कारणों का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११६]**

(ख) केवल ३६ मामलों में ६४६ रु० । शेष मामलों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के अधिकारियों को आवास सुविधा

†१८२४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उच्च पदाधिकारियों के अतिरिक्त और किन्हीं कर्मचारियों को आवास सुविधा या मकान किराया नहीं दिया जाता ; **और**

(ख) निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के बीच आवास के मामले में भेद भाव का क्या कारण है ?

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पदाधिकारियों को भत्ते

†१८२५. **श्री वें० प० नायर**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कुछ उच्चतम पदाधिकारियों के लिये मकान भत्ते के साथ ही मोटर भता और मनोविनोद भता भी मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये पदाधिकारी किन वर्गों के हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उन पदाधिकारियों की श्रेणी बताने वाला एक विवरण संलग्न है जिनको मकान किराया भत्ता के साथ ही मोटर भत्ता और मनोविनोद भत्ता भी मिलता है ।

विवरण

१. मोटर भत्ता

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के चेयरमैन और जनरल मैनेजर जो प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी होते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति शर्तों के अंश के रूप में सरकारी कार्य के लिये निगम की गाड़ियां निःशुल्क इस्तेमाल करने की अनुमति है ।

मुख्यालयों और क्षेत्रों के विभागाध्यक्षों को सरकारी काम के लिये निगम की गाड़ियां निःशुल्क इस्तेमाल करने अथवा उसके बदले आने-जाने का भत्ता मिलता है ।

२. मनोविनोद भत्ता

निगम के चेयरमैन और जनरल मैनेजर को उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के रूप में मनोविनोद भत्ता मिलता है । निगम के अन्य किसी पदाधिकारी को मनोविनोद भत्ता नहीं मिलता । मुख्यालयों और तीन क्षेत्रों को उचित निधि मनोविनोद पर व्यय के लिये आवंटित कर दी गई है जो विभिन्न स्टेशनों के अध्यक्षों निगम के व्यापार में वृद्धि पर व्यय करने के लिये अधिकृत कर देते हैं ।

३. मकान किराया भत्ता

निगम ने मुख्यालयों में तीन विभागाध्यक्षों के इस्तेमाल के लिये तथा बम्बई और कलकत्ता में एरिया मैनेजरों के लिये गैर-सरकारी आवास पट्टे पर लिया है । पदाधिकारियों से उनके सकल वेतन का १५ प्रतिशत मकान किराया तथा अधिक से अधिक २५० रुपये प्रति मास मकान किराया वसूल किया जाता है, शेष किराया निगम देता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे संरक्षण बल में अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की भर्ती

†१८२६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९५८ में रेलवे बोर्ड के आदेश पारित होने के बाद से रेलवे संरक्षण बल में कुछ भर्तियां की गई हैं जिस में अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिये ऊंचाई में कुछ कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे में ऐसे कितने लोगों की भर्ती की गई है ;

(ग) क्या इन सभी मामलों में बोर्ड के आदेशों का पूर्णरूपेण पालन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सभी रेलों पर ऐसा आदेश पारित हो जाने से लेकर अब तक कितने लोगों की भर्ती की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां सितम्बर, १९५८ से जब कि आदेश जारी किये गये थे।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां।

(घ) अनुसूचित आदिम जातियों के १४२ लोग।

रेल भाड़े

†१८२७. **श्री दामानी :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५८ में पुनरीक्षित भाड़े लागू हो जाने से विभिन्न जोनल रेलों की आय कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निम्न काल में भाड़े से हुई आय बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(१) १ अक्तूबर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८

(२) १ अप्रैल, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ तथा

(३) १ अक्तूबर, १९५८ से अब तक ; और

(घ) अक्तूबर से दिसम्बर, १९५८ में १९५७ में इसी काल की तुलना में छोटी और बड़ी दोनों लाइनों पर माल भेजने से कितनी आय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११७]** १-१०-५८ से आगे के आंकड़े केवल ३१-१२-१९५८ तक के ही हैं क्योंकि उस से आगे के लेखा परीक्षा किये हुये आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण अनुबन्ध 'ख' के रूप में सलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११८]**

त्रिपुरा में जल संभरण

†१८२८. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धर्मनगर, त्रिपुरा के अधिकांश लोगों को बहुत दिनों से पीने के पानी के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, त्रिपुरा प्रशासन को वहां पीने के शुद्ध पानी की कमी के बारे में पूरी जानकारी है जिस में धर्मनगर उप विभाग भी शामिल है।

(ख) प्रशासन गांवों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करने के लिये तात्कालिक कार्यवाही कर रहा है। जिस में धर्मनगर उप-विभाग भी शामिल है। उप-विभाग में अब तक ९३ नल कूप और कूएं बनवाये जा चुके हैं। चालू वर्ष में ९ नल कूप तथा २० पक्क कुंयें बनवाने का विचार है।

समय सारणी

†१८२९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे समय सारणी की अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कितनी प्रतियां छपवाई गईं तथा १९५८ में इनकी बिक्री से रेलों को कितनी आय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जानकारी निम्न विवरण में दी गई है :

समय सारणी जब से लागू होगी	अंग्रेजी		प्रादेशिक भाषाऐं	
	छापी गई प्रतियों की संख्या	बिक्री से आय	छापी गई प्रतियों की संख्या	बिक्री से आय
१ जनवरी, १९५८ .	१,२८,०००	२६,७५५.३० न. पै.	जारी नहीं की गईं ।	..
१ अप्रैल, १९५८	४,३१,६५०	९४,१९१.८० नं. पै.	१,४३,९००	३२,३२४.७३ न. पै.
१ जुलाई, १९५८	८८,०००	१८,२९९.७१ न. पै.	२,५००	६१८.५० न. पै.
१ अक्तूबर, १९५८	४,२१,३७५	*	१,४८,७००	*
योग	१०,६९,०२५	१,३९,२४६.८१ न० पै०	२,९५,१००	३२,९४३.२३ न० पै०

*यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि १ अक्तूबर, १९५८ से लागू होने वाली समय सारणी अभी बिक रही है ।

† मल अंग्रेजी में

रेलवे भण्डारों में चोरियां

१८३०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ में रेलवे विभागीय भण्डारों और लोको शैडों से कितने मूल्य का माल चुराया गया ;

(ख) उपरोक्त कालावधि में कितनी चोरियां हुईं ; और

(ग) उन चोरियों में से कितनी चोरियों का पता लगा और कितनी चोरियों का पता नहीं लगाया जा सका ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४,५४,३९० रुपये ।

(ख) २९०८ ।

(ग) ७१४ चोरियों का पता लगा और २,१९४ चोरियों का पता नहीं लग सका ।

बम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

†१८३१. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्न :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ पर पज्यानूर के निकट पेरुम्बाई पुल बन कर तैयार हो चुका है ; और

(ख) पुल के इस्तेमाल के लायक होने की कब तक आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी नहीं ।

(ख) जानकारी राज्य-लोक निर्माण विभाग से प्राप्त की जा रही है ।

चिकित्सा विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी

†१८३२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २७ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी राज्य सरकारों तथा अन्य निकायों की संख्या कितनी है जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान के लिये राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना करने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** अभी तक कहीं से नहीं ।

दामोदर घाटी निगम नहर पर बैलगाड़ियां ले जाने वाली नावें

†१८३३. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान ज़िले के रसूलपुर और चन्चाई के बीच सड़क को काटने वाली दामोदर घाटी निगम नहर कड़ी संख्या २९०४ पर जहां नावें चल सकती हैं, दामोदर घाटी निगम की बैलगाड़ी ले जाने वाली नावों पर कितना व्यय होता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को पता है कि फसल काटने और वर्षा ऋतु में कृषकों की आवश्यकता बैलगाड़ी ले जाने वाली नावों से पूरी नहीं हो पाती ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दो हजार रुपये वार्षिक ।

(ख) और (ग). नाव की व्यवस्था गाड़ियों और पैदल आने-जाने वालों को सारे वर्ष नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिये की गई है । नाव से नहर पार करना उस समय कठिन हो जाता है जबकि पानी सूख जाने से उस में कम पानी रह जाता है । जुलाई, १९५९ से यह कठिनाई दूर हो जायेगी जबकि नौवहन नहर चलने लगेगी ।

रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता

†१८३४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कोडियान :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग कलकत्ता द्वारा क्लर्कों के स्थान के लिये बहुत से उम्मीदवार चुने गये थे और जिन्हें १९५६ से १९५९ तक प्रतीक्षा-सूची में रखा गया है ;

(ख) क्या यह भी प्रक्रिया है कि पिछली परीक्षा के सफल उम्मीदवार अभी प्रतीक्षा-सूची पर ही हैं जबकि नये चुनाव किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पिछले चुने गये लोग जब तक बाकी हैं तब तक नये चुनाव करना कहां तक न्यायोचित है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

देशी चिकित्सा प्रणाली

१८३५. **श्री ई० मधुसूदन राव :**
श्री कोरटकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देशी चिकित्सा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं का स्तर ऊंचा करने और देशी चिकित्सा में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में जैसा कि दवे समिति ने सिफारिश की थी, केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : चिकित्सा-शिक्षा मुख्यत: राज्य का विषय है ।

दवे समिति की सिफारिशें केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के समक्ष उस की जनवरी, १९५८ में हुई बैठक में रखी गई थीं जिन पर परिषद् ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया—

"दवे समिति की सिफारिशों पर व्यक्त किये गये अभिमत पर विचार करने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की राय है कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी राज्यों के लिये एक

---

†मूल अंग्रेजी में

सी नीति निर्धारित नहीं की जा सकती और वह राज्य सरकारों से सिफारिश करती है कि वे आयुर्वेद तथा अन्य स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिये ऐसे कदम उठायें जो उन्हें व्यवहारिक एवं उपयुक्त प्रतीत हों । यह परिषद् यह भी सिफारिश करती है कि केन्द्रीय सरकार आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और अन्य देशी चिकित्सा प्रणालियों में अनुसन्धान को सक्रिय प्रोत्साहन दे ।"

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के सभी पहलुओं में उस के वर्तमान स्तर के निर्धारण तथा मूल्यांकन के लिये भारत सरकार ने हाल में ही एक दूसरी समिति बनाई । आयुर्वेदिक प्रशिक्षण के वर्तमान स्तर के सुधार तथा देश भर में इस विषय में एकरूपता लाने के लिये इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों की छान-बीन की जा रही है ।

समिति ने सुझाव रखा है कि आयुर्वेद के सम्बन्ध में उस की सिफारिशें सामान्यतः यूनानी और सिद्ध जैसी अन्य स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों पर भी लागू होंगी ।

सीसे की छड़ों की चोरी

†१८३६. **श्री बि० दास गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कट्रासगढ़ रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) के मार्शेलिंग यार्ड की रेलवे लाइनों के बीच २७ जुलाई, १९५८ की रात में राख के ढेर में से चोरी गये १३ सीसे की छड़ें मिली थीं ;

(ख) क्या ये सीसे की छड़ें स्मिलटर में टुंडू मेटल वर्क्स में बनाई गई थीं तथा इन की चोरी मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया के साइडिंग से भेजे जाने वाले मालगाड़ी के डिब्बों में से की गई थी और जिन की बुकिंग २५ जुलाई, १९५८ को कट्रासगढ़ माल शेड से की गई थी ;

(ग) क्या रेलवे के उस सेक्टर में मालगाड़ी के डिब्बे तोड़ कर उस में से माल निकाल ले जाने वालों के बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी है और क्या उस ने इसके बारे में धनबाद रेलवे पुलिस को सूचना दे दी है ; और

(घ) क्या सरकारी रेलवे पुलिस धनबाद ने अपराधियों को पकड़ने के बारे में कोई कार्यवाही करने के लिये मना कर दिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) यह स्पष्ट नहीं पता है कि उन को मालगाड़ी के डिब्बों से चुरा कर ले जाया गया था अथवा उस में लादी भी गई थीं या नहीं ।

(ग) कुछ सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस को कच्चा सीसा राख के ढेर में से मिला था । जिस ने उसे बाद को निगम को लौटा दिया ।

(घ) हमें जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन

†१८३७. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का रेलवे मंत्री से जो सम्मेलन हुआ था उस का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११९]**

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये वर्दी और थैले

†१८३८. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये वर्दियों और थैलों के संभरण का ठेका सम्पूर्ण भारत के आधार पर दिया जाता है अथवा प्रदेश के आधार पर ;

(ख) १९५७-५८ में कुल कितनी राशि का ठेका दिया गया ; और

(ग) क्या इस मामले में सरकार को १९५८-५९ में किसी संभरणकर्ता के पास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स ० का० पाटिल)** : जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मत्स्य पालन सहकारी समितियां

†१८३९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के मोइरांग में उसी क्षेत्र में काम करने के लिये मोइरांग में मत्स्य पालन की दो सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक ही क्षेत्र में काम करने के लिये एक से अधिक समिति के पंजीयन के लिये नियमों के अधीन अनुमति दी जा सकती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा करने में कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार कर्मचारी

†१८४०. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बर्मा सरकार के डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है जिस के कारण उन की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) भूतपूर्व बर्मा सरकार के कर्मचारियों की वरिष्ठता सामान्यत: सरकारी आदेशों के अनुसार तय की जाती है । भूतपूर्व बर्मा कर्मचारियों की वरिष्ठता कुछ मामलों में अन्तिम रूप से अभी निश्चित नहीं हो पाई है ।

(ख) डाक तथा तार सर्किलों के अध्यक्षों से कहा गया है कि वे बिना और विलम्ब किये उन की वरिष्ठता के बारे में अन्तिम निर्णय कर लें तथा इस की प्रगति डाक तथा तार निदेशालय देखता रहेगा ।

उड़ीसा में नगर जल संभरण की योजनायें

†१८४१. **श्री पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने १९५८-५९ में उड़ीसा में नगरीय जल संभरण योजनायें लागू करने के लिये मूलत: २० लाख रुपये की राशि आवंटित की थी ;

(ख) क्या ये योजनायें अब लागू कर दी गई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मूल आवंटन में कमी कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां तक ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). योजना आयोग के कार्यकारी दल ने उड़ीसा को १९५८-५९ में २० लाख रुपये मंजूर करने की सिफारिश की है किन्तु वास्तव में आवंटन १३·० लाख रुपया का किया गया था ।

(घ) २८ जनवरी, १९५९ को कार्यान्वित करने के लिये उड़ीसा की नगरीय जल की चार योजनायें मंजूर की गई हैं ।

बच्चों द्वारा नये पैसों का निगला जाना

†१८४२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में १९५८-५९ में अब तक बच्चों द्वारा नये पैसे निगले जाने के कारण कितने बच्चे अस्पताल में भर्ती किये गये ; और

(ख) इस बारे में सरकार क्या पूर्वोपाय करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५८ में ८ और १९५९ में ६ ऐसे बच्चे इर्विन अस्पताल में भर्ती किये जाने के बारे में सूचना मिली है । दिल्ली के किसी और अस्पताल में इस बारे में कोई भर्ती नहीं हुई ।

(घ) कोई विशेष पूर्वोपाय करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है ।

रेलवे स्टेशनों पर सामान रखने के लिये सुविधायें

†१८४३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री उत्तर रेलवे के फीरोजपुर डिवीज़न के उन स्टेशनों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन पर सामान रखने की सुविधायें विद्यमान हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जालन्धर सिटी, लुधियाना, अमृतसर और पठानकोट स्टेशनों पर सामान बुक कराने का कार्यालय तथा सामान रखने की व्यवस्था है ।

रेलवे कर्मचारियों की अभिरक्षा में सामान छोड़ देने की सुविधा फीरोजपुर डिवीज़न के सभी अन्य स्टेशनों पर भी उपलब्ध है । चूंकि कर्मचारियों को यह आदेश है कि जिन स्टेशनों पर सामान रखने की व्यवस्था है उन पर सामान्य किराया ले कर ही उस की अभिरक्षा में सामान रखा जा सकता है ।

पंजाब में सिंचाई कार्य

†१८४४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक सिंचाई के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : पंजाब राज्य में १९५७-५८ और १९५८-५९ में बड़े और मध्यम दर्जे के सिंचाई क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिये स्वीकृत व्यय इस प्रकार है :—

	स्वीकृत व्यय	
	१९५७-५८	१९५८-५९
१. भाखड़ा नंगल को शामिल कर योजनायें . .	४ करोड़	३.४७ करोड़
२. भाखड़ा नंगल (विद्युत को मिला कर) . .	१० "	१२.२५ "

पुरुलिया जंक्शन पर पीने का पानी

†१८४५. **श्री बि० दास गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरुलिया जंक्शन (दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा जिले) पर रेलवे की बस्ती के यात्रियों को जो बिना छना पानी दिया जाता है वह रसायनिक दृष्टि से पीने के लिये अनुपयुक्त पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) पानी उबालने के बाद पीने के योग्य होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चेतावनी देने के अलावा जो बस्ती और स्टेशन पर महत्वपूर्ण स्थानों पर लिख कर लगवा दी गई है कि पानी उबाल कर पीने के योग्य होता है, वर्षा ऋतु में क्लोरीन और फिटकरी मिला पानी दिया जाता है ।

जल संभरण में वृद्धि करने की योजना के अंग के रूप में एक प्रेशर फिल्टर और क्लोरीन संयंत्र लगाने के लिये मंजूरी दे दी गई है । योजना प्रगति पर है ।

खाद संसाधनों का विकास

†१८४६. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ले कर अब तक गांवों में उपलब्ध खाद संसाधनों का संरक्षण और विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या-क्या सुविधायें देने का प्रस्ताव किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** मांगी गई जानकारी बताने वाला एक टिप्पण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १२०]**

रेलवे के पुल

†१८४७. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे पर मसानगांव और हरसूद के बीच के पुल की मरम्मत की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस पुल के निकट एक अस्थायी लाइन बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस अस्थायी लाइन पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(घ) पुल की मरम्मत का काम कब तक पूरा होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) भुसावल-इटारसी सेक्शन पर मसानगांव और हरसूद स्टेशनों का कलिमचक पुल मज़बूत किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). १.५७ लाख रुपये व्यय कर के सारे यातायात का मार्ग बदल दिया गया है और पुल के गर्डरों को मजबूत किया जा रहा है ।

(घ) मजबूती का काम आशा है जून, १९५९ तक पूरा हो जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनायें

†१८४८. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष में सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ७.०८ करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो राज्य के बड़े-बड़े सिंचाई के कार्य कौन-कौन हैं जिन पर यह धनराशि व्यय की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) उत्तर प्रदेश में १९५९-६० में सिंचाई के बड़े और मध्यम दर्जे के निर्माण कार्यों के लिये ५·४३ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ख) जिन बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं पर यह राशि व्यय की जायेगी उनके नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२१]**.

केन्द्रीय डेरी, दिल्ली

१८४९. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मशीन, जो एक घंटे में १८ हजार बोतलों को साफ कर सकती है, केन्द्रीय डेरी, दिल्ली में लगायी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत यह मशीन लायी जा रही है और यह कहां से प्राप्त की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) केन्द्रीय डेरी, दिल्ली में स्थापित की जाने वाली बोतलों को धोने की मशीनों की क्षमता १५,००० बोतलें प्रति घंटा प्रति मशीन है।

(ख) बोतल धोने की मशीनों की प्राप्ति का कार्य दिल्ली मिल्क स्कीम के अन्तर्गत है और वे यूनाइटेड किंग्डम से खरीदी गई हैं।

केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड

†१८५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के लिये विद्युत् बोर्ड के नमूने का स्वायत शासी अथवा अर्द्ध स्वायत्तशासी केन्द्रीय सिंचाई बोर्डों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्थिति पर है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय बच्चों के लिये यूनिसेफ सहायता

†१८५१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के कार्यकारी निदेशक ने यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड से भारतीय बच्चों की सहायता के लिये २८६,७०० डालर आवंटित करने की सिफारिश की है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन का उपयोग किस तरीके से किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक ने यूनिसेफ कार्यकारी बोर्ड के मार्च, १९५९ के सत्र के लिये सहमति देने की सिफारिश की है जिस के अनुसार भारत की विभिन्न यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये २,८६७,७०० डालर आवंटित किये गये हैं २८६,७०० डालर नहीं (जैसाकि प्रश्न में बताया गया है) ।

यूनिसेफ सहायता केवल बच्चों के लिये न हो कर गर्भवती महिलाओं और जच्चाओं के लिये है ।

(ख) २,८६७,७०० डालर जो आवंटित किये गये हैं उन का उपयोग निम्न प्रकार किया जायेगा :

	डालर
(१) विस्तृत पौष्टिक आहार परियोजना, उड़ीसा .	१६५,०००
(२) मातृ शिशु कल्याण तथा स्कूल के बच्चों को दूध पिलाना (३४८ लाख पाउण्ड सुखाया हुआ मक्खन निकला दूध) .	८७०,७०० (भाड़ा)
(३) दुग्ध संरक्षण बम्बई नगर, डेरी .	१,०००,०००
(४) दुग्ध संरक्षण राजकोट	१५०,०००
(५) क्षय नियंत्रण	३३०,०००
(६) बी० सी० जी० आन्दोलन	२७९,०००
(७) डी० डी० टी० संयंत्र दिल्ली . . .	७३,०००
योग . . .	२,८६७,७००

रेलवे में चोरियां

†१८५२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में उत्तर रेलवे में चोरियों और लूट के मामलों की क्या संख्या है और उन का यह ब्योरा क्या है : (१) कितने मुकदमे किये गये (२) कितने व्यक्तियों को 'चार्ज-शीट' किया गया (३) कितने मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया (४) कितने व्यक्तियों का दोष सिद्ध हुआ और (५) डिवीज़न वार रेलवे, यात्रियों और अन्य लोगों की कितनी हानि हुई ; और

(ख) उत्तर रेलवे पर चोरियों आदि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष १९५८

डिवीज़न	चलाये गये मुकदमे	चार्ज शीटों की संख्या	अंतिम प्रतिवेदन वाले मामलों की संख्या	दोष-सिद्धियों की संख्या	हानि		
					रेलवे	यात्री	अन्य लोग
इलाहाबाद :							
चोरियां .	५१८	२६१	१८४	११६	३८,९८०	१,३१,६८३	..
डकैतियां .	४		२	..		३२२	४,६००
लखनऊ :							
चोरियां	२५०	९७	१३४	८२	४६,४७३	५८,४२२	४२३
डकैतियां .	३	२		१	..	३००	..
मुरादाबाद :							
चोरियां .	२९७	११९	१५०	५६	२०,२३८	४१,७२०	७३
डकैतियां .		..	..	..		..	..
दिल्ली :							
चोरियां .	७८४	२७४	२१७	१९२	१,१०,८४८	१७,८१५	..
डकैतियां .	६	..				१३९	..
फ़ीरोजपुर :							
चोरियां .	२८५	१३९	१०८	७७	२१,४१८	१४,०५१	..
डकैतियां .	२	१	१	..		१२०	..
जोधपुर :							
चोरियां	२३	५	१५	२	१४	५,७३६	
डकैतियां .	..	..		..	..	..	..
बीकानेर :							
चोरियां	६४	३०	२५	१२	१,४५३	६३१	..
डकैतियां .	३	..	..	..	..	२००	..

१९५९ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) चोरियों और डकैतियों को रोकने के लिये सरकार ने यह कार्यवाही की है :—

(१) सरकारी रेलवे पुलिस बहुत सतर्क हो गई है और वह उन सवारी गाड़ियों के साथ जाती है जिन में चोरियां और डकैतियां हो चुकी हैं और माल गाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी रहते हैं ।

(२) जिन क्षेत्रों, यार्डों और दुकानों में चोरियां हो चुकी हैं वहां सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल गश्त करती है ।

†मूल अंग्रेजी में

(३) बड़े-बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के लिये सहायक हैं ।

(४) चोरी का जो भी मामला ध्यान में आता है वह पुलिस को सौंप दिया जाता है, उस की रोकथाम की जाती है और जांच करने में पुलिस को पूरी सहायता दी जाती है ।

(५) बचाव के साधनों की व्यवस्था की जाती है और यात्रियों से प्रार्थना की जाती है कि वे उन का प्रयोग करें ।

(६) गाड़ियों में और प्लेटफार्मों पर नियुक्त रेल कर्मचारियों को कहा जाता है कि वे अकेली सफर कर रही महिलाओं का और महिलाओं के डिब्बों का विशेष ध्यान रखें ।

पंजाब में औद्यानिक विकास[1]

†१८५३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में पंजाब में औद्यानिक विकास के लिये कितनी राशि दी गई है; और

(ख) कितनी योजनायें स्वीकृत की गईं तथा कार्यान्वित की गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) १९५८-५९ में पंजाब में औद्यानिक विकास के लिये कुल ११,२०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) स्वीकृत योजनायें ये हैं :–

१. फल की पैदावार का विकास ।

२. कुलु में बागबानों का प्रशिक्षण ।

३. पटियाला में बागबानों का प्रशिक्षण ।

४. प्रमुख फलों सम्बन्धी गवेषणा को गहन बनाना ।

५. डिब्बों फल परिरक्षित करने वाले छोटे उपक्रमों को ऋण देना ।

क्रम संख्या ४ के अतिरिक्त शेष सभी योजनायें चल रही हैं ।

पंजाब में छोटी सिंचाई योजनाएं

†१८५४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में पंजाब में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये पंजाब को कितनी राशि दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Horticultural Development.

(ख) उनका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२२**].

मुख्य पत्तनों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

†**१८५५. श्री इलिया पेरुमाल**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के मुख्य पत्तनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति गजेटिड और नान-गजेटिड पदों पर ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर और सुपरिंटेंडेंट हैं; और

(ख) कितनों को प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया गया था और कितनों को १६५० से १६५८ तक वर्षवार पदोन्नत करके ये पद दिये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). पत्तन प्रशासनों से जानकारी मांगी गई है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मकान का किराया

†**१८५६.** { **श्री ईश्वर अय्यर** :
श्री तंगामणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ दिसम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मासिक आधार पर रखे गये कर्मचारियों को १ जनवरी, १६५२ से २३ अप्रैल, १६५७ तक के मकान के किराया भत्ते की बकाया राशि चुका दी गई है;

(ख) क्या उनको बकाया भत्ते का भुगतान कर दिया गया है जो अब भी मासिक आधार पर ही काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मासिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को १-१-१६५६ से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है । नियम अनुसार मकान किराया भत्ता देने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

लाजपत नगर में क्वार्टर

†**१८५७. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १६५७ में लाजपत नगर में ३६ यूनिट क्वार्टरों के निर्माण का काम आरम्भ हुआ था;

(ख) क्या क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) कार्य पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). आशा है कि वे अप्रैल, १९५९ की समाप्ति तक तैयार हो जायेंगे ।

स्नोडन राज्य अस्पताल, शिमला

१८५८. श्री पद्म देव: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में पृथक्-पृथक्, स्नोडन राज्य अस्पताल, शिमला में कितने रोगी प्रविष्ट किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (१) १९५७ में ३७१८ और (२) १९५८ में ३४९१ ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

†**१८५९. श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० दिसम्बर, १९५८ और ८ फरवरी, १९५९ को बड़ोदा हाऊस, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में क्लर्कों की नौकरियों के लिये जो परीक्षा हुई थी उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार थे;

(ख) अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार क्लर्क नियुक्त किये गये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ये परीक्षायें केवल क्लर्कों की नौकरियों के लिये नहीं बल्कि तृतीय श्रेणी के विभिन्न वर्गों के लिये की गई थीं । मिलीजुली परीक्षाओं के लिये आंकड़े निम्नलिखित हैं :

परीक्षा की तिथि	अनुसूचित जाति के उमीदवारों की संख्या
२०-१२-५८	१७६
८-२-५९	६८५

(ख)

परीक्षा	चुने गये व्यक्ति	नियुक्त किये गये
२०-१२-५८	१२	अभी नहीं
८-२-५९	अभी नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

(ग) २०-१२-५८ को हुई परीक्षा में जो उम्मीदवार पास हुए उनका इंटरव्यू २७-२-५९ को किया गया और १२ उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की । यथासम्भव उन्हें नियुक्त कर दिया जायेगा ।

८-२-५९ को जो परीक्षा हुई थी उसके पर्चे अभी नहीं जांचे गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाना

†१८६०. **श्री इलिया पेरुमाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये मद्रास राज्य को १९५८-५९ में कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) रोजगार का क्षेत्र विस्तृत करने के लिये ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करने की योजना के अन्तर्गत मद्रास राज्य को १९५८-५९ में १०.१७ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रों का सर्वेक्षण

†१८६१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ स्वास्थ्य मंत्रालय का टाऊन प्लानिंग संगठन दिल्ली के वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण में लगभग २००० फर्मों के साथ इन्टरव्यू करके और आंकड़े जमा किये जायेंगे । यह काम २३ जनवरी, १९५९ को शुरू किया गया था और फरवरी, १९५९ तक ४३० फर्मों से जानकारी एकत्र की गई थी ।

मद्रास राज्य के चिदाम्बरम स्थान पर गन्दी नालियों की व्यवस्था

†१८६२. **श्री इलिया पेरुमाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में चिदाम्बरम के लिये भूमिगत गन्दी नालियों की व्यवस्था करने के लिये मद्रास राज्य से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी केन्द्र

१८६३. श्री म० ना० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न रेलवे विभागों में रेलवे कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये कितने हिन्दी केन्द्र हैं; और

(ख) चालू वर्ष में कितने और हिन्दी केन्द्र खोलने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी तारबाबू

१८६४. श्री म० ना० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में हिन्दी में तार देने की प्रणाली सीखने के लिये तारबाबुओं को पुरस्कार देने के लिये कोई योजना चालू की गयी है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी में तार देने की प्रणाली सीखने के लिये अब तक कितने लोगों को पुरस्कार दिये गये हैं ;

(ग) अब तक कितने लोगों ने हिन्दी में तार देने की प्रणाली सीख ली है :

(घ) कुल तारबाबुओं में ये लोग कितने प्रतिशत हैं ; और

(ङ) गत वर्ष इस दिशा में क्या प्रगति हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क)जी हां, अक्टूबर १९५७ में रेल-प्रशासनों को यह हिदायत दी गयी थी कि तीन साल तक हिन्दी मोर्स सीखने के लिए जितने तारबाबुओं को चुना जाय, हिन्दी मोर्स सीख लेने के बाद उन्हें ५०–५० रुपये का मानदेय दिया जा सकता है। मानदेय पाने वाले तारबाबुओं की संख्या वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

(ख) से (घ). रेल प्रशासनों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जयेगी ।

परिवार नियोजन

†**१८६५. श्रीराम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार युवक डाक्टरों को वन्ध्याकरण का प्रशिक्षण दिलाने के लिये एक शिविर लगाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोलीवर्षा

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री हेम बरुआ और श्री स० म० बनर्जी की ओर से तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा पश्चिमी बंगाल–पूर्वी पाकिस्तान के सीमान्त पर ११ मार्च, १९५९ को मुर्शिदाबाद ज़िले के तीन भारतीय गांवों पर भारी गोलो वर्षा को जाने तथा अमरीकी गोला बारूद के प्रयोग से उस क्षेत्र में लोगों की जान और माल के लिये भारी खतरा उत्पन्न हो गया है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार पाकिस्तान की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख सकी है । पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सीमान्त पुलिस को हटाकर सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी है । इन सैनिक टुकड़ियों ने हमारी सीमा रेखा का उल्लंघन करके हमारे राष्ट्रजनों का अपहरण किया है । उन्होंने अन्धाधुन्ध गोली चलाना प्रारम्भ किया है । हमारे तीन गांव खाली हो चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हमारे सीमान्त पर गोली वर्षा की यह प्रथम घटना है ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : जी हां, मुर्शिदाबाद राजशाही क्षेत्र में यह प्रथम घटना है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं सिर्फ इसी क्षेत्र में गत १५ जनवरी को नेहरू–नून करार क्रियान्वित किया गया था । अब उन्होंने फिर गोली वर्षा प्रारम्भ कर दी है । इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ है कि वे अमरीकी युद्धोपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं । उन्होंने हमारे देशवासियों की सम्पत्ति का हरण किया है और स्त्रियों के साथ बलात्कार किया है । इसलिए मुझे आशा है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : श्री त्रिदीब कुमार ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों ने खाइयां खोदी हैं तथा वे नावों और मोटरों का प्रयोग कर रहे हैं तथा उनके सैनिक इस कार्य में भाग लें रहेहैं । मेरे विचार से पाकिस्तान अमेरिका के सहयोग से यह सब कर रहा है । हो सकता है मेरी बात गलत हो परन्तु यह एक गंभीर विषय है ।

†**श्री ही० ना मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये । मैं ने कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' में पढ़ा है कि कलकत्ता की पुलिस को पाकिस्तानियों द्वारा अमरीकी युद्धोपकरणों का प्रयोग किए जाने का समाचार मिला है । यह एक गंभीर मामला है । इस लिए हमें अपना अन्य कार्य स्थगित करके इस पर विचार करना चाहिए । अमेरिका की सरकार ने हमारी सरकार को आश्वासन दिया था कि अमेरिकी सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा । परन्तु इस समाचार के अनुसार उस आश्वासन का भंग किया जा रहा है । इसलिए यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाना चाहिए और हमें उस पर विचार करना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्यों ने अनेक तथ्यों और आरोपों का उल्लेख किया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की घटनायें कितनी कष्टप्रद होती हैं। जैसा मैंने पिछले दिन कहा था इन हमलों से जानो माल का नुकसान भले ही ज्यादा न हो पर उनसे उन क्षेत्रों में असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। मैं ने उस समय भी यह कहा था और अब फिर कहता हूं कि इन घटनाओं में सीमा के अतिक्रमण का प्रश्न नहीं है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। परन्तु जब सीमा के उस ओर से ही गोली चलाई जाती है तब ऐसी स्थिति का सामना करना जरा मुश्किल होता है।

मौजूदा मामले में, जहां तक मुझे मालूम हो सका है, और जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी इशारा किया हुआ है ऐसा हुआ कि १५ जनवरी को मुर्शिदाबाद जिले में कुछ प्रदेश का विनिमय हुआ और इसी के दौरान अलसी के खेत में फसल की कटाई के प्रश्न को लेकर झगड़ा हो गया और यह गोली वर्षा की गई। परन्तु जिस बात पर अधिक बल दिया गया है वह है अमेरिकी हथियारों का प्रयोग किया जाना।

मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जहां तक हमारी जानकारी है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में जो समझौता हुआ है उसका इन सीमान्त हमलों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इन दो बातों को एक में मिलाना ठीक नहीं है।

विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया। मुझे उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है और मैं नहीं कह सकता कि वह कहां तक सच है। हमें यह भी यदि रखना चाहिए कि यदि कोई अमेरिकी हथियार वगैरह मिलते भी हैं तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह अमेरिका द्वारा दी गई सैनिक सहायता में विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं अथवा वैसे ही सामान्य रूप में उनसे खरीदे हुए हैं। पहले भी एक बार काश्मीर में युद्धविराम रेखा पर कुछ हथियार वगैरह मिले थे। उनके संबंध में यह तो निश्चय था कि वे अमेरिका में निर्मित हुये थे परन्तु यह नहीं कहा जा सकता था कि वे सामान्य बाजार में खरीदे गए थे अथवा सैनिक सहायता के रूप में प्राप्त हुये थे। जहां तक पूर्वी सीमान्त का संबंध है हमें अभी तक कोई अधिकृत जानकारी अमेरिकी हथियारों आदि के पाए जाने के संबंध में नहीं मिली है। समाचार पत्रों में जो इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं उनके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता।

इसलिए मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की पारस्परिक सहायता संधि के प्रश्न को अलग रखा जाए क्योंकि मैं समझता हूं कि उसका इन हमलों से कोई संबंध नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान को जो भी सैनिक सहायता मिलेगी उससे उसकी आक्रमणात्मक प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

†**श्री हेम बरुआ** : पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों आदि को बेकार थोड़े ही रखे रहेगा, उनका प्रयोग करना अत्यन्त स्वाभाविक है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह विचित्र तर्क है। यदि इसको सही मान लें तो इसका मतलब यह होगा कि संसार में जिन देशों के पास हथियार होंगे वे सभी अपने पड़ोसियों पर उनका प्रयोग करने लगेंगे ताकि उनमें जंग न लग जाये। वास्तव में इन हमलों में जिस प्रकार के गोला-बारूद और छोटे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है वे देश में ही बने हुए मालूम होते हैं। छोटे छोटे हमलों में बड़ी तोपों का प्रयोग नहीं किया जाता। वे संभवत: पाकिस्तान में ही बने हुए हैं, कुछ बाहर से भी खरीदे हुए होंगे। दूसरे देशों को सहायता छोटे छोटे अस्त्रों के लिए नहीं दी जाती है

---

†मूल अंग्रेजी में

वरन् बड़ी वस्तुओं के लिए जैसे विमान आदि । इस प्रकार सहायता ऐसी वस्तुओं के लिए दी जाती है जो देश में नहीं बनती है। छोटे छोटे शस्त्रास्त्र सामान्यतः बनाए जाते हैं, हो सकता है कुछ बाहर से भी मंगाए जाते हों। जैसे भी हो, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अमेरिकी हथियारों आदि का प्रयोग किए जाने की अधिकृत जानकारी हमें केवल युद्धविराम रेखा के संबंध में मिली थी परन्तु उसके संबंध में भी हम यह नहीं कह सकते कि उनकी खरीद सामान्य ढंग से की गयी थी या वे सैनिक सहायता के अंग के रूप में प्राप्त किए गए थे ।

जहां तक पूर्वी सीमान्त का प्रश्न है, मेरे पास इस गोली वर्षा की घटना के संबंध में मुर्शिदाबाद के जिलाधीश आदि की सूचनायें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस सीमान्त पर पहली ही बार इस प्रकार की घटना हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां, हाल के दिनों में पहली ही बार ऐसा हुआ है । इसके संबंध में जो कुछ कार्यवाही की गई है उसको यदि सदन जानना चाहे तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं । इसके अतिरिक्त मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब कभी पाकिस्तान की ओर से गोली चलती है तो बदले में हमारी ओर से भी वैसा किया जाता है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सीमा की रक्षा के लिए क्या किया जा रहा है ? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में मुसलमान अधिक संख्या में हैं इसलिए उन्हीं का नुकसान हो रहा है । पाकिस्तान की नीति उन्हें भयभीत करने की है । उन्हें ढाढ़स बधाने के लिए वहां सेना क्यों नहीं नियुक्त की जाती है ? मुझे समाचार मिला है कि जिलाधीश की मांग पर संभवतः वहां कुछ और मदद भेजी भी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां सेना की कोई टुकड़ी क्यों नहीं भेजते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि वहां कुछ और मदद भेजी गई है ; वहां सेना भेजी गई है परन्तु उसका ब्यौरा देना उचित नहीं होगा कि कहां कितनी भेजी गई है ।

इस के सम्बन्ध में एक बात और मैं सदन के समक्ष कहना चाहता हूं । हमारे विचार में एक व्यापक दृष्टिकोण से सैनिक स्थिति खतरनाक नहीं है । मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि इन हमलों से असुविधा नहीं होती है अथवा असुरक्षा नहीं फैलती है। पाकिस्तान इस प्रकार की नीति चल रहा है कि हम विवश हो कर अपनी सेनाओं को वहां तैनात कर दें । वह सीमा पर कुछ खिलवाड़-सा कर रहा है। कभी एक जगह गोली चलती है और जब हम अपनी सेनायें वहां भेज देते हैं तो फिर किसी दूसरी जगह गोलियां चलाई जाती हैं ताकि हमें अपनी सेनाओं को उधर भेजना पड़े। यदि खुल कर सामना हो तब तो ठीक है अन्यथा हम अपनी सेनाओं को खड़ा रखने के लिये वहां नहीं रख सकते ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : क्यों नहीं, जबकि पाकिस्तान उपद्रव करने पर उतारू है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारी सेनायें सीमान्त पर हैं तो परन्तु वह युद्ध की सी तैयारी में हमेशा खड़ी नहीं रहतीं ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं । पिछले दिन वैदेशिक-कार्य उपमंत्री ने बताया था कि पाकिस्तानी सैनिक हमारे राज्य-क्षेत्र में घुस कर २१ भारतीय राष्ट्रजनों को पकड़

†मूल अंग्रेजी में

ले गये, उन पर मुकदमा चला कर उन्हें जेल में ठूंस दिया । हम उनको अभी तक छुड़ा नहीं सके और अब फिर उन्होंने हमारे राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया है । इसकी रोकथाम के लिये कुछ करना बहुत जरूरी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संभवतः माननीय सदस्य मछुवों के अपहरण के सम्बन्ध में कह रहे हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : वे मछुवा लोग नहीं थे । बात इस प्रकार थी कि एक पटसन से लदी नाव पर २१ भारतीय राष्ट्रजन गंगा में हो कर नवद्वीप जा रहे थे । रास्ते में उनका अपहरण कर लिया गया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले में राज्य-क्षेत्र नदी का तल है । पाकिस्तानियों ने उन्हें इसलिये बन्दी किया कि उन के विचार से वह उनकी ओर के राज्य-क्षेत्र में थे । यह एक असाधारण स्थिति है जब लोग

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : परन्तु प्रधान मंत्री के उपमंत्री का यह कथन है कि उन्होंने हमारे राज्य-क्षेत्र में अतिक्रमण किया हम ने नहीं किया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा मैं ने कहा, यह राज्य-क्षेत्र नदी है और उसकी सीमा नदी का मध्य है । हम यह कहते हैं कि ये लोग नदी की धारा के मध्य से इस ओर थे, वे लोग इस के विपरीत कहते हैं । मैं समझता हूं कि कोई भी मनुष्य नदी के मध्य का सीमांकन नहीं कर सकता है । कठिनाई जब उत्पन्न होती है जब मछली पकड़ने का प्रश्न उठता है क्योंकि उसमें कुछ अधिकार अन्तर्ग्रस्त रहते हैं ।

माननीय सदस्य डकैतियों के मामलों के सम्बन्ध में जानते हैं । जब डाकू भाग जाते हैं तो हम क्या करते हैं ? राजस्थान में अपहरण की घटनायें हुआ करती हैं । पाकिस्तान की अथवा उस क्षेत्र के लोगों की कार्यवाही राजस्थान और मध्य प्रदेश के डकैतियों के क्षेत्र से मिलती है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : परन्तु यह कार्य तो सैनिकों ने किया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सेना का कार्य तो रक्षा करना है परन्तु संसार के किसी भी राज्य में वह पुलिस का कार्य नहीं करती । कोई भी सेना डकैतों से आपकी रक्षा नहीं कर सकती । आप स्वयं उन्हें कुचलें या जो कुछ कर सकते हों करें ।

मेरा निवेदन है कि सीमान्त की सामान्य सुरक्षा और वहां की जनता की सुरक्षा को भिन्न रखना चाहिये । मेरे विचार से अतिक्रमण की दृष्टि से सीमान्त की हमारी सेनाओं द्वारा पर्याप्त चौकसी की जा रही है और चूंकि पाकिस्तानी वैसा नहीं रहने देना चाहते इसलिये वे इधर उधर उपद्रव कर के लोगों में भय उत्पन्न करना चाहते हैं और सीमान्त की सुरक्षा के लिये किये गये प्रबन्धों में गड़बड़ डालना चाहते हैं । सीमान्त और वहां की जनता की सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक है । हम इस तरह की घटनाओं से अत्यन्त चिन्तित हैं ; वहां सुरक्षा-व्यवस्था का भार हमारी सेना पर है । सीमान्त का प्रभार सेना कमान्डर के हाथ में है तथा उसको हमारे आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । हम यहां से उसे आदेश नहीं दे सकते इसलिये समस्त जिम्मेदारी उसी के ऊपर है । वैसे वहां स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी ही है परन्तु सारी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

व्यवस्था की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के सेना कमान्डर पर ही है। वे आपस में सम्पर्क रखते हैं और हमें यहां से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उन्हें अपने निर्णय और जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करने देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस सीमान्त पर ये आक्रमण नये हैं और बहुत लोग इस से चिन्तित हैं इसलिये हमें इस विषय पर विचार करना चाहिये। मैं प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव को सरकार की निन्दा के रूप में नहीं लेता हूं। इसलिये हमें यह नहीं समझना चाहिये कि इस प्रकार विचार करने का तात्पर्य सरकार की निन्दा करना होगा। विषय की आवश्यकता को देखते हुए हम आज पांच बजे के बाद इस पर एक या डेढ़ घंटे चर्चा करेंगे। जो सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

[पचास से अधिक सदस्य खड़े हुए]

चूंकि सदन अनुमति देने के पक्ष में है इसलिये हम इस विषय पर पांच बजे विचार करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन और वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) वर्ष १९५७-५८ के लिये ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन ; और

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० १२७४/५९]

(२) वर्ष १९५७-५८ के लिये वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० १२७३/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक २८ फरवरी, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २४८ जिस में मद्रास, धान (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(२) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २४९ जिस में मद्रास, धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(३) दिनांक ४ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८५।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) उत्तर प्रदेश धान (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० १२७५/५९]

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी ।

†**श्री सोमा गी** (दौसा) : माननीय वित्त मंत्री ने बड़ा ही संतुलित आय-व्ययक प्रस्तुत किया है परन्तु फिर भी उन के आलोचकों का कहना है कि उन्होंने पूंजीपतियों के हितों का ध्यान रख कर ही यह आय-व्ययक प्रस्तुत किया है । इसके विपरीत मेरा विचार है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर प्रस्तावों का यदि विश्लेषण किया जाये तो पता लग जाता है कि समवायों तथा पूंजीपतियों पर अतिरिक्त भार पड़ गया है ।

व्यक्तिगत करों के प्रश्न को लीजिये । भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने सम्पत्ति तथा व्यय कर को लागू कर के व्यक्तिगत करों में कुछ कमी अवश्य की थी । यद्यपि वर्तमान वित्त मंत्री ने आधा प्रतिशत ही सम्पत्ति कर में वृद्धि की है परन्तु गणना करने पर इस के आंकड़े पहले से दुगने आते हैं । उदाहरण के लिये जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति २५ लाख रुपये तथा उस से आय १ लाख रुपये होगी उनको कुल आय का ९० प्रतिशत, जिन की सम्पत्ति ३० लाख रुपये और आय १,२०,००० रुपये होगी उन को आय का ९७ प्रतिशत, जिन की सम्पत्ति ४० लाख रुपये, आय १,६०,००० रुपये होगी, उन को आय का १०६ प्रतिशत, जिन की सम्पत्ति ५० लाख रुपये, आय २ लाख रुपये होगी उन को आय का ११२ प्रतिशत, जिन की सम्पत्ति ६० लाख रुपये, आय २,४०,००० रुपये होगी उन को आय का ११६ प्रतिशत, जिन की सम्पत्ति ८० लाख रुपये, आय ३,२०,००० रुपये होगी उन को आय का १२० प्रतिशत, तथा जिन की सम्पत्ति १०० लाख रुपये, आय ४ लाख रुपये होगी उन को आय का १२३ प्रतिशत देना होगा । इस से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि माननीय वित्त मंत्री ने करों में कुछ कमियां अवश्य कर दी हैं परन्तु उन्हीं के शब्दों में पूंजीपतियों पर कितना कर कम किया गया है उस से अधिक अन्य करों के द्वारा उन पर भार डाल दिया गया है ।

अब व्ययकर को लीजिये । व्यय तथा सम्पत्ति करों को लगाने से पूर्व इन पर प्रवर समिति में पर्याप्त विचार किया गया था । परन्तु उनको लागू करने के तुरन्त बाद एक परिवर्तन किया गया कि पति, पत्नी तथा अल्पवयस्क बच्चों को व्यय-कर लेने के लिये एक वर्ग के रूप में मान लिया जायेगा । आय-कर के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जाता था इसलिये व्यय-कर के लिये इन को एक वर्ग बनाना अन्याय है ।

समवाय कर के बारे में मेरा विचार है कि सरकार ने दोहरा कर लगाया है । अभी तक अंश-धारियों को जिस राशि पर लाभांश दिया जाता था उस राशि को कर मुक्त समझा जाता था परन्तु अब अंशधारी से लाभांश पर भी कर लिया जायेगा और इस प्रकार समवाय पर दोहरा कर हुआ । अमरीका तथा कनाडा जहां पर इस प्रकार का कर लगा हुआ है अंशधारियों को कुछ छूट दी जाती है और मैं माननीय मंत्री से इसलिये अनुरोध करता हूं कि समवाय कर पर कृपा करके पुनः विचार करें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सोमानी]

इसके अतिरिक्त समवाय के पुराने रक्षित धन पर दिये गये लाभांशों पर वर्तमान कर व्यवस्था को लागू किया जाना पूंजीपतियों के साथ अन्याय है। मैंने यह सब इसलिये बताया है कि जो लोग इसको पूंजीपतियों का आय-व्ययक बताते हैं उनकी यह ग़लतफहमी दूर हो जाये।

सभा में चर्चा के समय कुछ ऐसी ग़लतफहमी उत्पन्न कर दी गई है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ आपसी विरोध है। मेरे विचार से ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र के विकास से अप्रत्यक्ष रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता होती है। इसलिये हमें समझना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार हमारा विस्तार है। श्री अशोक मेहता के अनुसार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की समान प्रतिशतता निर्धारित कर देना ठीक नहीं होगा। परन्तु मेरे विचार से दोनों क्षेत्रों के साथ-साथ विस्तार से ही देश का विकास संभव होगा। हमें एक दूसरे की आलोचना करने की मनोवृत्ति का परित्याग कर देना चाहिये और ऐसी भावना का प्रसार करना चाहिये जिससे दोनों क्षेत्र समन्वय की भावना के आधार पर विकास पथ पर अग्रसर रहें।

प्रत्येक वर्ष बढ़ते हुये असैनिक व्यय के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जाता है और फिर भी किसी वर्ष इसमें अधिक कमी नहीं की जाती है। १९५८–५९ में यह व्यय ६९१ करोड़ रुपये था, १९५९–६० में ६८९ करोड़ रुपये था। मैं इससे यही बताना चाहता हूं कि हमारा धन अधिकांशतः अविकास कार्यों पर व्यय होता है। कृपा करके वित्त मंत्री करारोपण जांच आयोग के सुझावों को देखें। उन्होंने सिफारिश की है कि उच्चशक्ति वाला एक आयोग बढ़ते हुये असैनिक व्यय की जांच के लिये नियुक्त किया जाये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री शीघ्र ऐसा आयोग नियुक्त करेंगे जो इसकी जांच करेगा।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में भी मेरा विचार है कि यदि इसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जायेगा तो किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होगी। इसके साथ-साथ मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि कृपा करके ऐसी सहायता तथा सुविधा देने की व्यवस्था करें जिससे पूंजीपतियों में समवायों अथवा उद्योगों में अपना धन लगाने के लिये उत्साह बढ़े। मेरा सुझाव है कि विदेशी ऋण लेने के बजाये विदेशी विनियोजन के प्रोत्साहन का असर ज्यादा अच्छा पड़ेगा। आज भारत के बारे में विदेशों में अच्छी भावना है और हमें इस भावना का लाभ उठा कर विदेशियों के द्वारा भारत मे धन विनियोजन को प्रोत्साहित करना चाहिये।

श्री कोरटकर (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, सन् १९५८ और १९५९ का साल हमारे आर्थिक इतिहास में कठिन साल है। इतना कठिन साल पिछले दस सालों में कोई साल नहीं रहा। इस साल के अन्दर कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है और ऐसी सूरत मे हमारे अर्थ मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है और जिसके लिये उनकी चारों तरफ से सराहना ही हुई है, मैं भी उन्हें बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता हूं।

कई लोगों ने इसको एक रियलिस्टिक बजट कहा है, किसी ने इसको सैंसिबल बजट कहा है और किसी ने इसको बोल्ड बजट की संज्ञा दी है। इस बजट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिये इसको रीयलिस्टिक बजट कहा जा सकता है, बहुत सी ऐसी बातें जिनको देखते हुये इसको बोल्ड यानी साहसी बजट कहा जा सकता है और साथ ही साथ सैंसिबल बजट भी कहा जा सकता है। इस बजट को व्यावहारिक बजट भी कहा जा सकता है और वह केवल इसी बात को लेकर कहा जा सकता है कि बावजूद इस बात के बहुत बड़े घाटे की व्यवस्था इसमें है, फिर भी हमारे अर्थ मंत्री महोदय ने

इस बजट के अन्दर अंधाधुंध तरीके से नये टैक्सिस बहुत अधिक नहीं लगाये हैं। उन्होंने जो अन्दाज़ा नये टैक्सों से आमदनी का लगाया है, वह केवल २३ करोड़ का है। इसी तरह से यह बजट एक साहसी आदमी का बनाया हुआ है और इसका अन्दाज़ा एक ही चीज़ से लगाया जा सकता है कि कम्पनियों पर से वैल्थ टैक्स हटा दिया गया है। इस वक्त के दौर को देखते हुये आज कोई दूसरा आदमी इसको नहीं कर सकता था। इसी प्रकार से कम्पनी लास में थोड़े से हेर-फेर करके आमदनी को न घटाते हुये भी कर देने वालों को सहूलियतें सुलभ करना इस बजट के बनाने वालों की सूझ-बूझ का ही परिचायक माना जा सकता है।

ये सब चीजें होते हुये भी मैं यहां पर एक खास चीज को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। २३२ करोड़ रुपये का जो डिफिसिट फाइनेंसिस इस बजट में किया गया है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। कुल डिफिसिट फाइनेंसिंग २५५ करोड़ का था और २३ करोड़ के करीब रुपया नये टैक्सों से पायेगा। मेरी अपनी राय यह है कि यह समय ऐसा नहीं था जब कि हमें डिफिसिट फाइनेंसिंग का आश्रय लेना चाहिये था। इसमें कोई शक नहीं है कि आम तौर पर इस सदन की यह राय है कि थोड़ा बहुत डिफिसिट फाइनेंसिंग का आश्रय लेना हमारे लिये बहुत जरूरी था। पिछले तीन सालों से डिफिसिट फाइनेंसिंग को आधार रख कर हम बजट बनाते आ रहे हैं। मेरी अपनी राय यह है कि देश के अन्दर जो भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, देश के अन्दर जो अनएम्पलायमेंट बढ़ता चला जा रहा है देश के अंदर जो कास्ट आफ लिविंग बढ़ता चला जा रहा है, इस सब का एक बहुत बड़ा कारण यह डिफिसिट फाइनेंसिंग ही है जिसका हम आश्रय लेते चले जा रहे हैं। इस बात की भी आशा मालूम नहीं देती है कि अगले साल जब बजट पेश करने की बात आयेगी तो जैसा कि चित्र पिछले वर्ष का इस वर्ष हमारे सामने रखा गया है, वैसा चित्र इस साल का अगले साल हमारे सामने नहीं रख दिया जायेगा। इस बात की पूरी आशंका है कि पिछले साल की तरह का ही चित्र इस साल का अगले साल रख दिया जाये और तब फिर से इकोनोमिक सर्वे की बात सामने आये और यही कहा जा सकता है कि हम समझते थे कि भाव गिर जायेंगे, लेकिन भाव और बढ़ गये, हम समझते थे कि कास्ट आफ लिविंग कम हो जायेगा, लेकिन कास्ट आफ लिविंग बढ़ गया, और बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम समझते थे कि अनइम्पलायमेंट कम होगी, हमारे इम्पलायमेंट एक्सचेंजिज़ के रजिस्टर्स में नाम दर्ज कराने वालों की संख्या घटेगी, लेकिन उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। आखिर में इस सब का दोष किस पर है। इकोनोमिक सर्वे में यह बताया गया है कि बारिश कम होने की वजह से पैदावार कम हुई जिसका नतीजा यह हुआ कि चारों तरफ अन्न के भाव बढ़े और साथ ही साथ दूसरे भी भाव इसी तरह से बढ़ते चले गये। अगले साल भी अगर यही हालत रही तो भी यह तो बतलाना मुश्किल है कि बारिश कम होगी या ज्यादा, लेकिन इकोनोमिक सर्वे में यही बताया जायेगा और बताना पड़ेगा कि बारिश ज्यादा हो गई या कम हुई और इस कारण से भाव बढ़े। यही चीज़ पिछले साल के बारे में हमें इस साल बतानी पड़ी है और यही चीज़ अगले साल भी बतलानी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि सब से बड़ा कारण जो भाव के बढ़ने का है यह है कि हम डिफिसिट फाइनेंसिंग करते चले जा रहे हैं और चूंकि मैं इसको सब से बड़ा कारण मानता हूं इसलिये मैं अपने भाषण को केवल इसी तक सीमित रखूंगा।

कई माननीय सदस्यों ने समझा है और कइयों ने कहा भी है कि यह ८१ करोड़ के घाटे का बजट है और २३ करोड़ के करीब टैक्स लगने से यह कम हो कर ५८ करोड़ के करीब रह गया है। लेकिन जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है वह २५५ करोड़ का है और उसमें से २३ करोड़ के टैक्स लगे हैं और उसके बाद वह २३२ करोड़ रह जाता है। इसके लिये मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि भाव जो आम तरीके से बढ़ा करते हैं, उसके कारण क्या आम तौर पर होते हैं। जहां

[श्री कोरटकर]

तक मैं समझ पाया हूं उसके पांच कारण मुझे मालूम देते हैं । एक तो स्पेकुलेशन की वजह से भाव बढ़ते हैं, दूसरे होर्डिंग की वजह से बढ़ते हैं, तीसरे एक्सपोर्ट अगर किसी चीज़ का अधिक हो जाये तब बढ़ते हैं, चौथे इम्पोर्ट के ऊपर अगर किसी तरह से रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तब बढ़ते हैं, और पांचवें डिफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से बढ़ते हैं । जब हम स्पेकुलेशन या होर्डिंग की वजह से देखते हैं कि भाव बढ़ रहे हैं उस वक्त हमको एक चीज़ साफ मालूम होती है कि स्पेकुलेशन और होर्डिंग की वजह से तो चीज़ों का भाव कभी नहीं बढ़ा । कोई स्पेकुलेटर सोने या चांदी में, कोई स्पेकुलेटर किसी अनाज या किसी अनाज के किसी अंग में और कोई स्पेकुलेटर किसी दूसरी चीज़ में व्यापार करता है तो ऐसी सूरत में उसके भाव बढ़ते हैं । यहां चीज़ होर्डिंग में भी होती है । लेकिन हम अपने बाजारों में देखते हैं कि भाव किसी एक चीज़ के नहीं, बल्कि अनाज और दूसरी सभी चीज़ों के बढ़ते चले जा रहे हैं । बराबर तीन बरस से बढ़ते चले जा रहे हैं । तब मैं इस चीज़ को रखना चाहता हूं कि इसमें शक नहीं कि स्पेकुलेशन और होर्डिंग भी भाव बढ़ने के कई कारणों में से हैं, खास कर अनाज के सम्बन्ध में, लेकिन जहां पर सभी चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं वहां यही कारण नहीं हो सकते । इसके कोई न कोई दूसरे कारण होने चाहियें । इसी तरह से एक्सपोर्ट भी इसका कारण नहीं हो सकता क्योंकि जिन चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं उनका एक्सपोर्ट हमारे देश से नहीं हो रहा है । हम प्रयत्न तो जरूर कर रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा जाये, और इम्पोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं उन से भी भाव बढ़ सकते हैं, जो चीज़ें बाहर से नहीं आ रही हैं, उन चीज़ों के भाव बढ़ सकते हैं । लेकिन बहुत सारे कच्चे माल के भाव जो कि भारतवर्ष में ही पैदा हो रहे हैं और जिनकी हमारी इंडस्ट्रीज़ को जरूरत है, इस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं । जब भाव बढ़ने के जो भी कारण हो सकते हैं वे सब के सब निकल जाते हैं तो मेरी अपनी राय यह है कि जो भाव बराबर तीन साल से बढ़ते चले जा रहे हैं उनके कारणों में डेफिसिट फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके ऊपर हमको जरूर गौर करना चाहिये ।

डेफिसिट फाइनेंसिंग किन सूरतों में आनी चाहिये इसको बताते वक्त मैं **यूनाइटेड नेशन्स आर्गेनाइजेशन्स** का जो **एकानमिक कमीशन फार एशिया एंड फार ईस्ट** बैठा था उसकी रिपोर्ट की तरफ सदन की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । उन्होंने बहुत गौर करके इस चीज़ को साफ तौर से रक्खा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग उसी वक्त काम में लानी चाहिये जब देश में लोगों को नजर आये कि या तो भाव गिरे हुये हैं या कम से कम स्थिर हैं । यह चीज़ उसी वक्त काम में लाई जा सकती है जब किसी देश में उत्पादन बढ़ रहा हो और **कास्ट आफ लिविंग** कम हो रही हो । हमारे देश के अन्दर इस वक्त यह तीनों चीज़ें ऐसी हालत में हैं जिनको देखते हुये हम डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जा सकते हैं । पिछली प्लैन के पांच वर्षों में बराबर देश का उत्पादन बढ़ रहा था और भाव कम से कम स्थिर थे और **कास्ट आफ लिविंग** कम होती चली जा रही थी । लेकिन आज क्या हालत है ? अगर आप तीन वर्षों के आंकड़ों को देखें और सन् १९४९ के भावों को इकाई मान लें तो आपको नजर आयेगा कि अनाज के भाव १०९, ११६ और १२५ तक बढ़े हुये हैं । इसी तरह से **कास्ट आफ लिविंग** भी १०८, ११३ और १२१ हो गई है । इसी तरह से जो आम प्रयोग की दूसरी चीज़ें हैं उनके भाव भी बढ़ रहे हैं और वे ९२, १०५ और १०८ तक हो गये हैं । इस कमिशन ने जिन चीज़ों को सामने रक्खा था और जिनके होते हुये ही एशिया और फार ईस्ट की जो डेवेलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें डेफिसिट फाइनेंसिंग काम में लाई जा सकती थी, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसको देखते हुये यह कहा जा सके कि हम डेफिसिट फाइनेंसिंग का आश्रय ले सकते हैं ।

इसके साथ ही साथ में एक और चीज़ सामने रखना चाहता हूं । डेफिसिट फाइनेंसिंग एक बिल्कुल टेम्पोरैरी उपाय हुआ करता है । पिछले पांच वर्षों से पहली पंचवर्षीय योजना के वक्त हम ने बराबर इस से काम लिया और अब फिर काम में ला रहे हैं और मुमकिन है कि आगे भी इसी तरह से आप चलते चले जायें । लेकिन यह चीज़ नहीं होनी चाहिये । पिछले वित्त मंत्री ने दो बार अपने बजट को रखते हुये कहा, उन्होंने अपनी यह राय साफ तौर से सदन के सामने रक्खी थी कि डेफिसिट फ़ाइनेंसिंग किसी भी तरह से एक खाना नहीं हो सकती है । यह तो एक दवा के तौर पर है । बीमारी की हालत में बीमारी को निकालने के लिये उस का उपयोग किया जा सकता है । लेकिन यह समझना कि खाने के तौर पर उसका उपयोग हुआ करता है, यह गलत चीज़ होगी । लेकिन जब हम अपने बजट को देखते हैं तो उस में पाते हैं कि जो बड़ी बड़ी राशियां टैक्सेज आदि को छोड़ देने के बाद हैं जिन के ऊपर हमारा बजट चलने वाला है वे २४० करोड़ रु० ऋण, ३३० करोड़ रु० विदेशी सहायता और २२२ करोड़ रु० डेफिसिट फाइनेंसिंग की हैं । मतलब यह है कि यहां पर जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का उपयोग किया गया है वह दवा के तौर पर नहीं बल्कि खाने के तौर पर किया गया है ।

इसी के साथ साथ मैं इस चीज को भी सामने रखना चाहता हूं कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने साफ तौर पर इस चीज़ को रक्खा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में डेफिसिट फ़ाइनेंसिंग का उपयोग न किया जाय । और भी बहुत सी बातें हैं जिन को मैं बता सकता था कि किन सूरतों में डेफिसिट फाइनेंसिंग आ सकती है और किन सूरतों में नहीं, लेकिन समय कम होने की वजह से अब मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता । सिर्फ एक बड़ी चीज़ सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि जिस समय प्लैनिंग कमिशन ने इस का तस्फिया किया था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग १२०० करोड़ रु० की की जा सकती है, उस वक्त इस बात को बहुत कम सोचा था कि उत्पादन बढ़ा होगा । इस के सिवा एक बड़ी चीज उन्होंने यह भी बताई थी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में नई करेंसी निकाल कर १,००० करोड़ रु० ही दिया जायगा और जो २०० करोड़ रु० बाकी बचता है वह जो हमारे स्टार्लिंग बैलेंसेज हैं उन से लिया जायगा । लेकिन आज मालूम हो रहा है कि स्टार्लिंग बैलेन्सेज में से तो हम पहले ही ५०० करोड़ रु० निकाल चुके हैं । अगर इस सब को मिला कर देखिये तो हमें नजर आ जायेगा कि हम किस तरह के घाटे की तरफ चले जा रहे हैं । जब दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होगी तो डेफिसिट फाइनेंसिंग १२०० करोड़ रु० तक की ही नहीं रहेगी । आज ९५० करोड़ रु० तो हम खर्च कर चुके हैं । पिछले साल का ५८ करोड़ रु० का घाटा अभी पड़ा है । उस को हमारे वित्त मंत्री डेफिसिट फाइनेंसिंग से पूरा कर सकें इस का कोई तरीका नहीं । २२२ करोड़ इस साल का रक्खा गया है । ५०० करोड़ जो हम ने स्टार्लिंग बैलेंसेज में से ले लिये हैं, वह हैं । आज डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही एक तरीका रह जाता है । अगर अगले साल भी यही हालत रही तो २५० करोड़ रु० से कम डेफिसिट फाइनेंसिंग से काम नहीं चलेगा । इन सब चीज़ों को देखते हुये हम को यह नजर आ रहा है कि जो १२०० करोड़ रु० इस सम्बन्ध में रक्खा गया है वह दूसरी प्लैन के खत्म होने तक १९७० करोड़ रु० की डेफिसिट फाइनेंसिंग में बदल जायगा । मेरा खयाल है कि अगर हम इसी तरह से घसिटते चले गये तो घसिटते घसिटते हम बड़े भारी घाटे में पड़ जायेंगे । हम को इस तरफ बहुत ही तवज्जह देनी चाहिये ।

अन्त में बहुत संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां प्रश्न यह हो सकता है कि अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग से रकम हासिल न करें तो फिर उस को लायें कहां से । इस बारे में मुझे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है । बहुत से भाइयों ने बताया है कि आज इस की जरूरत है कि हम अपने एशराजात में कमी करें । एकानमी का कोई न कोई तरीका निकाला

[श्री कोरटकर]

जाय। इस का दूसरा सब से बड़ा तरीका यह है कि जो हमारी पब्लिक सैक्टर में चलने वाली कम्पनियां हैं, रेलवे और पोस्टल को छोड़ कर सबों में या जो प्राइवेट कम्पनियां हैं जिनमें हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, वहां पर अभी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। इस आठ साल के बाद भी इस से कोई आमदनी मालूम नहीं हो रही है। अगर हमें अपने सारे बजट को इस तरह से बनाना है तो हम को इस के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर इस पर ध्यान दिया जाय तो बहुत काफी तरक्की हो सकती है।

बाकी करों के बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन अब चूंकि समय बहुत कम है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

अब चूंकि घंटी बज चुकी है और मेरे पास समय नहीं रह गया है इसलिये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि डैफिसिट फ़ाइनेंसिंग होते हुये भी क्योंकि यह इसीलिये किया गया है कि देश की उत्पादन क्षमता बढ़े और देश में अत्यधिक उत्पादन हो, तो आशय तो बहुत अच्छा है और इस आशय के साथ यह जो डैफ़िसिट बजट रक्खा गया है उसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्रीमती जयाबेन शाह** (गिरनार) : अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उसके बारे में अनेक प्रकार की रायें हैं। किसी को उसमें समाजवाद के दर्शन नहीं होते हैं। कांग्रेस ने कोआपरेटिव फ़ार्मिंग का सिद्धान्त मान्य किया है और उस पर उनको कम्युनिज्म की गंध आ रही है तो किसी को ऐसा लगता है कि यह बजट सिर्फ़ एकाउन्ट ही है मगर मेरे जैसे लोगों को जो कि उसमें कुछ खास जानकारी नहीं रखते हैं उनको ऐसा लगता है कि यह जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है वह बिल्कुल सीधासादा और स्वाभाविक रूप का है और उसमें कोई आर्टिफ़िशिएल्टी नहीं है। आजतक की कुछ ऐसी मान्यता रही है कि फ़ाइनशियल मैटर्स ज्यादातर कम्पलीकेटेड होने ही चाहियें और उसे बहुत कम लोग ठीक से समझ सकें ऐसा हमारा एक ख़याल रहा है। हमारे वित्त मंत्री ने जो उसमें सुधार किया है मैं उनको आवश्यक सुधार मानती हूं और मैं समझती हूं कि इससे आगे चल कर समाज का फ़ायदा होगा और हमारे देश का जो कारोबार चल रहा है उसको आम जनता भी समझ पायेगी कि क्या हो रहा है और उसकी जानकारी भी उसको होगी। मैं आशा करती हूं कि आगे भी उसमें और सुधार होगा जिससे लोग हमारे देश की आवश्यक बातों को समझ सकें।

दूसरी बात मुझे यह पसन्द आई है कि डिफ़ेंस का खर्चा कम किया गया है। हमारे सदन में कोई सदस्य ऐसे भी हैं जिनको कि यह ठीक नहीं लगता है मगर मुझे तो लगता है कि इस मेज़र से हमारे बोनाफ़ाइड्स का सबूत सारी दुनिया को मिलेगा और दुनिया में शान्ति रखने की जो बातें हम कर रहे हैं उनको भी सहारा मिलेगा। मैं इसके लिये वित्त मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करती हूं। अभी भी डिफेंस में ऐसे कई खर्च हैं जिनको कि घटाया जा सकता है।

जब बजट पेश होने का समय आता है तो सारे देश में एक प्रकार के भय का प्रसार हो जाता है। बजट में कुछ न कुछ टैक्सेशन आयेगा ऐसा भय सब को लगता ही रहता है। और हमको आम लोग पूछते ही रहते हैं कि आगे कोई नया टैक्स आने वाला है या नहीं। मुझे यह बात सुन कर बहुत रंज भी होता है कि टैक्सेशन में कौन सी ऐसी ताक़त है जो हर एक को परेशान

---

†मूल अंग्रेजी में

करती है। मेरे जैसे व्यक्ति को तो टैक्सेशन से कोई डर नहीं लगता है। आज़ादी प्राप्त होने के बाद दस साल बीत चुके हैं किन्तु आज देश की क्या हालत है? ग़रीबी और बेरोज़गारी हमारे सारे देश को काट रही है और दूसरी ओर देखें तो आप पायेंगे कि धनिक लोग इतने टैक्सेशन पास होने पर भी और धनिक हो रहे हैं। इस बात का कुछ न कुछ इलाज होना ही चाहिये। हमने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अपनाया है और संविधान में हमने प्राइवेट प्रापरटी की सैक्टिटी को भी मान्य किया है तो फिर हमारे पास पैसा लेने के लिये टैक्सेशन करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रहता है। ऐसा मैं समझती हूं मगर इतना ज़रूर खयाल रक्खा जाय कि आगे टैक्सों का बोझ ग़रीबों और मध्यम वर्ग के ऊपर न आये, इसकी कोशिश रहनी चाहिये। जिनके कि पास काफ़ी पैसा है उनके पास से पैसा लेने का कोई न कोई तरीक़ा ढूंढ़ना चाहिये। 'इनडाइरेक्ट टैक्सेशन से ग़रीबों पर भी बोझ आता है और इस बारे में सरकार को सोचना चाहिये।

इस मौक़े पर एक बात जो और सदस्यों ने भी बतायी है उस पर मैं भी अपनी राय प्रकट करना चाहती हूं। सरकार के पास आजकल मार्केट को कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है। छोटी मोटी कोई बात बन जाती है तो भाव आसमान पर चढ़ जाते हैं। अनाज के बारे में जो कुछ हुआ उसको मैं दोहराना नहीं चाहती मगर मेरी राय में जो हुआ है वह इतना दुखद है कि भगवान् न करे ऐसी भूल आगे हमसे कभी हो। उस आम जनता के हम पर जो भरोसा है उसको भारी धक्का पहुंचाया है जिस को दुरुस्त करने में भी बहुत समय लगेगा।

यह तो एक बड़ी बात थी। उसको छोड़ कर कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं जिनको कि मैं यहां पर रखना चाहती हूं। मिसाल के तौर पर किरोसीन आयल की इम्पोर्ट में ५ परसेंट कट किया गया और सारा का सारा किरोसीन आयल भूगर्भ में चला गया और भाव दुगना हो गया। तेल के एक्सपोर्ट को थोड़ी ही छुट्टी मिली तो तेल का भाव बढ़ गया। इसी तरह बैगन नहीं मिले तो कोयले का भाव बढ़ गया। ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहता है। इससे यह साबित होता है कि हमारे पास भावों को स्थिर करने की कोई मशीनरी नहीं है और इससे बीच के लोग इंटरमीडियरीज़ और डिस्ट्रिब्यूटर्स मुनाफ़ा पाते हैं और कंज्यूमर्स लोग बड़े परेशान होते हैं। मैं मानती हूं कि प्राइसेज़ को स्टैबलाइज करने के लिये हमारे पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। हम आजकल यदि इन ब्यापार करने वालों पर भरोसा करके बैठे रहेंगे तो आगे भी बहुत मुसीबत आयेगी। लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिये कि सरकार के पास इतनी ताक़त है और ऐसी मशीनरी है जिससे कि जब भी वह चाहे प्राइसेज़ को कंट्रोल कर सकती है। इस बारे में बहुत लोगों ने बोल दिया है अतः मैं इस पर और ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी मौक़ा आता है जब स्पैकुलेशन से भावों में आर्टिफ़िशिएल्टी आती है और हमें उसको भी कंट्रोल करना चाहिये।

मैं इस मौके पर अनएम्पलायमेंट और अंडरएम्पलायमेंट की बात किये बिना नहीं रह सकती। मेरी राय में प्लानिंग से बहुत काम हुआ है और किन्हीं-किन्हीं क्षेत्रों में प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ा है और बहुत से नये-नये काम हुये हैं। यह तस्वीर जब हम देखते हैं तो खूब आनन्द होता है मगर दूसरी ओर भी देखें तो उसके साथ-साथ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और बैकलेग बढ़ता ही जाता है और आइंदा और भी बढ़ेगा और ऐसा प्लानिंग वालों का भी अभिप्राय है। हम सब को इस पर भारी चिन्ता है मगर उसका असली इलाज हमको नहीं मिलता है। डेमोक्रेसी में यह सूत्र चलता है कि ग्रेटेस्ट गुड आफ दी ग्रेटेस्ट नम्बर और इस पर कितने लोग आश्वासन पाकर अपने मन में रिकंसाइल हो जाते हैं मगर मुझे इससे समाधान नहीं होता। डेमोक्रेसी का यह सूत्र अब पुराना हो गया है

[श्रीमती जयाबेन शाह]

और यह समय के साथ चलने वाला नहीं है और हमको इस ढंग में भी हर एक की रोज़ी रोटी का प्रबन्ध करने की कोशिश करनी चाहिये। मेरी समझ में तो विलेज इंडस्ट्रीज़ के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। हैवी इंडस्ट्रीज़ की भी हमको आवश्यकता है मगर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कि विलेज इंडस्ट्रीज से ही लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। इस बारे में मैं विस्तार से यहां पर जिक्र नहीं कर सकती। पूज्य बापू ने विलेज इंडस्ट्री का हमारी अर्थ व्यवस्था में जो स्थान बनाया है वही स्थान उसको मिलना चाहिये और ऐसा होने पर ही यह बेरोज़गारी का प्रश्न कुछ न कुछ हद तक हल हो सकता है। मौजूदा हालत में भी जहां-जहां जो रॉ मैटीरियल का उत्पादन होता है उनका वहां ही प्रोसैस होना चाहिये और उनके भाव में भी मिल उद्योगों के साथ प्राइस पैरिटी रहनी चाहिये और सारा माल बेचने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। यह मेरा सुझाव है। मैं समझती हूं कि शायद यह बहुत लोगों को पसन्द नहीं आयेगी मगर इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता भी मुझे दिखाई नहीं देता। अगर हम लोग विलेज इंडस्ट्रीज़ को लोगों पर ही छोड़ देंगे तो हमारा जो काम चलता है उसमें हम डिमांस्ट्रेशन से कुछ ज्यादा पा सकेंगे ऐसी इच्छा रखना बेकार है। ऐसा मैं समझती हूं।

मेरा एक और भी सजेशन है। हमारे यहां बहुत आइडिल मैनपावर पड़ी रहती है। जहां तक हो सके हमें उसको इंडस्ट्री में लगाना चाहिये। उसके अलावा और भी काम पड़ा है जिसमें उनको लगाया जा सकता है। हमारे देहातों में जहां ग्राम समाज है वहां पर वे लोग बहुत सा काम कर सकते हैं। इन लोगों को वहां बांध बनाने, रास्ते बनाने, तालाब बनाने, कंटूर बंडिंग करने आदि में लगाया जा सकता है। इन कामों में मशीनरी वर्क कम रहता है। हम इन बेकार लोगों को मिनिमम वेज तै करके इन कामों पर लगा सकते हैं। मैं समझती हूं कि अगर हम अपनी आइडिल मैनपावर को काम में नहीं लगायेंगे तो देश को भारी नुकसान होगा। मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि जो लोग कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम करने के लिये देहातों में डटे हैं उनका ज्यादातर काम प्रचार करना ही है। मैं कहना चाहती हूं कि उनको कोई कांक्रीट काम दिया जाये ताकि वे देहातों में इन कामों को बनावें और जो लोग बेकार हैं उनको काम दें। यह मेरी नम्र प्रार्थना है वित्त-मंत्री जी से। इसमें कोई बड़ा आयोजन करने की भी जरूरत नहीं है। जहां-जहां इस तरह का काम हो वह बेकार लोगों को दिया जाये।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं। हम समाजवादी समाज रचना की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम चाहते हैं कि समाज में एकानामिक और सोशल डिसपैरिटी न रहे और सब का स्थान एक जैसा रहे और श्रम का गौरव बढ़े और जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिले। लेकिन हालत यह है कि जो लोग सारे दिन पसीना बहा कर काम करने वाले हैं उनको पेट भर खाना नहीं मिलता और जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं उनको कुछ दिन की मेहनत पर सारे महीने का खाना मिल जाता है। मैं समझती हूं कि इन्सानियत तो यह अपेक्षा रखती है कि 'सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक से तथा आवश्यकतानुसार प्रत्येक को' यह तो कम्युनिज्म का ही सूत्र माना जाता है पर मैं तो इसको सर्वोदय का भी सूत्र समझती हूं। क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल्स हैं वे बहुत अच्छे हैं। आज बात 'सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक से' की रहती है मगर देने के मामले में यह है कि 'भाग्य के अनुसार प्रत्येक को' अर्थात् जिसके नसीब में जितना हो वह उतना पा सके। ऐसी हालत में मैं समझती हूं कि समाज को आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी और इससे हमारे देश में शान्ति भी नहीं रहेगी। इससे मानवता भी घटी है और बुद्धिजीवी लोगों और मेहनतकश लोगों के बीच आमदनी में इतना ज्यादा फासला हो गया कि जिसके कारण एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भी बढ़ रहा है और जिसे हम क्लास कांशसनेस और क्लास स्ट्रगिल कहते हैं वह भी बढ़ रही है। आज हम देखते हैं कि यह चीज़ हमारे देश की

प्रोग्रेस और डेवेंलपमेंट के लिये बहुत खतरनाक सिद्ध हो रही है। मैं जानती हूं कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। मगर जो कड़ी चीज़ है उसी को तो करना चाहिये, और उसको करने में हमें अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिये। इस बात को कड़ी समझते हुये इसकी गम्भीरता समझ कर मैं इसको आपके सामने रखने की हिम्मत कर रही हूं। मैं समझती हूं कि मेरा जो उद्देश्य है वह वित्त मंत्री जी के ध्यान में आ जायेगा।

रिसोर्सेज़ के बारे में बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिये है कि यहां से रुपया लायें, वहां से लाये। एक बात सभी सदस्यों ने यह कही है कि इकानमी की जाये और एफोर्शेसो बढ़ायी जाये। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं कि हमारे देश में जो बड़े-बड़े मकान बन रहे हैं उनको देख कर परदेशियों को यह खयाल होगा कि हिन्दुस्तान वाले बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझती हूं कि हमारे देश के आगे बढ़ने का सिम्बल कोई मकान नहीं होना चाहिये। अगर देश बुनियादी बातों में आगे बढ़े तो उसको देख कर किसी को देश की तरक्की का सही अनुमान हो सकता है। मैं समझती हूं कि वही सही रास्ता है। बाहरी चीजों पर जोर देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं आशा करती हूं कि इस दिशा में भी हमारे वित्त मंत्री जी ध्यान रखेंगे।

रिसोर्सेज़ के बारे में एक और बात कहनी है। यहां पर रिसोर्सेज़ के बारे में एक बात मैंने सुनी जिसे सुन कर मुझे दुःख भी हुआ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप रिसोर्सेज़ के लिये इतनी चिन्ता क्यों करते हैं, रिसोर्सेज़ तो हमारे सामने ही पड़े हैं। मैंने तो समझा कि उनके दिमाग में कोई नयी बात आई होगी और उससे हमारा काम आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने तो पुरानी बात कही जो कि बहुत लोग कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राहिविशन मद्य निषेध हटा दिया जाये। क्योंकि उसमें भी आमदनी है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां-जहां प्राहिविशन दाखिल किया गया वह नाकामयाब रहा। उन्होंने बतालया कि यह बम्बई स्टेट में असफल हुआ है। मैं तो यह मानती हूं कि जो लोग हमारे देश में प्राहिविशन की असफलता की बात करते हैं उनकी मंशा यह नहीं है कि देश में प्राहिविशन किस तरह से सफल हो। मगर वह तो चाहते हैं कि प्राहिविशन बिल्कुल असफल हों। मैं इस तरह की बात सारे देश में कुछ लोगों को कहते सुनती हूं। और अगर मैं यह कहूं तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिये कि वैस्टेड इंटरेस्ट वाले ही इस तरह की बातें करते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार इस प्रकार की बातों से बिल्कुल निराश नहीं होगी। और आगे भी प्राहिविशन जारी करने की दिशा में कदम उठायेगी। दारू मानवता का बड़ा शत्रु है, उसे समाप्त करना चाहिये। यह बड़े अफसोस और दुःख की बात है कि आज तक हमारे सारे देश में प्राहिविशन लागू नहीं हो पाया है। हमारे वित्त मंत्री जी ने बम्बई में बहुत अपोजीशन होते हुये भी, बड़ी हिम्मत करके प्राहिविशन शुरू किया। मुझे विश्वास है और मैं आशा करती हूं कि उसी तरह से वे इसको सारे देश में फैलावेंगे। दारू की आमदनी से हम अपनी उन्नति करने की सोचें यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अपने देश को इस ग़लत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहिये।

इसी दारू की बात के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मैंने सुना है कि हमारे देश में पहले अब पशुओं का वध भी अधिक होने लगा है और बढ़ रहा है। उससे भी कुछ लोग फारिन एक्स-चेंज कमाने की बात सोचते हैं। मैं समझती हूं कि दारू पीने का लोगों को मौका दे कर और इस तरह से पशुओं का वध करवा कर हम आमदनी करें और उससे अपनी उन्नति करें यह हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप नहीं है। और ये सब गलत रास्ते हैं। हमको इन रास्तों को छोड़ देना चाहिये। और किसी न किसी स्थान पर हमको कुछ लिमिट रखनी चाहिए अगर इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं समझती हूं कि कोई हद भी नहीं रहेगी

[श्रीमती जयाबेन शाह]

एक बात और कहना चाहती हूं। वह डाइरेक्ट टैक्सेज़ की रिकवरी के बारे में है। सब लोग जानते हैं और मंत्री जी भी जानते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं वे ज्यादातर दो-दो एकाउंट रखते हैं, एक अपने लिये रखते हैं और दूसरा अफसर के लिये रखते हैं और जब सारा समाज ऐसा करता है तो उसके लिये सरमिन्दा होने की कोई जरूरत नहीं समझता और न उसको गलत काम करना समझता है। मैं समझती हूं कि इससे देश के चरित्र का ह्रास होता है। हमको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये कि जो प्रामाणिक लोग हैं और रहना चाहते हैं, उनको मजबूरी से इस रास्ते पर न आना पड़े। जो मुनाफा छिपाना चाहते हैं उनको सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर जो प्रामाणिक लोग अपना सही एकाउंट बनाते हैं उनकी बोनाफायडी में हमारे अफसर लोग शंका करते हैं और उनको बहुत परेशान होना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इसके बारे में हमको अपना मैथड चेंज करना चाहिये। हम सारे देश में एक दूसरे को चीट करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमको देश में सिर्फ फिजीकल टारगेट पूरे करने हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश का चरित्र भी आगे बढ़े यह भी हमारी चिन्ता का विषय होना चाहिये। हमारी पालिसी ऐसी होनी चाहिये जो कि मानव के बुनियादी सद्गुणों की पोषक हों। मैं मानती हूं कि वह पालिसी तो है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी ऐसी होनी चाहिये, जिससे मानवता आगे बढ़े और मनुष्य अपने असली सदगुणों पर डटा रहे। मने बहुत सी बातें कही हैं। मैं समझती हूं कि ये सब बातें हमारे देश की मूल बुनियादी बातें हैं और उन पर हमारे वित्त मंत्री जी का भी कुछ भरोसा है। इसलिये मैं समझती हूं कि वह इन बातों पर ध्यान देंगे। जहां तक इस बजट के कर-प्रस्तावों का सम्ब ध है, मेरी राय यह है कि डिमाक्रेसी में टैक्सेशन के सिवा और कोई चारा नहीं है, लेकिन इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वित्त मंत्री जी को गरीबों और मध्यम वर्ग का पूरा ख्याल है। वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन कर-प्रस्तावों द्वारा गरीबों पर बहुत बोझ न पड़े, लेकिन जिनके पास आज भी खाने के लिये है और वर्षों तक खाने के लिये रह जाता है, ऐसे धनिकों से पैसा ले कर हम कोई ग़लत काम नहीं कर रहे हैं।

अन्त में मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रिसिडेंट रखा है और हमारे सामने अच्छा बजट पेश किया है।

श्रीमती मिनीमाता (लोदा बाज़ार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे समय देने की कृपा की है। मैं पहले वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने इस साल हरिजनों, आदिवासियों और बैकवर्ड क्लासिज़ के कल्याण के लिये ५,५०,००,००० रुपये ज्यादा दिये हैं। मैं समझती हूं कि उस से हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जायगा, क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अब मैं अन्न के भावों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में इस साल अन्न की इतनी दुर्गति हो रही है, जिस को अपनी आंखों से देख कर मैं हैरान हो गई। अशोक मेहता कमेटी ने चावल के भाव फ़िक्स किये थे। मुझे ताज्जुब होता है कि आन्ध्र के चावल को बढ़ियां और मध्य प्रदेश के चावल को घटिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में धान उस समय कटता है, जब कि खेत का पानी सूख जाता है। इस के मुकाबले में आन्ध्र में मैं ने देखा है—मैं एक बार उधर घूमने गई थी—कि एक एक, डेढ़-डेढ़ फुट पानी में धान रहता है। आप समझ सकते हैं कि उस चावल का ज्यादा स्वाद होगा या उस चावल का होगा, जो कि सूखी जगह में रखा जाता है। सैन्टर की तरफ़ से चावल के जो खरीदार नियक्त किये गये थे, उन को तो कोई खास अनुभव

नहीं था। इसलिये इस सम्बन्ध में ब्यापारीयों की सहायता ली जाती थी। वे ब्यापारी उन अफ़सरों से कहते थे कि यह चावल अच्छा नहीं है, घटिया है, इसलिये उस को सरकार न खरीदे। इस का परिणाम यह होता था कि वह धान दस, पंद्रह दिन तक वहां पड़ा रहता था और किसान इससे थक जाते थे, हैरान हो जाते थे और उन को बड़ी तक्लीफ़ होती थी और वह अपने माल को किसी के ज़िम्मे आठ आने बोरे के हिसाब से छोड़ कर चले जाते थे। इस तरह से ब्यापारियों को दोनों तरफ़ फ़ायदा हुआ। एक तो किसानों ने कम भाव पर धान ब्यापारियों को बेचा और दूसरे आठ आने बोरा दलालों को मिला।

जब तक देश में छोटी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जायगी, तब तक अन्नोत्पादन नहीं बढ़ सकता है। आप मानते हैं कि आप जड़ में पानी देते हैं और हम पत्ते-पत्ते में पानी देना चाहते हैं—आप बड़े-बड़े बान्ध और डैम बनाना चाहते हैं, जब कि हम छोटीसिंचाई चाहते हैं। आप अकाल-एरिया के गांवों में जा कर देखिये, जहां पांच-पांच, दस-दस साल अन्न नहीं होता है और वहां के लोगों को शहरों की शरण लेनी पड़ती है जिस का परिणाम यह है कि गांव उजड़ गये हैं। छोटी सिंचाई से हम को दो फ़ायदे हैं। अगर उस की व्यवस्था की जायेगी, तो लोग गावों में ही रहेंगे और अपनी खेती में अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, जिस से गांव बसे रहेंगे और उजड़ेंगे नहीं। सरकार की तरफ़ से श्रमदान की मांग की जाती है। वे लोग गांवों में रहेंगे, तो वे श्रमदान में भी सहयोग देंगे। श्रमदान के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि वह अब श्रमदान नहीं रहा है, वह अब शरमदान हो गया है। लोग सड़क पर मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन वह सड़क चार-चार पांच-पांच, दस-दस बरस तक वैसी ही पड़ी रहती है और बन कर तैयार नहीं होती है। कई कुएं भी इसी तरह अधूरे पड़े हैं। कुछ तालाब भी ऐसे हैं, जिन को थोड़ा सा खोद दिया जाता है और उन का पानी किधर जा रहा है, इस का कुछ पता नहीं है। इस लिये जब तक छोटी सिंचाई को प्राथमिकता नहीं दी जायगी, तब तक ज्यादा अन्न नहीं उपजाया जा सकता है, न गांव बढ़ सकते हैं और न श्रमदान में ही सहयोग मिल सकता है।

सहकारी खेती से भी इस का सम्बन्ध है। जब तक छोटी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जायगी, तब तक सहकारी खेती भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब पानी ही नहीं रहेगा, तो सहकारी खेती कैसे हो सकती है। मैं मानती हूं कि सहकारी खेती से छोटे काश्तकारों को फ़ायदा हो सकता है, जिन को कर्ज़ के रूप में न तकाबी मिलती है, न किसी बैंक से कर्ज़ मिलता है और जो साहूकारों से डेढ़ गुने और दुगने भाव पर कर्ज़ ले कर अपने घरबार और खेती बाड़ी से बंचित हो जाते हैं। सहकारी खेती से हमारे छोटे काश्तकारों को फ़ायदा हो सकता है, अगर छोटी सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाये। मैं समझती हूं कि हमारा काम छोटी सिंचाई योजनाओं के बिना नहीं चल सकता है। अगर आपने इन की तरफ़ ध्यान नहीं दिया तो अन्न की जो उपज है वह किसी भी हालत में बढ़ने वाली नहीं है।

अब मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। धान की इस साल जो वहां फसल हुई है, वह मैं मानती हूं कि अच्छी हुई है। वहां पर खरीफ की फसल अच्छी हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि रबी की फसल वहां पर बिल्कुल खत्म हो गई है। रबी की फसल न होने के कारण किसानों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। उनकी हालत खरीफ की फसल अच्छी होने के बाबजूद भी खराब है, वह वैसी ही है जैसी पहले थी। रबी की फसल न होने के कारण उनको कहीं से पैसा मिलने की आशा नहीं है। उनको जो कुछ बेचना था, धान आदि, उसको वे बेच चुके हैं। वे अपनी तमाम खरीफ़ की फसल को १५ जनवरी तक ही बेच चुके हैं और इनको उसे इस वास्ते बेचना पड़ा क्योंकि उनको तकाबी जो कि पिछले दो सालों से मल्तबी होती

[श्रीमती मिनीमाता]

आ रही है, देनी थी। पहले वे रांबी की फसल आने पर अपने खाने भर के लिए अनाज इत्यादि खरीद लिया करते थे। अब जबकि रबी की फसल नहीं है उनके पास खरीद करने के लिये पैसा भी नहीं रहा है। सरकार उनको उनके धान का कुछ भाव देती है और इधर जो खाने वाले हैं जो उपभोक्ता हैं, वे कहते हैं कि आप अनाज के भाव कम नहीं करते हैं। एक तरफ उन लोगों को कम पैसे धान आदि के दिये जाते हैं और दूसरी तरफ जो उपभोक्ता हैं, उनको अना. महंगा मिलता है, धान महंगा मिलता है, यह बात समझ में नहीं आती है। ये दोनों कठिनाइयां वास्तविक रूप में हमारे सामने हैं और सही मालूम देती हैं। आज दालें एक रुपया सेर ह, गेहूं ३२ से ३५ रुपये मन तक बिक चुका है और लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो अनाज पैदा करने वाला है, उसको यह शिकायत है कि उसको ठीक भाव नहीं मिलता है और जो खाने वाला है वह कहता है कि उसकी सारी की सारी कमाई अनाज में ही खत्म हो जाती है, यह चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं चाहती हूं कि इसके सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये। काश्तकार को भाव भी ठीक मिलने चाहियें और जो उपभोक्ता है उसको भी ठीक दाम पर चीज़ मिलनी चाहिये।

अब सरकार खुद गेहूं खरीद करने जा रही है। इसकी ओर अगर सरकार अच्छी तरह से ध्यान नहीं देगी, अच्छी तरह से काम को नहीं करेगी, तो वही तमाशा होगा जो तमाशा अ ज हो रहा है और यह एक तमाशा बन कर ही चीज़ रह जायेगी। इसका नती ा यह होगा कि न तो अनाज पैदा करने वाले को लाभ होगा और न ही जो खाने वाला है, उसको ही अनाज ठीक भाव पर मिलेगा।

अब मैं सहकारी खेती के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। जब तक आप छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक इस सहकारी खेती से भी कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। बिना सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध किये हुये इस सहकारी खेती का चलना ज़र मुश्किल दिखाई देता है। मैं मानती हूं कि बिना सहकारी खेती के जो छोटे काश्तकार हैं वे अपने पांवों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करने की ओर भी ध्यान देना होगा।

अब मैं शिक्षा की ओर आती हूं। मैं चाहती हूं कि महिलाओं के लिये शिक्षा को कम्पलसरी कर दिया जाना चाहिये। बैक्वर्ड एरियाज़ में महिलायें दो परसेंट भी ऐसी नहीं हैं जो पढ़ी लिखी हों। जब तक आप गांवों में शिक्षा को अनिवार्य नहीं करेंगे तब तक मैं समझती हूं महिलायें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। यह एक बहुत आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप हमारे इलाके की दरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि जो दस पांच लड़कियां पढ़ने के लिये जाती हैं तो जो पढ़े लिखे भाई हैं, जो विद्यार्थी हैं वे इतनी बुरी तरह से इन्हें छेड़ते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। उनके हाथों से कई बार किताबें छीन ली जाती हैं, कई बार उनके ऊपर से साइकल चला देते हैं और इसी तरह की दूसरी शर्मनाक हरकतें वे लोग करते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिये इस तरह की हरकतें करना शोभा नहीं देता है। पढ़े लिखे लड़के ही अगर इस तरह से लड़कियों के साथ पेश आते हैं, उनमें ही अनुशासनहीनता है तो कैसे हमारा काम चल सकता है। ऐसी दशा में कैसे यह आशा की जा सकती है कि महिलायें आगे बढ़ें।

अब मैं परिवार नियोजन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। जब तक दस-दस या बीस-बीस गांवों में एक हस्पताल नहीं बनेगा, मैटरनिटी होम नहीं होंगे, तब तक परिवार नियोजन के

काम में आपको सफलता मिलना, मेरे खयाल से ज़रा कठिन है। आज भी गांवों की औरतें यह समझती हैं कि बच्चे तो भगवान की देन हैं और वे इसके बारे में ज्यादा उत्साह नहीं देती हैं। आप देखें तो आपको पता चलेगा कि गांवों में एक-एक मां के दस-दस और पंद्रह-पंद्रह बच्चे होते हैं और उनको आठ-आठ बरस तक तन ढकने के लिये कपड़ा भी नहीं मिलता है। जब यह हालत गांवों की है तो कैसे आप केवल प्रचार मात्र से यह काम कर सकते हैं। इसके लिये आपको उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा और वहां पर अस्पताल की सुविधायें सुलभ करनी होंगी। साथ ही साथ शिक्षा की सुविधायें आपको उन लोगों को प्रदान करनी होंगी।

अब मैं ज़मीन के बटवारे पर आती हूं। इसकी भी बात अब चल रही है। आप जो कानून बनाना चाहते हैं, उसके बनने में तो अभी देर है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि आज धड़ाधड़ ज़मीनों का बटवारा होता चला जा रहा है, लोग अपनी ज़मीनों को बेचते चले जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि ज़मीनों का जो रजिस्ट्रेशन है यह कुछ समय के लिये बन्द कर दिया जाये क्योंकि अगर आपने इस रजिस्ट्रेशन को बन्द कर दिया तो जो धांधलियां आज हो रही है, ये बन्द हो जायेंगी। जिन के पास दो-दो हज़ार या पांच-पांच हज़ार एकड़ ज़मीन है, वे अपनी ज़मीनों को बेचने की फ़िक्र में हैं, और बेचते चले जा रहे हैं। इस वास्ते मैं प्रार्थना करना चाहती हूं कि रजिस्ट्रेशन को बन्द कर दिया जाये।

अब मैं भिखारियों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मैं खास तौर पर बच्चे जो भीख मांगते हैं उनके बारे में कहना चाहती हूं। हमारे देश को यह बात शोभा नहीं देती है कि यहां के बच्चे भीख मांगते फ़िरें। जब छोटे-छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और भीख मांगने की आदत डाल लेते हैं तो दुःख हुये बिना नहीं रहता है। पुलिस इन भीख मांगने वालों को पकड़-पकड़ कर लाती है और फ़िर छोड़ देती है। इसके बजाय मैं चाहती हूं कि उनके मां बाप से आग्रह करके उनके लिये अनाथालयों की व्यवस्था कर दी जाये जहां पर इनको शिक्षा-दीक्षा दी जाये।

मैं यह भी चाहती हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता मिले। साथ ही साथ मैं मद्य निषेध के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। इसके बारे में आप आन्दोलन तथा प्रचार तो बहुत कर रहे हैं फ़िर भी मैं समझती हूं सरकार को पूरी सफ़लता नहीं मिल रही है। आज कल टिंचर जिंजर का भी बहुत ज़ोर है और यह छोटी से छोटी दुकानों में मिल जाती है। यह अलकोहल नाम की दवाई है। इसमें छः गुना पानी डालने पर भी इसको बरदास्त नहीं किया जा सकता है। जिन को शराब पीने की आदत है उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इससे कई नौजवानों की मृत्यु तक हो गई है। मेरी प्रार्थना है कि इस टिंचर जिंजर को भी बन्द कर दिया जाये।

हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने अनाज के भाव बढ़ने के खिलाफ़ आन्दोलन किये हैं और हड़तालें भी की हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं अब जब कि काश्तकारों के हाथ में से ८०—९० प्रतिशत अनाज निकल गया है सरकार मूल्यों पर नियंत्रण करके समस्या को हल करे। रबी फ़सल भी आने वाली है। उसके बारे में भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूं कि अभी से भावों को सरकार फ़िक्स कर दे ताकि हमारे काश्तकारों को अधिक से अधिक भाव और अच्छे से अच्छा भाव मिल सके और जो उपभोक्ता हैं जो खाने वाले हैं उनको भी सस्ता अनाज मिल सके।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हर साल जब हमारे वित मंत्री महोदय देश के सामने बजट पेश करते हैं तो इसकी जो गरीब लोग हैं, वे काफ़ी सांस रोक के इंतिज़ार करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद देश की प्रगति के साथ-साथ, देश के निर्माण के साथ-साथ उनकी भी हालत

[श्री स० म० बनर्जी]

में कुछ सुधार हो। लेकिन मैं यह समझता हूं कि कामन मैन की, गरीब आदमी, जिसको कि जनसाधारण कहा जाता है हालत दिन-ब-दिन खराब होती चली जा रही है। वह आज भी यह समझता है कि देश की समृद्धि के साथ उसकी समृद्धि जुड़ी हुई है, देश के निर्माण के साथ उसकी हालत भी सुधरेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता का विश्वास मेरे विचार में, सरकार के ऊपर से उठ जायेगा और वह हमारे देश के लिये बहुत ही घातक सिद्ध होगा। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह समझते हैं कि ऐसे ही सरकार की नुक्ताचीनी न की जाये। मैं विरोधी पक्ष का होते हुये भी आपको, अध्यक्ष महोदय, विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि मैं इस लोक-सभा को एक मंदिर समझता हूं और जो इस मंदिर में भगवान है वह भगवान रूपी जनता है और मैं अपने आपको उसका पुजारी समझता हूं। यह मेरा आदर्श है। मैं समझता हूं कि जो भी चीजें यहां होती हैं उन में काफ़ी हिस्सा, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। कभी-कभी जब मैं यहां पर अच्छी बातों को सुनता हूं जो कि हमारे प्रधान मंत्री या अन्य मंत्री करते हैं तब पाता हूं कि वे बातें वास्तविकता से दूर हैं। मैं तो समझता हूं कि पर लोक-सभा की बातें लोक-सभा में होती हैं। आज टैक्सेशन का क्या नतीजा होगा, वाकई में उस से गरीब की कमर टूटी है, या नहीं, मैं समझता हूं कि इस का हिसाब खुद वित्त मंत्री जी लगायें। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अगर आप वहां देखिये तो खंडसारी का जो छोटा उद्योग था उसमें तकरीबन पांच लाख आदमी काम करते हैं। उस के ऊपर आपने जो टैक्स आज लगाया है उस से मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि खंडसारी का उद्योग खत्म हो जायेगा, और वह इस वजह से खत्म होगा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखाने हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा हैं। खंडसारी के उद्योग में काफ़ी लोग ऐसे काम करते हैं जो कि बिल्कुल गरीब किस्म के इन्सान हैं। यदि अब तक वे लोग उस को ३० रु० मन बेच रहे थे तो आज के बाद मुझे मालूम है कि उन की खंडसारी ३४ रु० ८ आ० मन बिकेगी और उससे यह होगा कि खंडसारी उद्योग खत्म हो जायेगा और हमारे पांच लाख इन्सान जो उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगहों में इस का काम करते हैं वे बेकार हो जायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज को सोचें और संजीदगी के साथ सोचें। वे इस बात का निर्णय करें कि आज इस देश में छोटे उद्योगों का विकास हमारा ध्येय है या नहीं। मुझे मालूम नहीं कि आखिर उन की कमर क्यों तोड़ी गई है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह उद्योग जो चीनी मिल मालिक हैं उन के मुनाफ़े में कुछ ठेस लगा रहा था ? यदि ऐसा है और उनके मुनाफ़े की हिफ़ाजत करने के लिये या बढ़ावा देने के लिये यह बात की गई है तो मैं समझूंगा कि इस देश की पालिसी कुछ गलत हो गई। इस लिये मैं यह मांग करता हूं कि मंत्री जी इस पर दुबारा ध्यान दें। इस के चारों पहलुओं को देखें और सोचें कि अगर यह टैक्स न लगाया जाय तो देश का कौन सा बड़ा भारी निर्माण कार्य रुक जायेगा।

श्री काशी नाथ पांडे (हाता) : क्या माननीय सदस्य यह बतला सकते हैं कि खंडसारी की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या होती है ? इस तरह आपको मालूम हो जायेगा कि चीनी मिलों और खंडसारी में क्या मार्जिन आफ प्राफिट हो सकता है।

श्री स० म० बनर्जी : मेरे पास मेमोरेण्डम है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप उन से कुछ वसूल करना चाहते हैं तो आप उन को लाइसेंस कर दीजिये। आप को लाइसेंस का रुपया मिल जायेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि वह इन्स्पेक्टरान जो इसे वसूल करने जायेंगे वह ईद और होली मना रहे हैं। इस वजह से कि पैसा कमाने का एक और जरिया उन को मिला। यह सही बात है।

कुछ दूसरे टैक्स आप लगा रहे हैं। उन में से एक टैक्स बेजिटेबल आइल के ऊपर है। मैं कहूंगा कि उन से आप को इतना पैसा मिलने नहीं जा रहा है जिस से आज पूरे देश का निर्माण हो सके। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आखिर जब देश का निर्माण होगा तो पैसा आयेगा कहां से? मैं भी समझता हूं कि पैसा आना चाहिये। लेकिन कभी कभी मैं आप के वसूली के तरीके को देखता हूं। मैं देखता हूं कि एक तरफ़ इनकम टैक्स वसूल करने में पुरअमन तरीके, से, शांतिमय तरीके से, आजिजी से, मिन्नत से, खुशामद से सरमायेदारों से कहा जाता है कि दे डालो इनकम टैक्स का पैसा। यह वसूली का तरीका है। और दूसरी तरफ़ बेटरमेंट लेवी वसूल करने का तरीका यह है कि ५० साल की माता को गोली भी मारी जा सकती है। मैं समझता हूं कि कहां पर हिंसात्मक तरीके से काम लिया जाता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक माननीय सदस्य: आप को माता है?

श्री स० म० बनर्जी: मैं समझता हूं कि वह मेरी माता है। मेरी पैदाइश पंजाब में हुई है और मैं समझता हूं कि जिस धरती पर मेरी पैदाइश हुई है वहां की हर रहने वाली मेरी माता है। वरना आज पंजाब पंजाबियों के खून से लाल है। सतलज नदी की वह धारा जिस में लोग समझते थे उन के खेत जो हैं वह तमाम खेत सब्ज हो जायेंगे, आज उस सतलज को अगर, उस खून की खूनी होली के लिये खूनी सतलज के नाम से पुकारा जाय तो उस की जिम्मेदारी कांग्रेस की हुकूमत पर होगी। इस लिये मैं फिर आप से यह कहता हूं कि आप इस चीज को सोचें और अपने इन्साफ के तराजू पर दोनों चीजों को रखें। एक तरफ इनकम टैक्स का यह पैसा चला जा रहा है जो देश में है और आप को मिल नहीं रहा है जब कि देश में आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ गरीब किसानों से उन का गल्ला ले जाया जाय, उन की चीजें बेची जायें। एक मामूली गांव में, लुधियाना में जिस तरीके से लोगों को घुसने नहीं दिया गया, जिस तरीके से हमारे बच्चों को, माताओं को, बहनों और छोटे बेटे बेटियों को मारा गया। * * * * * * मैं इस लिये नहीं कह रहा हूं कि आज वहां जो कुछ हो रहा है, उस का समर्थन करता हूं और यह कि वहां तशद्दुद से काम लिया जाय। लेकिन मैं यह कहूंगा कि वसूली के जो तरीके हैं, मैं समझता हूं कि गोलियों के बूते पर, बिरला साहब और टाटा साहब और दूसरे सरमाये दारों.....

†**उपाध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य कृपा कर के संक्षेप में ही पंजाब की स्थिति का उल्लेख करें। सारे भाषण में पंजाब की विधि एवं व्यवस्था की ही चर्चा करना ठीक नहीं। मैं इस पर विचार करके अपना निर्णय दूंगा।

श्री स० म० बनर्जी: तो मैं आप से कह रहा था कि आखिर तरीके क्या होने चाहियें। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि आज की सरकार जो समाजवाद की घोषणा कर चुकी है, उस के इन्साफ के तराजू पर एक अमीर और एक गरीब दोनों एक सा होने चाहियें। अगर मैं ने मुख्य मंत्री जी की शान के खिलाफ कोई बात कही है तो मुझे दुख है। मैं कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता था लेकिन जब ऐसी बात हो चुकी हो, घटना हो चुकी हो, तो उस के बारे में मैं डरता यह हूं कि कहीं ऐसा न हो कि आप को हथियाना गांव में एक मेमोरियल बनाना पड़े और आप पूजा करें उस माता की। मैं नहीं चाहता कि हथियाना गांव पंजाब में और बनें।

....इस के बाद सवाल आता है कि इस बजट में बेकारी के लिये क्या करने जा रहे हैं आप। हमेशा इस सदन के सामने हम लोगों ने रक्खा कि आखिर अनएम्प्लायमेंट डोल कुछ तो आप रक्खें।

---

† मूल अंग्रेजी में

****ये शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाल दिये गये।

[श्री सोम बनर्जी]

दिन-ब-दिन बेकारी बढ़ती जा रही है, उस को रोका नहीं जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने किसानों के सामने यह चीजें रक्खीं, किसान ने अपने को जूझा दिया। किसानों ने कहा : ठीक है, खेत हमारे हैं और हम उसे हरा भरा रक्खेंगे, लेकिन जब उस ने अपने आप को जूझा दिया तो उस के बाद उसे मिला क्या? मुआवजे में मिली बेदखली। लाखों की तादाद में किसान हसरत-भरी निगाह से उस जगह को जहां पर उन के बाप दादों की हड्डियां गड़ी हैं देखते हुए अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर चले गये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरों के सामने रक्खा गया कि औद्योगीकरण होगा। पहले यह कहा गया कि ८० लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, उस के बाद यह मालूम हुआ कि ६५ लाख आदमियों को मिलेगी। लेकिन आज जितने कारखाने बन्द हुए हैं आप अगर उन के आदमियों से जा कर कहें सूती मिल के मजदूरों से कहें, कि वे अपने आप को जुझा दें तो वे कैसे तैयार होंगे? आज हमारे हिन्दुस्तान में काफी लोग ऐसे हैं जिन के पास तन ढंकने के लिये कपड़ा नहीं है। वे पूछेंगे कि कपड़े हम ने बनाये, करोड़ों गज कपड़ा हम ने बनाया, लेकिन आज मिलबन्दी के बाद हमारी बीबी के तन पर कपड़ा नहीं है, हमारी बच्ची के तन पर कपड़ा नहीं है। जूट मिलें बन्द होती जा रही हैं, आखिर यह सब क्या है? इस के बारे में आप संजीदगी से सोचिये, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचिये और तब फैसला कीजिये कि यह बातें विरोध करने के लिये कही जा रही हैं या इन में कुछ सच्चाई है। अगर सचाई है तो इंसाफ़ का तक़ाज़ा यह है कि आप संजीदगी से बैठ कर और दिल पर हाथ रख कर सोचिये कि आखिर आप लोगों को क्या करना है?

इसके बाद मैं माननीय वित्त मंत्री को डिफेंस बजट में जो कमी हुई है उस के लिए बधाई देता हूं। डिफेंस डिपार्टमेंट जिस तरीक़े से काम कर रहा है कम से कम मैं यह समझता हूं कि वह देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उस में खराबियां हैं लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो यह फ़ैसला ट्रैक्स और ट्रैक्टर्स के बारे में किया वह एक सही और दुरुस्त फैसला था। इन कम्पनियों ने चार करोड़ से ज्यादा रुपया लिया है। मैं आपको बताऊं कि एक ट्रक की कीमत ३१ हज़ार से ३२ हज़ार थी जब कि मिनिस्ट्री आफ डिफेंस द्वारा वह ट्रक ४२ हज़ार म से ४८ हज़ार तक में लिये जाते थे यह कह कर कि हम स्पैशलाइज्ड तरोके से बना रहे हैं। स्पैशलाइज्ड तरीके के नाम से उन्होंने पांच, सात साल में तक़रीबन ४ करोड़ रुपया ज्यादा लिया। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को जिस ने ट्रकों की बाबत यह फ़ैसला लिया उसकोइस के लिए बधाई देना चाहता हूं। डिफेंस उद्योग जिस तरीक़े से तरक्क़ी कर रहा है मैं समझता हूं कि एक दिन वह होगा कि डिफेंस में सैल्फ़ सफिशिएंसी आयेगी और आज विदेशों से जो तमाम चीज़ें यहां पर आती हैं वे हमारे देश में नहीं आयेंगी।

अब सदन् में फ़ारेन लोंस् (विदेशी ऋण) का भी ज़िक्र आया और हमें यह बतलाया गया कि अमरीक़ा बहुत फ़राख़दिली से हमें क़र्ज दे रहा है। वह हमारे देश के लिए अन्नदाता बना हुआ है लेकिन वही अमरीका जो हमें अन्न और धन आदि से सहायता कर रहा है, वही पाकिस्तान को आर्म्स एंड ऐम्यूनेशंस् सप्लाई कर रहा है। लेकिन एक नागरिक की हैसियत से मेरा दिल दहल उठता है कि अमरीका जो इस कदर हमारी सहायता कर रहा है और हमें गल्ला सप्लाई कर रहा है और कर्ज़ आदि दे रहा है तो कहीं इस तरह इतिहास फिर दुबारा दुहराया तो नहीं जा रहा है और हमारे देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी की कहीं पुनरावृति तो नहीं हो रही है। आखिर ईस्ट इंडिया कम्पनी वाले भी तो हमारे देश में केवल तिजारत करने ही आये थे बनियां बन कर ही आये थे लेकिन यह हर एक जानता है कि धीरे धीरे किस तरह उन्होंने यहां हिन्दुस्तान में अपने पैर जमाये और जिसका कि परिणाम यहां पर अंग्रेज़ी हुकमत की स्थापना हुआ। वे शुरू में ख़ाली कालीकट में रह कर भारत में तिजारत करने

की इज़ाज़त लेकर वहां आये थे लेकिन बाद में उन्होंने क्या गुल खिलाये। तो यह सोच कर मैं अक्सर घबरा उठता हूं कि कहीं उस तरह की अशुभ घटना तो हमारे देश में दुबारा नहीं होने जा रही है लेकिन मुझे अपनी पंचशील के नारे के ऊपर विश्वास है, अपने देशवासियों और एशिया वालों पर विश्वास है और इस कारण मेरी वह घबराहट ज्यादा देर तक क़ायम नहीं रहती लेकिन तो भी जो यह एक आशंका है वह मैंने आपके सामने रख दी। मैं चाहता हूं कि यह चीज़ बिलकुल स्पष्ट हो जानीं चाहिये कि देश का अगर निर्माण होगा तो वह स्वयं देशवासियों के सम्मिलित प्रयत्न और बलिदान से होगा । उस के लिए आप सरमायेदारों का सरमाया लीजिये और ग़रीबों की मेहनत लीजिये। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि ऐसा आपने किया तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल है।

फूड सिचुएशन (खाद्य स्थिति) का जहां तक सम्बन्ध है तो उस के लिए मेरा कहना है कि सरकार की पालिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है और हमने देखा कि कभी कुछ स्लोगंस् उठाये जाते हैं और कभी कुछ और । ग्रो मोर फूड का नारा उठाया गया। उसके बाद डिफारेस्टेशन का नारा बुलन्द किया गया और दुबारा फिर एफौरेस्टेशन का नारा उठाया गया। जब एरोज़न हुआ तो सरकार ने जंगल लगाने का नारा उठाया और लोगों को जंगल और पेड़ लगाने को कहा । अब मैं चूंकि कानपुर शहर का यहां पर एक मात्र प्रतिनिधि हूं और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बतलाना चाहता हूं कि इस पेड़ लगाने के बन महोत्सवों में मैं भी अक्सर जाता हूं। अब क़रीब ६२ रुपये का एक पौधा लगता है। आप विश्वास मानिये कि जो मैं पेड़ लगा कर आता हूं दुबारा उस जगह पर जा कर देखता हूं तो वह पेड़ मुझे नज़र नहीं आता बल्कि मेरा नाम का टिकट वहां पर जरूर मौजूद मिलता है लेकिन पेड़ नदारद होता है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस खाद्य उत्पादन और कृषि के सवाल को गम्भीरता से टैकिल करे और किसानों की ज़मीन और लडें सीलिंगा के बारे में फैसला करे।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान अभी हाल में उत्तर प्रदेश के संसद् सदस्यों का जो श्री सम्पूर्णानन्द ने लखनऊ में एक सम्मेलन बुलाया था उसकी ओर दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वहां पर संसद् सदस्यों को यह बतलाया था कि किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के प्राजेक्ट्स आदि को जो सेंटर से ग्रांट मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। अब मैं यह नहीं कह ा कि वहां पर जो यह लोगों ने शिकायत की वह सही है लेकिन भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये कि उनका यह आक्षेप कहां तक सही है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय के दिल में यह चीज़ है कि उत्तर प्रदेश की योजनाओं को सेंटर से जितनी सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है । उदाहरण के लिये बुंदेलखंड का पिछड़ा और अविकसित इलाका है। वहां का माता टीला प्राजेक्ट अभी अधूरा पड़ा है और उसके पूरा होने से वहां खुशहाली आ सकती है । वहां के मुख्य मंत्री का यह कहना है कि यह प्राजेक्ट वग़ैर सेंटरल ऐड के नहीं बन सकता। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें। मैं यह मानता हूं कि स्टेट वरसेस सेंटर की यह कंट्रोवर्सी ख़राब है लेकिन मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में जांच करें ।

अब बजट लीकेज के बारे में मंत्री महोदय ने कह दिया कि वह तो एक स्पैकुलेशन है। मैं निवेदन करूंगा कि वे उस लीकेज के बारे में मेहरबानी कर के इनक्वायरी करें। मेरा तो यह कहना है होर्डर्स इस तरह का स्पैकुलेशन कर के देश को नुक़सान पहुंचा रहे हैं और यदि आप ख़ामोश बैठे रहे तो उसका बुरा परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा। जो भी हो मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस बारे में जांच करायें। हो सकता है कि मैं ने ही कुछ ग़लत समझा हो और अगर ऐसा हो तो वह जांच करा कर के मेरी इस ग़लत फ़हमी को दूर करें।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन की तपस्या के बाद आज जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं ।

इस बजट पर आज यहां पर चार दिन से विचार हो रहा है । सन् १९५७ से जो देश में निराशा-उदासीनता और छूत की भावना आई लेकिन जिस साहस के साथ हमारे देश की सरकार ने उस का मुक़ाबला किया है मैं उसकी सराहना करता हूं । यह ठीक है कि यह देश के निर्माण का काल है और इस निर्माण के काल में हमारी अनेक योजनाएं चल रही हैं । पहली योजना का प्रभाव यह हुआ है कि देश के अन्दर श्रम की भावना जागी है और हमने समझा है कि हम श्रम रूपी तपस्या से आगे बढ़े हैं । "श्रमेण हि तपसः" । श्रम ही तो तपस्या है । दूसरी योजना के अन्दर भी हमने एक क़दम आगे बढ़ाया है और जनता और जनसाधारण का उन योजनाओं के प्रति विश्वास है और योजनानुसार देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है लेकिन जिस तरीके से यह बजट की भावना आती है और जिस तरीके से आप टैक्सों को बढ़ाते हैं और घाटे का यह जो बजट देश की अवस्था को देखते हुए आप लाये हैं और करों का जो औचित्य है मैं उस में कोई अविश्वास नहीं करता लेकिन यह बात जरूर है कि आप को उन तमाम लोगो को जो अनपढ़े हैं और जिन को कि अभी आगे आने का अवसर प्राप्त नहीं होता है उनको भी आगे आने की बात समझायें। अब जहां देश के अन्दर एक से एक विशाल भवन बनते दिखाई देते हैं और बहुत सी सड़कें आदि बनती दिखाई देती हैं वहां अभी तक इस देश के अन्दर जो अभाग्यवश दरिद्रता विद्यमान है, उसको कोई मिटा नहीं पा रहा है । सदियों पहले हमारे वेद में कहा गया कि यह जो समुद्र में लकड़ी का टुकड़ा बहता है वह कहता है कि हे बदसूरत गरीबी तू इस पर बैठ कर सात समुन्दर पार चली जा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वह दरिद्रता और बेरौनक और बदसूरत गरीबी क्या हमारे बीच में से चली गई है? आज वह दरिद्रता आपको इस नई दिल्ली के जैसे चमत्कारी वातावरण में भले हीं न दिखाई पड़ती हो और आप भ्रमवश यह समझ बैठे कि वह दरिद्रता हम से दूर चली गई है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वह आपका कोरा भ्रम होगा क्योंकि आज भी आप ग्रामों की हालत देखिये कि कितनी शोचनीय है और वहां पर आपको दरिद्रता नंगा नाच नाचते हुए दिखाई देगी । हमारे देश के अन्दर अभी भी दरिद्रता घट नहीं पा रही है हांलाकि इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं मैं उनकी तो अवश्य सराहना करता हूं लेकिन हमें उस दिशा म जितनी कामयाबी चाहिये वह नहीं मिल रही है । आज भी अभाग्यवाश देश के अन्दर भ्रष्टा-चार और बेकारी का बोल बाला है । अभी मैं ने वित्त मंत्री महोदय के मुख से यह सुना कि दूसरी योजना के बाद देश को १ करोड़ ४० लाख आदमियों की बेकारी का मुक़ाबला करना पड़ेगा तो जैसे मैंने पहले कहा आप के बेकारी और बेरोज़गारी दूर करने के जितने भी प्रयत्न हैं वे सफल नहीं हो पा रहे हैं ।

मैं देहातों के अन्दर गया हूं और मैं ने पद यात्रा भी की है और मैं ने वहां पर देहातों के किसानों और मज़दूरों की जो गिरी हुई हालत देखी है उस से मुझे बहुत क्लेश हुआ है और मेरा हृदय रो रहा है और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उन दलित, गरीब और पिछड़े लोगों की अवहेलना करने से देश कदापि आगे नहीं बढ़ सकेगा । हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने भी कहा है कि जब तक देश का किसान आगे नहीं जाता, देश आगे नहीं बढ़ सकता ।

आप उनके कल्याण के लिए यह जो सहकारी खेती और भूमि की सीमा निर्धारित करने की बात कर रहे हैं वह बात तो ठीक है लेकिन मेरा कहना यह है कि मुझे अभी अपने देश में सहकारी खेती के लिए अनुकूल वातावरण नज़र नहीं आता जैसा कि आना चाहिये । यह जो सरकार की ओर से कहा गया है कि सहकारी खेती के लिए किसानों को राज़ी करने के लिए ज़बर्दस्ती नहीं की जायेगी तो

वह ठीक ही बात है। उसके लिए पहले देश में अनुकूल वातावरण तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि हमारा जो इस देश में एक वर्गविहीन, जातिविहीन और वर्ण-विहीन समाज बनाने का ध्येय है उस में हमें अभी अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल रही है। आपने देश में जो समाजवादी समाज की स्थापना की बात कही है वह स्वागत योग्य है लेकिन उस के लिए जो सक्रिय प्रयत्न होना चाहिए वह नहीं दिखाई देता है। यह ठीक ही है कि हमें इस देश के अन्दर एक भाईचारे, सद्भावना और एकत्व का वातावरण स्थापित करना चाहिये। अब हमारे देश की भूमि में अनेक जातियों के लोग रहते हैं और अनेक भाषायें बोली जाती हैं मैं चाहता हूं कि वे हमारी इस भूमि को एकत्व सद्भावना और भाईचारे की भावना से शोभित करें।

इस वेद मंत्र में जाहिर किया गया है मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री और हमारे देश के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके भगीरथ प्रयत्नों से यह देश आगे बढ़ रहा है, उसको समझें।

जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं
नाना धर्माणं पृथिवी यथौकसम् ।
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां
धुवेव धेनुर् अनपस्फुरन्ती ।।

इस तरह से वेद में यह जाहिर किया गया है कि ये जो अनेक भाषायें बोलने वाले और अनेक रूप के लोग हैं यह हमारी भूमि को उसी तरह से शोभित करें जिस तरह से गौ अपने दूध की धारों से देश को शोभित करती है। जब तक यह बात नहीं हो जाती तब तक देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता।

जब सहकार समितियों की बात करते हैं तो यद्यपि यह बात ठीक है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हरिजन और बहुत से लोग बहुत पीछे हैं। जब हम सर्वोदय की बात करते हैं तब भी उन पिछड़े हुए लोगों पर ध्यान जाता है। उनको उठाने की आवश्यकता है। अभी आपके प्रयत्न जो हो रहे हैं वे ऊपर से हो रहे हैं नीचे से नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन बापू जी यही कहते थे कि नीचे से ऊपर को चला जाये। चूंकि आप यह नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपका प्रयत्न बहुत सफल नहीं हो रहा है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप पहले हरिजनों और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की तरफ ध्यान दें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें तभी आपको सफलता मिल सकती है।

दूसरी बात मुझे जमीन की सीलिंग के बारे में कहनी है। यह ठीक है कि जमीन की सीलिंग होनी चाहिए परन्तु साथ ही साथ प्रापर्टी की भी सीलिंग होनी चाहिए, धन की भी सीलिंग होनी चाहिए, आमदनी की भी सीलिंग होनी चाहिए और सीलिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी प्रकार का किसी पर दबाव न रह सके। तो मैं चाहता हूं कि सब विषमताओं को दूर किया जाये। और मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

यह ठीक है कि सरकार हरिजनों के लिए काम कर रही है लेकिन जिस तरह से योजनायें चलती हैं, और जिस तरह से ग्राम पंचायतें चलती हैं और जिस तरह से आज दूसरी चीजें चल रही हैं। उन से हरिजनों की पूरी भलाई नहीं हो सकती। मुझे भरोसा है कि आप इधर ध्यान देंगे।

मैं आपका ध्यान हाल में गुड़गांव जिले में जो हरिजनों के साथ अत्याचार हुए हैं उन की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे भाई सी० डी० पांडे ने कहा कि अगर कोई भंगी मेरे घर आये तो वह मेरे कजिन से बेहतर है। हो सकता है कि वह ऐसा समझते हों। लेकिन मैं कहता हूं कि आज हरि-

[श्री वाल्मीकी]

जनों का मुकाबला मिडिल क्लास से करना ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार का व्यवहार आज भी हरिजनों के साथ हो रहा है उस में एक जबरदस्त अन्याय मालूम पड़ता है। मैं इस सम्बन्ध में एक शेर कहना चाहता हूं :—

कौन इस तर्जे जफाये आसमां की दाद दे,
बाग सारा फूंक डाला आशियां रहने दिया ।

तो मैं आप से कहना चाहता था कि गुड़गांव जिले में भापड़ौदा गांव में हरिजनों के घरों को छीना गया और हरिजनों पर पुलिस द्वारा अन्याय किया गया । प्रधान मंत्री महोदय ने यकीन दिलाया है कि वहां पर जो पुलिस ने अन्याय किया है उसकी जांच होगी।

मैं एक बात और कह कर समाप्त करना चाहता हूं । कुछ लोग पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल किये हुए हैं। मैं जानता हूं कि घरेलू मजदूरों का प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न है। और यह बहुत आवश्यक प्रश्न है । घरेलू मजदूर संगठन के जनरल सेक्रेटरी श्याम सिंह जी इस सम्बन्ध में भूख हड़ताल किये हुए हैं। उस से मेरी हमदर्दी है। मैं चाहता हूं कि घरेलू मजदूरों की दिक्कतें दूर हों उन पर जो अत्याचार होता है वह दूर हो। आज इनकी दिक्कतों को दूर करने की नितान्त आवश्यकता है । मुझे भरोसा है कि सरकार इनकी दिक्कतों पर ध्यान देगी।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए एक अलग मंत्रालय भी होना चाहिये।

श्री यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बजट पेश किया गया है उसके बारे में कहा गया है कि यह समाजवादी बजट है। पर इस समाजवादी बजट में हम क्या पाते हैं? एक ओर तो कम्पनियों को लाभ कर से और सम्पति कर से छूट दी जा रही है। यह समाजवादी बजट की सब से पहली कसौटी है। दूसरी ओर खंडसारी के कुटीर उद्योग पर कर लगाया जा रहा है। सरकार छोटे उद्योग धंधों के लिए, उन के उत्थान के लिए क्या कर रही है यह इस से पता चलता है। यह बजट भारी करों का और साथ साथ सरकारी नौकरों का बजट कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि सन् १९४८ में सामान्य प्रशासन पर ३५.५४ करोड़ रुपया खर्च होता था। यह खर्च सन् १९५५–५६ में बढ़कर ९५ करोड़ से भी अधिक हो गया, सन् १९५७–५८ में यह बढ़ कर १९४ करोड़ हो गया और सन् १९५८–५९ में यह २०० करोड़ हो गया। इस वर्ष यह २२२ करोड़ होगा। लगभग ८ अरब ४० करोड़ के बजट में सामान्य शासन पर २ अरब २२ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है । इस से पता चलता है कि नौकरशाही कितनी ज्यादा बढ़ रही है । जिस तरह से पिछले सालों में इस सदन में घाटे के बजट प्रस्तुत हुए उसी तरह का बजट आज भी पेश किया गया है, अर्थात् घाटे का बजट और उस पर ही यहां बहस हो रही है ।

बजट में करों की बात कही गयी है । पिछले कई सालों से लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर अरबों रुपये का विदेशी कर्ज और विदेशी सहायता ली जा रही है और अरबों रुपये के कर का बोझ जनता पर डाला जा रहा है। योजना की तथा देश की तरक्की की मुखालिफत करना अच्छी बात नहीं है । लेकिन हमें देखना होगा कि जो योजनायें चल रही हैं वे किस प्रकार की हैं योजनायें हैं। इन योजनाओं में बुनियादी तबदीली की आवश्यकता है क्योंकि आज जो सरकार चल रही है जिस प्रकार के सरकार के खर्चे हैं, उन से साफ पता चलता है कि इस सरकार का मुख देश के ४० करोड़ लोगों की तरफ न हो कर कुछ धनी मानी और सामन्ती लोगों की तरफ है । जब ऐसी बात है तो योजना में तबदीली की अत्यन्त आवश्यकता है। योजना में क्या कमियां हैं? सब से पहली खामी

योजना में यह है कि हम आज अमरीका और रूस आदि पश्चिमी देशों की नकल करते हैं। इन देशों में और हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा फर्क है। ये मुल्क आज दुनिया के बहुत तरक्कीयाफ्ता मुल्क हैं। वहां पर हर व्यक्ति के पीछे दस पन्द्रह और पन्द्रह बीस हजार की पूंजी है। जब कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति के पीछे २५० रुपये की पूंजी है। साथ ही साथ रूस और अमरीका में हमारे देश जैसी बड़ी आबादी भी नहीं है। तो अगर हम उनकी नकल करेंगे तो गलत दिशा में चलेंगे। और उस रास्ते से चल कर हम हिन्दुस्तान में केवल दस पन्द्रह लाख लोगों का भला कर सकेंगे, जैसा कि आज हो रहा है।

दूसरी कमी इस पंचवर्षीय योजना में यह है कि इस में मशीनों पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, खास कर स्वचालित मशीनों पर जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बेकारी जोरों से बढ़ती जा रही है। यहां इस बारे में बहुत से आंकड़े भी रखे गये। सन् १९५२ से सन् १९५८ तक के आंकड़ों को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ३८.८ लाख से बढ़ कर आज बेकारी ५३.४ लाख हो गयी है। तो हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं और सरकार के कथनानुसार देश तरक्की भी कर रहा है, पर साथ ही हम देखते हैं कि बेकारी भी बढ़ती जा रही है। ये दोनों एक दूसरे की विरोधी बातें हैं कि पंचवर्षीय योजनायें सफल हो रही हैं और बेकारी बढ़ रही है। मैं नहीं कह सकता कि इस दशा में योजनाओं को कैसे सफल कहा जा सकता है। आज चाहिये क्या? आज आवश्यकता इस बात की है कि छोटी छोटी मशीनों और छोटे उद्योग-धन्धों पर ज़ोर दिया जाये, जो कि पावर द्वारा चलाई जायें। इस प्रकार की कम लागत की छोटी मशीनों का आविष्कार होना चाहिए। लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है।

इस योजना का दूसरा दोष यह है कि यह योजना पूंजीवादी है। पब्लिक सैक्टर हो या प्राईवेट सैक्टर, सरकार का अधिक ध्यान उद्योगपतियों की ओर है और उन्हीं को अधिक धन कर्ज के रूप में दिया जाता है। पब्लिक सैक्टर में खास तौर से वही चीजें ली जा रही हैं, जिन को उद्योगपति और पूंजीपति लेने के लिये तैयार नहीं हैं। जब तक सरकार का यह दृष्टिकोण नहीं बदलता और इस पूंजीवादी योजना को ताक में रख कर एक समाजवादी योजना नहीं बनाई जाती है, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। पूंजीवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ है। अगर भ्रष्टाचार का अन्त करना है, तो साफ जाहिर है कि पूंजीवाद के रहते हुए भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार और पूंजीवाद एक दूसरे के साथ फलते फूलते हैं और एक दूसरे के भाई और बहिन हैं।

आज योजना को चलाने की जिम्मेदारी नौकरशाही पर है और वह नौकरशाही कैसी है? पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ करने वाली नौकरशाही। इस नौकरशाही से यदि इस योजना को चलाया जाता है, तब तो यह योजना कभी सफल नहीं हो सकती है। नौकरशाही योजना को ऊपर से लादती है, जब कि हम ग्राम-स्तर और जिला-स्तर से योजना को चलाना चाहते हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक न तो देश में उत्साह पैदा हो सकता है और न ही योजना के अंतर्गत वे कार्य किये जा सकते हैं, जो कि हिन्दुस्तान के साधारण लोगों और देहात में रहने वाले लोगों —क्योंकि सारा हिन्दुस्तान देहात में रहता है—के जीवन-स्तर को ऊंचा करने के लिये जरूरी हैं, न देश तरक्की कर सकता है और न योजना आगे बढ़ सकती है।

योजना का एक और रोग है आधुनिकीकरण। हर जगह पश्चिमी देशों की नकल और साज-सजावट पर योजना का सारा पैसा खर्च हो रहा है। यदि हम इसी में लगे रहे—बड़े बड़े स्टेशनों, बड़े बड़े होटलों के निर्माण में लगे रहे, उत्तरी और दक्षिणी पथ और शीत-ताप नियंत्रक मकानों के बनाने में लगे रहे—तो देश की आम जनता को इस योजना से कोई लाभ नहीं होगा। और देश की सारी शक्ति और पैसे का दुरुपयोग होगा। आज हम देखते हैं कि देहातों की तरफ ध्यान न दे कर

[श्री यादव]

दिल्ली शहर के उस भाग को सजाने पर जोर दिया जाता है, जहां कि अमीर लोग रहते हैं, नये और पुराने पूंजीपति रहते हैं, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के निवास-स्थान हैं, लेकिन दिल्ली शहर में जहां छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, इक्के वाले, तांगे वाले और रिक्शा वाले रहते हैं, उस की तरक्की नहीं हो रही है। आज इस योजना में क्या हो रहा है? चालीस करोड़ की दलदल में लखनऊ, कानपुर, बम्बई, कलकत्ता जैसे कुछ शहर सजा कर कमल की खेती हो रही है। यदि हम को चालीस करोड़ को उठाना है, उन के बारे में सोचना है, तो यह कमल की खेती बन्द करनी पड़ेगी, साज-सजावट के कार्यों को और जो उद्घाटन हो रहे हैं, उन को खत्म करना होगा।

योजना में सब से बड़ा बुनियादी दोष यह है कि हमारे यहां जो साधन मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, उन की उपेक्षा हो रही है। हमारे यहां के आर्टिसन्ज का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हर जगह मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। चाहे बान्ध बनाना हो और चाहे सड़क बनानी हो, कन्क्रीट सिस्टम पर बनाये जा रहे हैं और इस देश के मेसन्ज और आर्टिसन्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी आबादी बहुत बड़ी है। हमारे यहां जन-शक्ति काफी है, लेकिन उस का कहीं उपयोग नहीं किया जा रहा है। सारा जोर मशीनों पर दिया जा रहा है। जब तक इस देश की जन-शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि काफी तादाद में मौजूद है, तब तक हम योजना में सफल नहीं होंगे और हम इसी तरह से विदेशों से कर्ज ले कर, मशीनों पर जोर दे कर एक नकली चीज हिन्दुस्तान को देंगे और हिन्दुस्तान बजाये खुशहाली और अमीरी की तरफ जाने के गरीबी की तरफ जायेगा।

अगर हम को योजना की सफलता को आंकना है, तो तीन बातों को देखना होगा। १९४९ से अन्न-संकट देश के सामने है। उस समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि १९५१ में देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जायगा और विदेशों से अन्न नहीं मंगाया जायेगा। १९५१ में यह कहा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर १९५६ में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। लेकिन वह भी गुजर गया। अब तीसरी योजना का प्रश्न आ गया और तीसरी योजना भी शुरू होगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि आधा-पेट भोजन देने के लिये हिन्दुस्तान को ६५ करोड़ का अन्न विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। आज दस करोड़ लोग भूक से झुलस रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सदन के बाहर भूख-हड़ताल की चर्चा चल रही है। आज दस करोड़ लोक भूख-हड़ताल करने पर मजबूर हैं। वे भूखहड़ताल करना नहीं चाहते, लेकिन वे भूख से झुलस रहे हैं।

अन्न संकट के साथ ही भारी दामों का भी प्रश्न है। दाम इस हद तक बढ़ गये हैं कि साधारण लोगों की जेब से बाहर चले गये हैं। उन की क्रय-शक्ति इतनी नहीं रह गई है कि वे इन बढ़े हुए दामों में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सरकार की ओर से अन्न के व्यापार की बात कही गई है। मैं यहां पर आगाह कर देना चाहता हूं कि अन्न का व्यापार सरकार जरूर ले---मुझे इस में खुशी है और मैं इस का स्वागत करूंगा---लेकिन साथ ही साथ अगर वह कोई दाम-नीति निश्चित नहीं करती है, तो कोई फायदा नहीं होगा। होगा क्या? यह कि पूंजीपति, सरकारी नौकर, सरकार और बड़े किसान जो लूट आज करते हैं, वह लूट करेंगे सरकारी कर्मचारी और कुछ पैसा सरकारी खजाने में भी चला जायेगा। होना यह चाहिये कि अन्न के दाम निश्चित हों और फसल कटने के समय और उस के बाद बाकी समय में दामों में एक आने सेर से ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये। यह नीति अपनाई जानी चाहिये। इस के साथ साथ जो दूसरी चीजें कल-कारखानों में पैदा होती हैं,

उन के दाम लागत से डेढ़ गुना से ज्यादा किसी सूरत में नहीं होने चाहियें। अगर सरकार यह नीति नहीं अपनाती है, तो सरकार द्वारा इस व्यापार को लेने के बाद भी जनता को कोई फायदा नहीं होगा। जनता कांग्रेस, कमीशन एजेन्ट्स और सरकार की भ्रष्ट मशीन की शिकार ही होगी। आज देश भ्रष्टाचार का शिकार है। भ्रष्टाचार में ही सारा पैसा जा रहा है। बनारस में शारदा सागर स्कैंडल हुआ। वहां पर चन्दौली में उप-चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश के मंत्री कमलापति त्रिपाठी के लड़के के साले स्टेशन इनचार्ज हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिये रोडवेज की जीप-गाड़ियां दीं और सात आठ हजार रुपये अब भी बाकी हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है।

श्री म० प्र० मिश्र (वेगू सराय) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

उपाध्यक्ष महोदय : जो आदमी यहां मौजूद नहीं हैं, उस के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिये और माननीय सदस्य को यह वापस ले लेना चाहिये।

श्री यादव : मैं तो भ्रष्टाचार की मिसाल दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : भ्रष्टाचार की मिसाल ऐसे आदमी के बारे में नहीं देनी चाहिये, जो कि यहां पर जवाब नहीं दे सकता है। माननीय सदस्य को यह वापस ले लेना चाहिये क्या यह वापस लेंगे ?

श्री यादव : ये सारी चीजें अखबार में आ चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आ चुकी हैं, तो भी कुछ परवाह नहीं है। माननीय सदस्य को इसे वापस ले लेना चाहिये।

श्री यादव : मैं नाम वापस ले लेता हूं।

आज केन्द्रीय सरकार के पास इतने साधन मौजूद हैं कि उन से वह इस देश का नैतिक पतन कर रही है। भारत सेवक समाज, महिला मंगल योजना, युवक समाज आदि संस्थायें बनाई गई हैं। सरकार करोड़ों रुपये दे कर हिन्दुस्तान के सुपुत्र और सुपुत्रियों का चरित्र भ्रष्ट कर रही है। प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष के साथ ही मुझे एक और कोष का पता चला है। वहां नाटक नौटंकी खलने के लिये पचास हजार रुपया दिया गया है। क्या आज हिन्दुस्तान तरक्की कर रहा है ? मैं कहता हूं कि देश अधिनायकवाद की तरफ चल रहा है। यहां के प्रधान मंत्री ने जो कार्य किया है, वह शायद रूस के स्टालिन और जर्मनी के हिटलर ने भी नहीं किया होगा। हिन्दुस्तान की सत्तारूढ़ दल की सभापति हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की पुत्री हैं और प्रधान मंत्री की बहन यक्के-बाद-दीगरे रूस, अमरीका और इंगलैंड में राजदूत बन कर जाती हैं। इस से क्या होगा ? भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

श्री शिवनाथ राय (सलेमपुर) : वह इस के योग्य हैं।

श्री यादव : इस देश का नैतिक पतन किया जा रहा है और देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि अगर पंचवर्षीय योजना को चलाना है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये और पैसे का दुरुपयोग बन्द करना चाहिये।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उस में **बी** भी कैपिटल है, **डी** भी कैपिटल है और **टी** भी कैपिटल है। **बी** से मतलब बारोइंग से है, **डी** से मतलब डेफिसिट से है और **टी** का मतलब टैक्सेशन से है। मैं इन तीनों कसौटियों पर इस बजट को

[श्री वाजपेयी]

कस कर देखना चाहता हूं । वित्त मंत्री ने जो आंकड़े पेश किये हैं, उनके अनुसार पब्लिक डेट्स बढ़ते जा रहे हैं—जो कर्जा हमारी केन्द्रीय सरकार देश के बाहर और भीतर ले रही है, उसमें द्रुत गति से वृद्धि हो रही है। मार्च, १९५९ में यह रकम ४०६६.८२ करोड़ है और अगर इसमें और लायबिलिटी—अनफंडिड डेट्स—को जोड़ लिया जाय, तो यह रकम ३१ मार्च, १९६० को बढ़ कर ६०२३·२० करोड़ हो जायेगी । यदि अनुमान लगाया जाय तो पता चलेगा कि जो पब्लिक डैट है यह हमारी नैशनल इनकम से ५० प्रतिशत ज्यादा हो जाता है । इससे भी चि ता की बात यह है कि १,००१ करोड़ रुपया अनप्रोडक्टिव है और इसे अनकवर्ड छोड़ दिया गया है । इसके साथ ही विदेशों से जो कर्जा लिया गया है वह भी बढ़ता जा रहा है । १९५९-६० के अन्त में जो ऋण हमने विदेशों से प्राप्त किया है उसकी रकम ६८१·७५ करोड़ रुपया होती है । विदेशों से प्राप्त होने वाला ऋण किस प्रकार विदेशों को वापस होने जा रहा है इसके संबंध में वित्त मंत्री महोदय ने कोई स्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं रखा है । इस ऋण का एक पहलु और भी है । केन्द्र की ओर से भिन्न भिन्न राज्यों को विकास कार्यों के लिये कर्जे दिये गये हैं और उप-वित्त मंत्री महोदय श्री भगत ने २ मार्च को इस सदन में बताया था कि अब तक केन्द्र ने १२९५·८० करोड़ रुपया राज्यों को ऋण के रूप में दिया है । प्रश्न यह है कि क्या यह ऋण राज्यों से केन्द्र को वापस मिलेगा ? पंजाब में घटनायें जिस तरह से हो रही हैं उससे मालूम होता है कि केन्द्र मूल धन को वापस लेने में शायद सफल होगा ही नहीं मगर उस ऋण का ब्याज भी ट्रे खाते में चला जायेगा । भाखड़ा नंगल के लिये १७० करोड़ रुपया दिया गया है जिसका ब्याज १९ करोड़ रुपया होता है । पंजाब की सरकार ने इसके लिये बेटरमेंट लेवी लगाई है । केवल कम्युनिस्ट दोस्त ही आंदोलन इसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पंजाब के निर्वाचित कांग्रेस के सदस्य हैं वे भी इस प्रयत्न में हैं कि जो १९ करोड़ रुपया ब्याज की रकम है वह केन्द्र छोड़ दे । मैं समझता हूं जिस प्रकार का राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, उसको देखते हुये शायद यह रकम छोड़ दी जायेगी । मगर प्रश्न यह है कि जो स्टेटों को ऋण दिया गया है यह क्या वापस मिलेगा ? विदेशों का ऋण हम किस तरह से लौटायेंगे और यह जो वर्तमान के—आर्थिक संकट का निराकरण करने के लिये भविष्य की समृद्धि को रेहन रखा जा रहा है उसमें से निकलने का रास्ता क्या होगा, यह वित्त मंत्री महोदय ने न तो अपनी आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट किया है और न बजट भाषण में इस बात की ओर कोई संकेत किया है ।

जहां तक डिफिसिट का प्रश्न है, रेवेन्यू साइड में २८·३२ करोड़ का घाटा है और वित्त मंत्री २३·३५ करोड़ के नये टैक्स लगा कर घाटे को पूरा करना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि घाटा अनुमान से बढ़ जायेगा । गत वर्ष प्रधान मंत्री ने अन्तरिम वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया था उसमें रेवेन्यू डिफिसिट २९·२ करोड़ बताया गया था मगर जब रिवाइज्ड फ़िगर्स आईं तो उनमें वह ५९·९५ करोड़ का था । मेरा अनुमान है कि इस वर्ष के बजट में जो भी घाटे का अनुमान किया गया है, घाटा उससे कहीं अधिक होगा । उस घाटे को पूरा करने के लिये और डिफिसिट फाइनेंसिंग किया जा रहा है घाटे की अर्थ व्यवस्था का अवलम्बन लिया जा रहा है । श्री देशमुख से लेकर श्री देसाई तक हर एक ने वित्त मंत्री के रूप में अपने भाषण में यह कहा है कि डिफिसिट फाइनेंसिंग आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिये लेकिन जब कभी बजट बनाने का मौका आता है तो उनकी दशा उस शराबी जैसी दिखाई देती है—यद्यपि वह शराबबन्दी के पक्ष में हैं—कि जो प्रत्येक सवेरे तोबा करता है लेकिन शाम होते ही पीना शुरू कर देता है । हम अपने भाषण में तो डिफिसिट फाइनेंसिंग को एक सेफ डिस्टेंस पर, सेफर लिमिट पर रखने की हिमायत करते हैं मगर हमारे सारे आर्थिक ढांचे के अन्तर्गत मुद्रा-स्फीति और भी बढ़ती जा रही है, घाटे की अर्थ व्यवस्था का अवलम्बन अधिक से अधिक किया जा रहा है ।

योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर १२०० करोड़ रुपये के डिफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था की थी। अब योजना ४८०० करोड़ से घट कर ४५०० करोड़ की रह गई है। लेकिन तीन वर्षों में ९५५ करोड़ रुपये का डिफिसिट फाइनेंसिंग हो रहा है और अगले वर्ष में २६० करोड़ रुपये का होगा। अगर इसके बाद के वर्ष को छोड़ दिया जाए तो १२०० करोड़ तो पूरा हो गया। अब अगर उस सीमा से, उस मर्यादा से अधिक डिफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे तो उसका दबाव हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा पड़ेगा। फिर एक विषम चक्र चलता है, सरकार नोट छापती है, रुपये की कीमत गिरती है, चीजों के दाम बढ़ते हैं, सरकारी कर्मचारी अधिक वेतन भत्तों की मांग करते हैं और एक ऐसा विषम चक्र चलता रहता है जिसमें से हम निकल नहीं पाते। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिये।

अब मैं कुछ बातें कर-प्रस्तावों के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक डायरेक्ट टैक्सेशन का संबंध है, वित्त मंत्री महोदय ने कम्पनियों पर से वैल्थ टैक्स हटा लिया है। मैं समझता हूं यह वैल्थ टैक्स जब लगा तभी यह मांग की गई थी कि कम्पनियों पर सम्पत्ति कर लगाना ठीक नहीं है, मगर सरकार को यह बात समझने के लिये दो साल लगे हैं। इसके लिये मैं उसको धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि मेरी आपत्ति यह है कि जब सरकार ने डायरेक्ट टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जांच के लिये एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई है तो क्यों नहीं उस कोटी की सिफारिशें आने तक डायरेक्ट टैक्सेशन में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करने का काम रोक दिया गया। जो भी परिवर्तन किये गये हैं वे उस कमेटी की रिपोर्ट आने तक रोके जा सकते थे। अगर सरकार को स्वयं ही निर्णय करना है तो उस कमेटी की नियुक्ति की ही क्या आवश्यकता थी।

जो कमेटी नियुक्त की गई है उसके बारे में भी मेरा निवेदन यह है कि उसके सदस्यों का चयन सावधानी से नहीं किया गया। आवश्यकता इस बात की थी कि उस कमेटी का चेयरमैन कोई हाई कोर्ट का जज या कोई बहुत उच्च स्तरीय व्यक्ति बनाया जाता। जैसे कि यू० के० में कालविन कमिशन कायम हुआ था जिसमें २२ सदस्य थे और सब सदस्य डायरेक्ट टैक्सेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में निपुणता रखते थे, व्यक्तिगत अनुभव रखते थे। यह जो पांच सदस्यों की समिति बनाई गई है उसमें श्री के० एस० सुन्दराजन को छोड़ कर जोकि बोर्ड आफ रेवेन्यु के मेम्बर हैं, अन्य कोई सदस्य भी प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में निपुणता प्राप्त किये हुये नहीं हैं।

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : चेयरमैन भी कर चुके हैं।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : मिनिस्टर होने से तो आप भी कर चुकेंगी।

श्री वाजपेयी : जो चेयरमैन नियुक्त किये गये हैं उनके बारे में कहने के लिये मेरे पास बहुत कुछ है मगर कहना नहीं चाहता था क्योंकि वह यहां नहीं हैं। लेकिन अगर उपमंत्री महोदय मुझे विवश करती हैं तो मैं कुछ कहने के लिये तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई जरूरत नहीं है।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि दूसरे ढंग से उस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना चाहिये था। उस कमेटी का चेयरमैन कोई और व्यक्ति होना चाहिये था। जब श्री महावीर त्यागी वित्त मंत्रालय में थे तो उन्होंने जो काम किये और यह जो इनकम टैक्स है इसके संबंध में जो नीति अपनाई, वह उनको इस कमेटी के चेयरमैन के पद के योग्य नहीं रखती। जो टर्म्स आफ रेफ्रेंस कमेटी के थे उनके अन्तर्गत भी इनकम टैक्स के अवेशन को रोकने के लिये, उसके प्रशासन में सुधार करने के लिये जो बातें आनी चाहियें वे नहीं आ सकतीं। मैं एक छोटी सी बात ही कहूंगा। इनकम टैक्स

[श्री वाजपेयी]

डिपार्टमेंट के जो आफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। श्री वैनकटाचार जो कि इनकम टैक्स आफिसर थे और जो २५ साल तक काम करते रहे, वह दक्षिण से आये थे और उन्हें बंगाल के एक ऐसे जिले में रख दिया गया जहां मारवाड़ी भाइयों की संख्या बहुत अधिक थी। अब उनके बही खाते वह नहीं समझ सकते थे। वित्त मंत्री से जब पूछा गया कि ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है तो उत्तर दिया गया कि ट्रेनिंग की व्यवस्था नागपुर में की गई है और अपनी मातृभाषा के साथ साथ दो भाषायें और भी सीखनी पड़ती हैं। अब ट्रेनिंग का समय तो एक सालका है। इस एक साल में अपनी मातृभाषा के साथ साथ दो भाषायें भी उनको सीखनी होती हैं, इनकम टैक्स ला भी पढ़ना होता है, बुक-कीपिंग भी समझना होता है, आफिस प्रोसीजर भी जानना होता है, प्रेक्टिकल वर्क का अनुभव भी प्राप्त करना होता है, सब ये चीजें कैसे हो सकती हैं, समझ में नहीं आता है। इसका परिणाम यह होता है कि इनकम टैक्स आफिसर जिस पद पर बिठाये जाते हैं वे अपने कर्त्तव्यों का ठीक तरह से पालन नहीं कर सकते हैं।

इस कमेटी से बड़ी आशायें की गई थीं कि इनकम टैक्स की रकम को ठीक तरह से वसूल करने की और प्रशासन की पद्धति में सुधार करने की सिफारिशें करेगी। प्रोफेसर कालडोर ने अनुमान लगाया है कि २०० करोड़ से लेकर ३०० करोड़ का इनकम-टैक्स चुराया जाता है। अगर हम और टैक्स न भी लगायें और इनकम टैक्स की वसूली ठीक तरह से करें तो जितना रुपया पंचवर्षीय योजना के लिए हम समझते हैं कि हमें चाहिये, उतना प्राप्त किया जा सकता है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री ने जिनसे आशा की जाती थी कि गृह उद्योगों का, कुटीर उद्योगों का वह समर्थन करेंगे, उन्होंने उन पर बड़ा आघात पहुंचाया है।

खंडसारी पर जो शुल्क डाला गया है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि आज जब कि हम देश के बाहर दानेदार चीनी के लिये स्थायी बाजार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तब कोई ऐसा कदम, जिस से देश के अन्दर चीनी का उत्पादन कम हो जाय और चीनी की कीमत बढ़ जाय, ठीक नहीं माना जा सकता।

एक माननीय सदस्य : दानेदार चीनी का दाम ज्यादा नहीं होगा।

श्री वाजपेयी : दानेदार चीनी का दाम ज्यादा हो गया है। आप रहते कहां हैं, सदस्य महोदय ! खंडसारी पर चुंगी लगने के फलस्वरूप दानेदार चीनी का दाम बढ़ गया है।

मेरा निवेदन यह है कि खंडसारी पर जो एक्साइज ड्यूटी डाली गई उसके बारे में वित्त मंत्री महोदय ने राज्य सभा में यह स्पष्टीकरण दिया कि अभी भी जो मुनाफा खंडसारी का है वह काफी होता रहेगा। १३ रु० में से ५ रु० सरकार लेना चाहती है और ८ रु० फिर भी बाकी बच रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह ८ रु० किस तरह से बटते हैं आप थोड़ा इस पर भी विचार करें। उसमें किसान का भी हिस्सा है जो राव बनाता है, मजदूर का भी है, जो बेचता है उसको भी कुछ मिलता है। अगर आप मिलों की चीनी को संरक्षण देना चाहते हैं तो उसका यह तरीका नहीं है। सब से बड़ी आपत्ति की बात तो यह है कि जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे आज लोग खड़े कर के बैठे हैं उनको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी तो उन्हें इतने फार्म भरने पड़ेंगे, इतने रजिस्टर रखने पड़ेंगे जिनका कोई ठिकाना नहीं है। जो अशिक्षित

हैं और गांवों में बैठे हैं वे उन फार्मों को पढ़ भी नहीं सकेंगे। जो एक्साइज ड्यूटी के इन्स्पेक्टर हैं वे मनमाना वसूल करेंगे। अगर हमारे वित्त मंत्री एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं यह सुझाव दूंगा कि वे कोई लाइसेंस फीस लगा दें जो कि एक वर्ष में और एक जगह पर वसूल हो जाये और जो खंडसारी पैदा करने वाले गांवों में पड़े हुए हैं उनको अनेक फार्मों के झगड़े से बचा दें।

दूसरी बात वेजिटेबल नानएसेन्शल आयल के बारे में है। सन् १९५६ में जब उसके ऊपर शुल्क लगाया गया तो १२५ टन की जो छूट दी गई उत्पादकों को वह घटा कर ७५ टन कर दी गई। अब इस बार यह ७५ टन की छूट भी खत्म कर दी गई है। मेरा निवेदन यह है कि बड़ी–बड़ी तेल मिलों की प्रतियोगिता गांव की घानियों से नहीं है। घानी का क्षेत्र अलग है, बाजार अलग है। बड़ी बड़ी मिलों की प्रतियोगिता आगरा, कानपुर और बरेली में जो छोटे छोटे तेल के कारखाने खुल गये हैं उनसे है, जो कि भाप से नहीं चलते और जिन को बिजली की दर भी ज्यादा देनी होती है। बड़ी–बड़ी तेल मिलों के सामने अगर आप इन छोटी–छीटी मिलों को कुछ स्थान नहीं देंगे तो यह बन्द हो जायेंगी। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार की कुटीर और गृह उद्योग की परिभाषा क्या है? यह परिभाषा बदलती रहती है। केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के गृह उद्योग को इसलिये सहायता नहीं दी कि वह अम्बर चर्खे की जगह पर ट्रैडिशनल चर्खे को प्रश्रय दे रहा है। वह कहती है कि अम्बर चर्खा कुटीर उद्योग है और जो पुराना परम्परागत चर्खा है वह कुटीर उद्योग नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : किस ने कहा?

श्री वाजपेयी : केन्द्रीय सरकार कहती है।

श्री मोरारजी देसाई : गलत बात है।

श्री वाजपेयी : गृह उद्योगों के अन्तर्गत अन्य राज्यों को जो सुविधायें दी जाती हैं वह उत्तर प्रदेश को केवल इसलिये नहीं दी गईं कि वहां पर ट्रैडिशनल चर्खा चलता है, अम्बर चर्खा नहीं चलता। और अब बड़ी चीनी मिलों को और बड़ी तेल मिलों को चलाने के लिये खंडसारी और छोटे छोटे तेल उद्योगों को ऐसी स्थिति में रक्खा जा रहा है जहां वह प्रतियोगिता नहीं कर सकते। ऐसी हालत में यह होगा कि वे खत्म हो जायेंगे। और अगर देश में प्रतियोगिता का विकास नहीं होगा और हम पश्चिमी ढंग का औद्योगीकरण चलायेंगे जिसमें कि छोटे और बड़े उद्योगों की तुलना में बड़े उद्योगों पर अधिक बल दिया जायेगा, जहां पर मनुष्य की तुलना में मशीन पर अधिक बल दिया जायेगा, तो देश में विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था निर्माण करने का प्रधान मंत्री का कल का भाषण कभी भी चरितार्थ नहीं होगा। सत्ता का, पूंजी का और श्रम का केन्द्रीकरण होगा और वित्त मंत्री का बजट इस आशंका की ओर संकेत करता है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

†**श्री कौट्टुकपल्ली** (मुवात्तुपुजा) : भारतीय जनता ने हमें संसद् में इसलिए भेजा था कि हम अपनी जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठायें अर्थात् जनता के लिए कपड़ा, खाना, दूध, रहने के मकान आदि की सुन्दर व्यवस्था करें परन्तु मुझे खेद है कि जितने भी भाषण मैंने सुने उनमें अधिकांशतः यही सुना कि जो अच्छी तरह जीवन यापन कर रहे हैं उनको वैसा नहीं करना चाहिए। मैं इस समाजवाद को समझ नहीं पाया हूं जिसमें बताया जाये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोट्टुकपल्ली]

कि अच्छी तरह से जीवन यापन करने वालों को वैसा न करने दो। बर्नार्ड शा ने कहा है कि निर्धनता अपराध है। उन्होंने धन होना अपराध नहीं माना। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा काम धनियों को निर्धन बनाना नहीं अपितु निर्धनों को धनी बनाना है। इसलिए हमें ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। जिससे निर्धन धनी बन जायें।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं जिससे वह अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अपना विचार है कि केरल राज्य के सभी साधनों का उचित रूप में उपयोग नहीं किया गया है। बैपुर से मंगलौर तक की २०० मील की दूरी में इतने प्रौन होते हैं कि यदि हम इनका अमेरिका को निर्यात करने लगें तो हमको बहुत विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

केरल की अन्य चीजों में काली मिर्च तथा काजू आते हैं। हम इनका अधिक निर्यात कर सकते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई वहां साम्यवादी शासन है। इन साम्यवादियों के डर से कोई भी उद्योगपति अपना धन केरल में लगाने को तैयार नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वह वहां पर बड़ी गड़बड़ियां कर रहे हैं। न्यायाधीश रामन ने भी केरल सरकार पर उनके शासन के बारे में अपने प्रतिवेदन में आरोप लगाये हैं। मैं आशा करता हूं कि केरल सरकार अपने इन दुष्कृत्यों के कारण शीघ्र ही पदत्याग कर देगी।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि देरी हो जाने के बावजूद भी आपने मुझे चन्द मिनट दे दिये।

मैं सबसे पहले अपने वित्त मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक बहुत योग्य बजट हमारे सामने रखा। वाजपेयी महोदय जो बनस्पति पर ७५ टन का एक्जेम्पशन था उसको हटाने के बारे में शिकायत कर रहे थे लेकिन वह तो एक बहुत अच्छा कदम था। शायद वाजपेयी जी को यह मालूम नहीं था कि जो बड़े–बड़े लोग प्रोडक्शन कर रहे थे वह छोटे–छोटे यूनिट्स को अपने कुटुम्ब में डिवाइड करके सरकार को धोखा दे रहे थे और टैक्स इवेजन कर रहे थे और देश को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो यह कोई गलत कदम नहीं उठाया गया है। यह कोई गृह उद्योग भी नहीं था कि उसे विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता थी।

लेकिन मैं यह कहूंगी कि यह जो खंडसारी पर टैक्स लगाया गया है वह वाकै काटेज इंडस्ट्री पर कुठाराघात है। दलील यह दी गयी है कि उनको नफे का मारजिन ज्यादा है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि उनका प्रोडक्शन भी तो थोड़ा थोड़ा है। अगर बड़े प्रोडक्शन पर प्राफिट का मारजिन छोटा भी हो तो हजारों टन पर उसका टोटल प्राफिट बहुत ज्यादा हो जायेगा, लेकिन खंडसारी के यूनिट्स का प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा होता है, और इसलिए अगर इसका मारजिन आफ प्राफिट ज्यादा भी हो तो प्राफिट बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा वह प्राफिट बहुत से काम करने वालों में बंट जाता है। हमें तो यह देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों में धन का बटवारा हो। अभी हमारे एक भाई ने कोट किया कि पावर्टी (गरीबी) इज ए सिन। देखना यह है कि गरीबी आती कैसे है। बड़ा धन इकट्ठा कैसे होता है। इसमें शक नहीं कि जो बहूत ज्यादा धन इकट्ठा किया जाता है तो वह छोटे छोटे लोगों की मेहनत के फल को

इकट्ठा करके, उनका शोषण करके, ही किया जा सकता है। इसी लिए हमारे टैक्स के स्ट्रक्चर में ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, और यह ठीक है। जहां हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेवलिंग करना है वहां हमें ऊपर से लेवलिंग डाउन भी करना है। ताकि लोगों में उत्साह हो सके और वे साथ मिल कर काम कर सकें।

समय कम है वरना मैं यहां कुछ बातें खंडसारी और गुड़ के बारे में हैल्थ प्वाईंट आफ व्यू से कहना चाहती थी कि इनमें कितने ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जिसको इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। और हम बड़ी मिलों की इतना अधिक मदद न करें। छोटे-छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दें, यह ध्यान रखना चाहिए।

एक बात खास ध्यान देने की है। डिफेंस पर खर्च कुछ कम हुआ यह तो खुशी की बात है मगर अभी भी बहुत खर्च हो रहा है और जो खर्च हो रहा है क्या वह सही खर्च हो रहा है। यह देखने की आवश्यकता है। जब कभी यहां डिफेंस की बात आती है तो यह बात कही जाती है कि यह सीक्रेट चीज है, इसको बतलाना पबलिक इंटरेस्ट में नहीं है। इसकी चर्चा करना पबलिक इंटरेस्ट में नहीं है। ऐसी हालत में क्या यह उचित नहीं होगा कि एक हाई पावर्ड कमेटी बिठायी जाये जो सीक्रेंट में इस विभाग के खर्चे की जांच करे। आडिट रिपोर्ट के देखने से हमें इसमें कुछ गड़बड़ मालूम होती है। हम कई चीजें सुनते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो रुपया हमारा खर्च होता है वह सही तरीके से खर्च हो।

हम लोगों के पास अल्प बचत योजना लेकर जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमसे तो आप पेट पर पट्टी बांधनें को कहती हैं पर आपकी सरकार सही खर्च करती है या गलत करती है यह भी आप देखती हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च बढ़ा है। एम्पलाईज की तादाद बहुत बढ़ी है। ध्यान से देखने से पता चलता है कि दो सालों में जो रुपया टैक्सों का बढ़ा है, १०० करोड़ कृष्णमाचारी साहब के वक्त में और २८ करोड़ अभी, वह करीब-करीब सारा सरकारी नौकरों पर खर्च हुआ है। आप देखे कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी बढ़ने से कितना खर्चा बढ़ता है। उसके साथ दो या तीन डिप्टी सेक्रेटरी बढ़ते हैं, ६ अंडर सेक्रेटरी बढ़ते हैं और करीब २०० या २५० दूसरे लोग बढ़ते हैं। ऐसा अन्दाजा लगाया जाता है। और इतना खर्चा बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि इकानमी की बात तो होती है पर इकानमी हो नहीं पाती। तो मेरा निवेदन है कि जब आप जनता से पेट पर पट्टी बांधने को कहते हैं तो यह भी देखें कि जो रुपया टैक्सों से आता है, स्माल सेविंग्स से आता है उसका अधिक से अधिक हिस्सा प्रोडक्टिव कामों पर खर्च हो ताकि गरीब आदमी भी समझे कि उसके लिए कुछ हो रहा है और उसको उत्साह पैदा हो।

हम कोआपरेटिव फार्मिग की बात करते हैं। यह जरूर अच्छी बात है लेकिन साथ ही दूसरे छोटे उद्योगों को भी कोआपरेटिव तरीके से चलाया जाये और इन दोनों कामों में कोआर्डिनेशन हो। आज जो हमारा खर्च हो रहा है उसका पूरा लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि सरकारी विभागों में आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है।

†**श्री मोरारजी देसाई:** मैंने इन चार दिनों के आय–व्ययक सम्बन्धी भाषणों को बड़े गौर से सुना है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दी गई वधाइयों और प्रकट की गई आलोचनाओं दोनों ही के लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं एक चीज का उल्लेख करना भूल गया था। मैंने इस बीच में श्री स० म० बनर्जी द्वारा कहे गये शब्दों पर विचार कर लिया है। वे आपत्तिजनक हैं। मैंने उन शब्दों को निकालने का आदेश दे दिया है। प्रेस को भी इसका ध्यान रखना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई:** सभा में आय-व्ययक को उपस्थापित करने से पहले माननीय सदस्यों से परामर्श करना सम्भव नहीं हो । फिर भी हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आय व्ययक तैयार करते समय करों, इत्यादि से सम्बन्धित सभी विभिन्न दृष्टिकोणों और तर्कों को ध्यान में रखें। फिर जब सभा में आय-व्ययक पर चर्चा होती है, तो हम सोचते हैं कि माननीय सदस्यों के दृष्टिकोणों और तर्कों को देखते हुए उसमें सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं। हम उन दृष्टिकोणों और तर्कों को अगले वर्ष के आय-व्ययक के लिये भी नोट कर लेते हैं ।

कम्युनिष्ट दल के नेता ने इस आय-व्ययक के सम्बन्ध में कहा है कि वह यथार्थ से मेल नहीं खाता, उसमें आत्मतुष्टि की भावना है और उसमें 'समाजवाद' का उल्लेख भी नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि किसी आय-व्ययक या भाषण में 'समाजवाद' शब्द का उल्लेख भर कर देने से वह समाजवादी कैसे हो जायेगा। मैंने अपने आय-व्ययक में स्पष्ट कहा है कि उसे योजना को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, वह योजना की आवश्यकताओं को देखते हुए ही तैयार किया गया है। और ,हमारी योजनायें समाजवादी समाज के निर्माण के उद्देश्य को देखकर तैयार की गई है हम अपने उद्देश्य से विमुख नहीं होना चाहते। हम उसकी दिशा में भरसक जुटे रहना चाहते हैं। हां, यह मैं मान सकता हूं कि कुछ माननीय सदस्य उस दिशा में की जाने वाली प्रगति की गति को बहुत धीमी समझते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट दल के नेता के तो विचार ही और है । उनका समाजवाद का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से भिन्न है। वह हमारे समाजवाद को बेकार समझते हैं। मैं उनके समाजवाद को बेकार नहीं कहूंगा। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि उनकी अपनी विचारधारा है और वह उसी पर जमे हैं। हम तो समाजवाद को व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण तो यह है कि देश की जनता को, जनता के कुछ लोगों या बहुमत को नहीं बल्कि समूची जनता को खुशहाल बनाया जाये। हम सभी के लिये अपनी-अपनी क्षमता के मुताबिक अधिकतम उन्नति करने की समान सुविधायें और अवसर जुटाना चाहते हैं हम शोषण को मिटाकर सारे देश को खुशहाल, समृद्ध और दृढ़ बनाना चाहते हैं।

और, हम इसी दृष्टिकोण अपने सारे आय-व्ययक और सारी विधियां बनाने की और सरकार का काम चलाने की भरसक कोशिश करते हैं हम यह भी दावा नहीं करते कि सारी समझदारी, सारे ज्ञान का ठेका हमारे ही पास है। हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं हम इंसान ही हैं, इंसान की सभी कमजोरियां हममें हैं, अपूर्णतायें हैं। इसीलिये हम जो भी कार्य करते हैं उन में हमारी इंसानी अपूर्णतायें, कमजोरियां रहती हैं, लेकिन साथ ही हम अपने मित्रों और विरोधियों की आलोचनाओं या सुझावों से लाभ उठाकर उन अपूर्णताओं और कमजोरियों को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिये हम अपने निन्दकों की बातें भी धैर्य से सुनते हैं, क्योंकि हमें उस से भी कुछ सीख मिल सकती है। यही हमारा दृष्टिकोण है ।

यह भी हो सकता है कि हमारी बातें लोगों के दिल में घर न कर पाती हों, उतनी जितनी कि हम से आशा की जाती है। लेकिन यह तो अपनी-अपनी क्षमता की बात है। लेकिन यह चीज

---

† मूल अंग्रेजी में

इस पर भी निर्भर है कि लोगों में ग्रहणशीलता कितनी है, और इस पर भी कि जिस चीज को ग्रहण किया जाना है उसकी किस्म कैसी है। इसीलिये हर चीज ग्रहणशील नहीं हो सकती, हर बात दिल में घर नहीं कर सकती स्वीकार नहीं की जा सकती। हम या हमारे विरोधी दोनों ही यह नही कर सकते।

आचार्य कृपालानी कई वर्षों तक मेरे नेता रहे हैं। अब उन्होंने आस्था के संकट की दुहाई दी है। असल में वह स्वयं आस्था के संकट में अब डूब कर रहे हैं, इसलियें उन्हें चारों ओर आस्था का संकट दिखाई देता है। यदि वह आस्था के संकट में न होते, तो हमारा नेतृत्व करना ही क्यों छोड़ते। अपनी पुरानी आस्था को त्यागने से ही, वह संकट में पड़ गये हैं। मेरा अपना सुझाव तो यह है वह अपनी वास्तविक आस्था पर ही जमे रहें।

फिर भी मतभेद होते हुए भी, आचार्य जी मेरे अपने सम्मानीय मित्र हैं।

आचार्य जी ने कहा है कि हमें अपनी चादर के मुताबिक ही पैर फैलाने चाहियें। उनका मतलब यह है कि हम अपने संसाधनों का ध्यान रखे बिना अपनी योजनायें बना रहे हैं। हमारी योजनायें जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, जरूरत से ज्यादा व्यय-साध्य हैं, और यह भी कि वे हमारी विचारधारा, हमारे आदर्श से मेल नहीं खातीं। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि अगर हम चादर के मुताबिक ही पैर फैलाते रहें, तो हमारी चादर इतनी छोटी है कि हम हमेशा गरीब ही बने रहेंगे, बल्कि दिन-दिन ज्यादा गरीब बनते जायेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र यह नहीं चाहते। इसलिये हमें अपनी चादर बढ़ानी चाहिये, इतनी कि उसमें हमारा तन ढंक सके।

इसीलिये, आचार्य जी योजना के भी विरोधी हैं, या योजनीकरण के विरोधी हैं। मैं तो यही समझा हूं। इसलिये कि उन्होंने पूछा है कि अभी कितनी और योजनायें बनाई जायेंगी। आचार्य जी जब कांग्रेस में थे, तब भी कांग्रेस की एक योजनीकरण समिति थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। योजनीकरण तो हमारे हर कार्य के लिये जरूरी है। जब वह बोल रहे थे, तो वह भी उनकी अपनी योजना के अनुसार ही तो था। उन्होंने योजना के अनुसार ही पढ़कर सुनाया था। योजना के बिना तो अपने विचारों को ठीक ढंग से संवारा भी नहीं जा सकता। इसलिये योजना तो एक जरूरी चीज है। यह दूसरी बात है कि कोई योजना समझदारी की है या उससे खाली।

यह मूलभूत प्रश्न है कि योजना होनी चाहिये या नहीं। जहां तक योजना के ठीक होने, या समझदारी की योजना होने का सवाल है, वह तो हर आदमी की अपनी समझदारी के मुताबिक ही होगी। हर आदमी की समझदारी एक सी तो नहीं होती। अपनी योजना के बारे में, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम अपने अनुभव, और अपने मित्रों तथा अन्य लोगों की सलाह से फायदा उठाने की भरसक कोशिश करते हैं। यदि कोई सलाह मानने योग्य होगी, तो हम अवश्य ही उसे मानेंगे।

श्री अशोक मेहता ने अपनी विचारधारा को बड़े ही यथार्थवादी और पाण्डित्यपूर्ण ढंग से रखा है। मैं भी उस विचारधारा में विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा था कि यदि हम अपनी योजनायें पूरी करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उनकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। श्री मेहता ने गत वर्ष या इस चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादन गिरने के बारे में अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है और कहा है कि इस से हमें अधिक सावधान हो जाना चाहिये और उसे अधिक न गिरने देने के लिये ज्यादा प्रयत्न करना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन मैं तो समझता हूं कि यह कोई स्थायी लक्षण नहीं है। यह एक अस्थायी चीज है। इसका एक कारण यह है कि हमारे

[श्री मुरारजी देसाई]

यहां खाद्यान्नों का उत्पादन इस वर्ष कम हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने के कारण हमारे अपने हाथ के नहीं थे। इसका एक कारण यह भी था कि हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित हो गया था और उसमें उसके कारण कई वस्तुओं का आयात कम करना पड़ा था, जिससे हमारे उद्योगों की आवश्यकतायें पूरी तौर पर पूरी नहीं की जा सकी थीं। इसी का नतीजा यह था कि कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम हो गई थी। इन सभी कारणों से हमारे उत्पादन में कुछ कमी आ गई थी। लेकिन इस से हमें यह निराशावादी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि अगले वर्ष भी यही होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हालत में सुधार हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हालत पूरी तरह से सुधर गई है और अब हमें चिन्ता करने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि सुधार होना शुरू हो गया है, सबसे संकटकालीन समय टल गया है। यह नहीं कि संकट पूरी तौर से दूर हो चुका है। अभी दस वर्ष, या इससे कुछ अधिक काल, तक हमारे सामने कठिनाइयां तो रहेंगी ही, क्योंकि हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को आत्म-निर्भर बना लेने तक प्रयत्न जारी रखने पड़ेंगे। यदि हो सके, तो हम अगले ६–७ वर्ष में ही आत्म-निर्भरता का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिये हम ज्यादा से ज्यादा सिर तोड़ कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन तब तक हमें कठिनाइयां देखकर न तो घबराना चाहिये और न यही सोचना चाहिये कि हम गलती पर हैं। साथ ही हमें आत्म-तुष्टि की भावना को भी घर नहीं करने देना चाहिये। हम आत्म-तुष्टि की भावना लेकर नहीं बैठे हैं, यह तो मैं कह ही चुका हूं। मेरे अपने भाषण, और **आर्थिक सर्वेक्षण** में भी, स्पष्ट कहा गया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में अभी भी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं, जो चिन्ता-जनक हैं, जिनको ठीक किया जाना चाहिये। जब मैंने कहा कि हमने उन प्रवृत्तियों को ठीक करने के उपाय किये हैं, तो कम्युनिस्ट दल के नेता ने चोट कसते हुए कहा कि इस साल हमने मानसून को ठीक कर दिया है। इस साल फसल अच्छी हुई है, इसलिये वह सोचते हैं कि शायद मैं मानसून को ठीक करने का भी दावा करूंगा। यदि उन्हें ऐसी चोटें कसने में आनन्द मिलता है तो मैं उसमें बाधक नहीं बनना चाहता।

यह सही है कि हमारी आर्थिक स्थिति कठिनाइयों से भरी है, लेकिन हमें उन कठिनाइयों का मुकबाला करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हम इसी के लिये जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। परिस्थिति इतनी खराब भी नहीं है कि हम हतोत्साहित हो कर बैठ जायें, या यह सोचने लगें कि हम पीछे हटते जा रहे हैं। जब हम बड़ी तेजी से प्रगति करते जाते हैं, तो कभी-कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हम सोचते हैं कि हमारी चाल धीमी पड़ गई है। लेकिन यह थोड़े ही समय की चीज होती है। उससे हमें भविष्य में पहले से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है।

मैं आचार्य कृपालानी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कराधान और घाटे की अर्थ-व्यवस्था दोनों ही उस दशा में उचित हैं जब उनसे समाज का लाभ हो, और यदि उनका अपव्यय किया जाये तो वे असमाजिक बन जाते हैं। मैं उन्हें किस ढंग से विश्वास दिलाऊं कि हमने भी जो नीतियां अपनाई हैं वे अच्छे उद्देश्यों और अपने उच्चादर्शों की पूर्ति के लिये ही हैं। सम्भव है कि उनमें कहीं कोई गलती भी हुई हो, कहीं कुछ अपव्यय भी हुआ हो। मैं इससे इन्कार नहीं करता। लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि हम उन गलतियों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें ठीक ही नहीं करना चाहते।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आचार्य जी को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये, उखड़े हुए विश्वास से नहीं। कभी-कभी वह इतने अविश्वासी बन जाते हैं कि आस्था का संकट पैदा हो जाता है। अविश्वास के कारण कभी-कभी लोग दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाते।

मेरे लिये उनके दिल में जो सहानुभूति है, मैं उस के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने जितनी भी आलोचना की है, या जो भी बातें बताई हैं, मैं भी, मंत्रिमंडल के एक सदस्य के नाते, उन के लिये जिम्मेदार हूं। मैं उनके दोष से अपने आपको मुक्त नहीं करना चाहता।

कहा गया है कि हमारी सारी कठिनाइयां घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण ही पैदा हुई हैं, और हम फिर भी उसी नीति पर अड़े हुए हैं। हम मानते हैं कि यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है कि हम यह सब जानते हैं। मैंने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने में सावधानी से काम लेना चाहिये। लेकिन घाटे की अर्थ-व्यवस्था हर परिस्थिति में बुरी नहीं होती। यदि उस के फलस्वरूप उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रहे और उसका उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के लिये किया जाये, तो वह अच्छी भी हो सकती है। लेकिन यदि उस से मुद्रा-स्फीति बढ़े, तो वह हानिकारक हो सकती है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उस से मुद्रा-स्फीति न हो। और, यह कहना सही नहीं है कि अभी तक जितनी घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई है उस से देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ी है। खाद्यान्नों के मूल्यों में जो मुद्रा-स्फीति देखने में आ रही है, वह घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण नहीं है। वह है १९५७–५८ के बहुत ही खराब मौसिम की वजह से।

खाद्यान्न उत्पादन के कुछ आंकड़े देखिये। यह भी कहा गया था कि खाद्यान्नों की उपज में जो वृद्धि होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है और हमने अपनी कृषीय नीति के क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं की है। मैं इस सम्बन्ध में आरम्भ से ही एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि खाद्य उत्पादन के मामले में केन्द्र को ही सबसे अधिक दोष तो दिया जा रहा है, लेकिन खाद्य उत्पादन राज्यों का विषय है, और उस में वृद्धि के सभी उपाय राज्यों को ही करने पड़ेंगे। मेरा यह मतलब नहीं है कि खाद्य-उत्पादन में वृद्धि न होने का सारा दोष राज्यों पर ही है, या उन्होंने कोई प्रयास नहीं किये हैं। हो सकता है कि राज्यों के प्रयास उतने न हों, जितने हम सब या हम में से कुछ, चाहते थे। हो सकता है कि उनको अपने प्रयासों में सफलता न मिली हो, जब कि हम चाहते थे कि वे सफल हों। लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे प्रयास हैं ही नहीं कर रहे हैं।

यदि हम सन् १९५०-५१ के असामान्य वर्ष को छोड़ दें, तो खाद्य-उत्पादन में चार प्रतिशत वृद्धि हुई है। मैंने जापान और अमरीका के कई वर्षों के खाद्य-उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े भी देखे हैं। उन देशों में भी कई वर्षों में लगभग इतनी ही वृद्धि हुई है। इसलिये, यह नहीं है कि हम इस दिशा में कोई बहुत बुरे हों। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी आवश्यकतायें बहुत बढ़ गई हैं। इसलिये हमें इस से भी अधिक प्रयास करना है। हम यह सोच कर चुप नहीं बैठ सकते कि दूसरे देशों में भी लगभग इतनी ही प्रगति हुई है। इसलिये हम इस दिशा में और भी तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खाद्य संकट और चढ़ते हुए मूल्यों के सिलसिले में, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि १९५५ में खाद्य-मूल्यों में एकाएक गिरावट भी आई थी। यदि हम १९५३ के देशनांक को १०० मान लें, तो १९५० में वह ९२.७ थे, पर १९५५ में ७२.८ ही रह गये थे। यह इस लिये हुआ था कि १९५४ में खाद्य-उत्पादन बहुत अच्छा रहा था। खाद्य उत्पादन १९५४ में ६ करोड़

[श्री मुरारजी देसाई]

८० लाख टन था, और १९५५ में ६ करोड़ ६० लाख टन । इसी वजह से खाद्य-मूल्यों में एका-एक गिरावट आ गई थी । तब हम इस से चिन्तित थे कि मूल्यों को उठाया कैसे जाय, और उसी कारण हमने मूल्य-संधारण की नीति, मूल्यों को कुछ ऊंचे स्तर पर लाने की नीति अपनाई थी । उस नीति के कारण मूल्य-स्तर १९५६ में ९२.३ और १९५७ में १०१.७ हो गया था । लेकिन उत्पादन फिर कम होने से, फिर कठिनाई हो गई । उत्पादन फिर से घट कर ६ करोड़ २० लाख टन ही रह गया, उस में ६ करोड़ ७० लाख टन की कमी थी । आशा है कि इस वर्ष खाद्य-उत्पादन लगभग ७ करोड़ टन होगा ।

इसीलिये हम खाद्य-उत्पादन में ४ प्रतिशत वृद्धि बनाये हुए हैं । इस बार खाद्य-उत्पादन बढ़ने के बावजूद मूल्यों में गिरावट नहीं आई है । इसका कारण यह है कि एक ओर तो सरकार से खाद्य-मूल्यों में गिरावट लाने के लिये कहा जा रहा है और दूसरी ओर मेरे अपने दल के ही कुछ सदस्य यह भी प्रचार कर रहे हैं कि किसानों को अधिक मूल्य दिये जाने चाहियें । वे किसानों से कह रहे हैं कि खाद्यान्नों की उपज को बाजार में ही मत ले जाओ । कुछ राज्यों में यही हो रहा है । और इस पर भी सरकार को दोष दिया जाता है कि वह मूल्यों को गिराने में सफल नहीं होती । यह अनुचित है ।

हमारे देश में प्रचार द्वारा डर पैदा कर देना आसान है । ९-१० साल पहले, बम्बई नगर में जून–जुलाई में एक अफ़वाह उड़ा दी गई थी कि बम्बई में नमक मिलेगा ही नहीं । और सभी लोग २–२, ३–३ मन नमक खरीदने लगे । नमक का मूल्य भी बढ़ गया और दंगे भी होने लगे । सरकार को दंगे शान्त करने पड़े । बम्बई में नमक की कमी हो ही नहीं सकती । लेकिन ऐसे वक्त में लोग अपने दिमाग से काम ही नहीं लेते । लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि इतना बड़ा समुद्र पास है और नमक की कमी हो भी कैसे सकती है । खाद्यानों के मामले में भी ऐसी ही अफवाहें उड़ाई गई हैं ।

हम सब तुले हुए हैं कि खाद्य-मूल्यों को एक निश्चित स्तर से ऊंचा न उठने दिया जाये । मूल्यों को एक ऐसे स्तर पर रखा जाय कि जिस से किसानों को अपनी उपज का निर्वाह योग्य मूल्य भी मिल सके । यदि हम मूल्यों में वृद्धि कर के किसानों को खुश करके, उनके वोट हासिल करने का स्वार्थ सामने न रखें, तो इस पर नियंत्रण किया जा सकता है और खाद्यान्नों के राज्य-व्यापार को सफल बनाया जा सकता है । लेकिन यदि सरकार किसी समस्या को हल करने का प्रयास करे और कुछ लोग समस्या को और-और उलझाने पर ही तुल जायें, तो कोई हल नहीं हो सकता । यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के प्रयासों में या अपने कार्य-क्रमों मे सफल नहीं हो रही है । हमें सभी चीजों को देखना चाहिये ।

मैं सरकार या प्रशासन द्वारा की गई त्रुटियों पर जरा भी पर्दा नहीं डालना चाहता । मैं इस से इन्कार भी नहीं करता । इंसानी कामों में ग़लतियां तो होती ही हैं । हम जितना कुछ खाते हैं, वह सब हमेशा ही पूरी तौर से पचता नहीं है । उसमें कुछ हिस्सा बेकार भी जाता है । लेकिन इसका यह मतलब भी तो नहीं होता कि भोजन की मात्रा बढ़ा दी जाये । इसलिये त्रुटियों को बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं रखना चाहिये । कुछ त्रुटियों की आड़ में सारी सफलताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिये । वरना हम अपनी इच्छा के मुताबिक समाज का निर्माण नहीं कर पायेंगे ।

एक दलील यह भी दी गई थी कि हम अधिकाधिक अप्रत्यक्ष कराधान करते जा रहे हैं, गरीब जनता पर कर बढ़ाते चले जा रहे हैं और धनियों को रियायत देते जा रहे हैं । संसार के कुछ अन्य देशों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान का अनुपात देखिये । इन देशों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात क्रमशः इस प्रकार है : भारत में ३७ प्रत्यक्ष और ६३ अप्रत्यक्ष; कनाडा में ६१ प्रत्यक्ष और

३६ अप्रत्यक्ष ; अमरीका में ८५ प्रत्यक्ष और १५ अप्रत्यक्ष, बरमा में ४० प्रत्यक्ष और ६० अप्रत्यक्ष; श्री लंका में ३० प्रत्यक्ष और ७० अप्रत्यक्ष; जापान में ५८ प्रत्यक्ष और ४२ अप्रत्यक्ष; पाकिस्तान में २० प्रत्यक्ष और ८० अप्रत्यक्ष; फ्रांस में २७ प्रत्यक्ष और ७३ अप्रत्यक्ष; स्विट्जरलैण्ड में २७ प्रत्यक्ष और ७३ अप्रत्यक्ष; इंगलैण्ड में ५३ प्रत्यक्ष और ४७ अप्रत्यक्ष; पश्चिमी जर्मनी में ४१ प्रत्यक्ष और ५६ अप्रत्यक्ष; और सोवियत संघ में १७ प्रत्यक्ष और ८३ अप्रत्यक्ष।

कम विकसित देश में अप्रत्यक्ष कराधान जरूरी होता है। वहां कोई और कराधान हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे देश में हम विकासात्मक कार्यों के लिये ही अधिक राजस्व चाहते हैं। प्रत्यक्ष करों द्वारा अधिकतम राजस्व उन लोगों से ही लिया जाना चाहिये जिन में उसे अदा करने की क्षमता हो। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बजट के संबंध में यह तर्क किया गया है कि हमने धनी व्यक्तियों के प्रति उदारता दिखाई गई है, लेकिन गरीब व्यक्तियों को कोई रियायत नहीं दी गई है। इसकी पुष्टि में यह कहा गया है कि सम्पत्ति कर और अतिरिक्त लाभांश कर हटा कर धनी व्यक्तियों पर पक्षपात किया गया है। उक्त करों को समाप्त नहीं किया गया है, अपितु उन्हें निगम कर में विलय कर दिया है। कम्पनियों से प्रति वर्ष कर की पूरी राशि प्राप्त की जायेगी। हमने व्यक्तिगत करों की राशि में वृद्धि कर दी है। व्यक्तिगत आय की विषमताओं को दूर करने के लिये ऐसा किया जा रहा है। तथापि कर इस प्रकार वसूल नहीं किये जाने चाहियें कि एक बार वसूल होने पर दूसरी बार कर का स्रोत ही सूख जाय। बल्कि कर इस तरीके से वसूल किये जायें कि प्रतिवर्ष करों की मात्रायें वृद्धि होती रहें। और करदाता भी प्रतिवर्ष अधिकाधिक कर देने में समर्थ हों। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें वांछनीय परिणाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

यह कहना भी गलत है कि आय कर से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि नहीं हो रही है। इस आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले दो वर्षों से राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अंशदान भी बढ़ गया है। अतः भारत सरकार का अंश पहिले से कम हो गया है। कुछ वर्ष पहिले इस मद से १८० करोड़ रुपये की आय होती थी अब इससे २१६ करोड़ रुपये की आय होती है। मैंने श्री नागी रेड्डी को पिछले वर्ष भी यह बताया था लेकिन वे इन आंकड़ों पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। इस बात का मेरे पास कोई उपचार नहीं है।

यह कहा गया है कि हम विदेशी सहायता पर बहुत भरोसा करते हैं। मेरे विचार से हम जो भी विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं उससे हमें अभी तक कोई परेशानी पैदा नहीं हुई है। तथापि यदि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, देश में भारी मशीनों की स्थापना कर, मशीन बनाने का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हमें कुछ समय के लिये मशीनों का आयात करना होगा; जिसके परिणामस्वरूप आयात तथा निर्यात के बीच असंतुलन रहेगा। हम कुछ भी करें हमारा निर्यात हमारे आयात के बराबर नहीं बढ़ सकता है। अतः हमारे लिये विदेशी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। तथापि हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि यह सहायता कुछ शर्तों के आधार पर न दी जाये, इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था शक्तिशाली बने और हमें यह रकम चुकाने में समर्थ हों।

निस्सन्देह यह दायित्व बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी यह हमारी क्षमता के बाहर की बात नहीं है।

यह कहना कि पी० एल० ४८० से हमें इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं हो सकता कि हमें इससे अधिकाधिक ऋण मिलता रहे। और इस प्रकार हम अपनी खाद्य समस्या का हल नहीं कर सकते

[श्री मोरार जी देसाई]

हैं। गलत है। खाद्य समस्या का हल करना ही होगा। हमने यह भी नहीं कहा है कि फसल खराब होने या खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने पर हम देश की आवश्यकतायें पूरी करेंगे। हमें उनकी आवश्यकतायें पूरी करनी ही होंगी। वस्तुतः यह बहुत अच्छी बात है कि आवश्यकता होने पर हम उक्त समझौते के अधीन खाद्यान्न मंगा सकते हैं। इससे हम केवल खाद्यान्नों के मामले में ही सहायता नहीं मिलती है, अपितु इसके रुपये से हम अन्य योजनाओं की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अतः मैत्री पूर्ण सहायता को जिसमें सिवा इसके कोई अन्य शर्त नहीं है कि यह उचित तरीके पर वापस कर दी जाय। बुरा कहना अनुचित है। हम यही कर रहे हैं और जो भी देश हम मित्रतापूर्वक सहायता देना चाहता है, उसे स्वीकार कर रहे हैं। हम सभी देशों से, चाहे हम उनकी नीतियों से सहमत हों या असहमत, मैत्री सम्बन्ध रखना चाहते हैं। हमें विभिन्न आदर्श रखने वाले देशों से सहायता मिल रही है। निस्सन्देह हमें इस सहायता के लिये उनसे निवेदन करना होता है और वे हमारी आवश्यकता को देख कर हमारी सहायता भी करते हैं तथापि हम इस उद्देश्य के लिये उनके पैर कभी नहीं पकड़ते हैं।

इस सम्बन्ध में एक सदस्य ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी का उदाहरण दिया था। वे दिन चले गये हैं। और कभी लौट कर नहीं आ सकते हैं। आज स्थिति बिल्कुल दूसरी है। इतिहास में पहिली बार भारत, अपनी जनता की सरकार के अधीन हुआ है और सरकार अपनी भलाई बुराई को समझने के योग्य है। वह किसी से दबने वाली नहीं है। यदि किसी को ऐसी सरकार पर भी अविश्वास हो तो यह उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि हम बहुत गुंजायश वाला बजट बनाते हैं अर्थात् हमारे पिछले वर्षों के अनुमान सही नहीं उतरे हैं। इस आधार पर कि आय का घाटा २९ करोड़ से बढ़ कर ५९ करोड़ हो गया है, सीमा शुल्क से होने वाली आय १७० करोड़ के स्थान में १३६ करोड़ हुई है, उक्त आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वस्तुतः अनुमान लगाने में हम पूरी सच्चाई और निश्चय से काम लेते हैं और सभी सम्भव स्थितियों को ध्यान में रखने का प्रयत्न करते हैं। तथापि ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं जो हमारी कल्पना से बाहर की बात होती हैं।

सीमा शुल्क की आय के सम्बन्ध में यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं हुआ था कि आयातों के लायसेंस से केवल इतनी आय होगी। पहिले जब लायसेंस देने की आम सामान्य प्रणाली थी तो यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं हो पाता था कि अवशेष मात्रा इत्यादि कितनी है। लेकिन अब हम इसका सही हिसाब लगाने में समर्थ हो गये हैं। मेरे विचार से भविष्य में यह बात नहीं दुहराई जायेगी।

यह आरोप भी सही नहीं कहा जा सकता है कि कर जमा करने के व्यय में वृद्धि होती जा रही है। मेरे विचार से हमारे पास केवल आवश्यक कर्मचारी ही हैं तथा कहीं भी आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नहीं हैं। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सारे मन्त्रालयों और विभागों के कार्य की वैज्ञानिक आधार पर जांच की जाय और जो भी मितव्ययिता सम्भव हो वह की जाय। संसद् को इस सम्बन्ध में समय समय पर जानकारी दी जाती रहेगी। उदाहरण स्वरूप स्वयं अपने मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में, पुनर्गठन एकक ने वहां के कार्य की जांच की और व्यय में १० प्रतिशत की बचत की। हमें प्रत्येक मंत्रालय में ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में बहुत ध्यान दे रहे हैं और जहां भी सम्भव है मितव्ययिता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परियोजनाओं में मितव्ययिता की जांच करने के लिये हमने समितियां बनाई हैं जो यथासम्भव इस बात का प्रयत्न कर रही हैं।

यह भी आरोप लगाया गया है कि असैनिक व्यय में वृद्धि होती जा रही है। मेरे विचार से इस भ्रांति का कारण यह है कि इस सम्बन्ध के लेखे का वर्गीकरण विचित्र प्रकार का है। वस्तुतः इसके

अन्तर्गत केवल प्रशासन का ही व्यय नहीं आता है अपितु समाज तथा विकास सेवाओं का व्यय भी इसके अन्तर्गत शामिल है । अतः इस सम्बन्ध में यह धारणा बनाना कि हम इस मामले में बहुत फिजूलखर्ची कर रहे हैं गलत है ।

१९४८–४९ में असैनिक व्यय के अधीन ३६ करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाती थी । यह राशि अगले वर्ष के लिये २२३ करोड़ रुपये है । इन आंकड़ों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि १९४७–४८ में विकास कार्यों पर व्यय केवल १९ करोड़ रुपये था । अब वह बढ़ कर १६८ करोड़ रुपये हो गया है । अतः यह सारा व्यय अधिकारियों और क्लर्कों के वेतन में ही नहीं किया जा रहा है अपितु विकास कार्यों में भी किया जा रहा है । निस्सन्देह प्रशासन व्यय भी १७ करोड़ से बढ़ कर ५५ करोड़ रुपये हो गया है तथापि जब हमारे कार्यों का विस्तार बढ़ रहा है और उनका विस्तार पहिले से १० गुना हो गया है तो व्यय में इतनी वृद्धि होना आवश्यक है । इस व्यय में आदिम जाति क्षेत्रों के लिये किया जाने वाला व्यय भी शामिल है। अतः यह व्यय आवश्यक और अपरिहार्य है । तथापि हम फिर भी समय समय पर इस व्यय को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं । तथापि जब हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारी सेवाओं का विकास हो रहा है, तो हमें इस मद में व्यय बढ़ाना ही पड़ेगा । तथापि मैंने प्रशासन सेवाओं पर होने वाले व्यय और राजस्व के अनुपात को निकालने का प्रयत्न किया है । वह अनुपात स्थिर है । यह ७ है । इस प्रकार असैनिक व्यय के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

इस सम्बन्ध में हुई फिजूलखर्ची के बारे में यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान स्टील के द्वारा कुछ ऋण लिया गया था लेकिन उसे तत्काल व्यय नहीं किया गया जिससे ब्याज की हानि हुई । तीन वर्षों तक लगातार ऐसा हुआ कि रुपया लिया गया लेकिन उसे तत्काल व्यय नहीं किया गया । इसलिये उसे तत्काल बैंक में रख लिया गया जहां से ३½ से ३¼ प्रतिशत तक सूद प्राप्त हुआ । इस प्रकार १ प्रतिशत ब्याज की हानि हुई । तथापि ऐसा करना अनिवार्य था क्योंकि उस समय अगली तिमाही में होने वाले व्यय को पहिली तिमाही में लिया जाता था । निस्सन्देह अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में अधिक सतर्कता बरतनी थी और उन्हें समय से पहिले रुपया निकालना नहीं चाहिये था ।

लेकिन अब हमने तिमाही में रुपया निकालने की प्रणाली बदल दी है । और अब हम महीने में एक बार रुपया निकाल सकते हैं । हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ऐसी बात पुनः न पैदा हो । मेरे कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि गलती नहीं हुई है । वस्तुतः अदूरदर्शिता के कारण ऐसा हुआ है, जान बूझ कर ऐसा नहीं किया गया है अब इस में सुधार कर लिया गया है भविष्य में ऐसा नहीं होने दिया जायेगा ।

समीकरण निधि में रुपयों की वसूली के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि रुपया अपेक्षित रूप से वसूल नहीं हो रहा है । १७ करोड़ में से ८ करोड़ की राशि के सम्बन्ध में झगड़ा चल रहा है । प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि ९ करोड़ के सम्बन्ध में क्या किया गया है इसके लिये कम्पनियां यह कहतीं हैं कि उन्हें वित्तीय कठिनाइयां हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने सरकार को इस्पात का सम्भरण किया है लेकिन उसके भुगतान में भी विलम्ब किया जा रहा है अतः यह राशि भी अभी न मांगी जाय । इस बात पर विचार किया जा रहा है । तथापि हम इस मामले में विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि भविष्य में इस सम्बन्ध में शिकायत का कोई अवसर न पैदा हो ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा १९४८ के पहिले और उसके बाद खरीदी गई मोटरों के इंजिनों पर ढांचे बनाने के विलम्ब के सम्बन्ध में भी जिक्र किया गया है । विलम्ब का कारण यह था कि प्रतिरक्षा विभाग स्वयं ढांचे तैयार नहीं कर सकता था और उन्हें कोई गैर-सरकारी निर्माता भी उपलब्ध

[श्री मोरारजी देसाई]

नहीं हो सका । क्योंकि उनके आदेशानुसार ढांचे बनाने के लिये उसके पास आवश्यक सामान नहीं था । इससे निस्सन्देह योजना की त्रुटि का पता लगता है । तथापि उस समय कोई योजना थी ही नहीं । अब योजना के अनुसार कार्य हो रहा है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी बातें पुनः न होने पायें ।

सहकारी खेती का प्रश्न पुनः उठाया गया है । इस बात पर आने से पहले मैं बजट के विभिन्न कर प्रस्तावों को लेता हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने खंडसारी पर लगाये गये शुल्क पर आपत्ति की है । इनके अतिरिक्त डीजल तेल, तथा अन्य तेलों पर लगाये गये करों के सम्बन्ध में भी आपत्ति की गई है । वस्तुतः इन बातों में आपत्ति करना फैशन और लोकप्रियता का साधन बन गया है । इसलिये वस्तुतः वे लोग अधिक महत्वपूर्ण हैं जो इनका समर्थन करते हैं ।

१९५२ में खांडसारी पर ८ आने शुल्क था लेकिन यह शुल्क इस कारण हटा लिया गया कि खांडसारी और चीनी के शुल्क के बीच केवल २---८---० रुपये का अन्तर था । तत्पश्चात् चीनी पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया और इस समय चीनी पर उत्पादन शुल्क १३ रुपये प्रतिमन है । वस्तुतः यह अन्तर केवल उत्पादन शुल्क में ही नहीं है, अपितु उन्हें गन्ना उपकर इत्यादि कई अन्य कर भी देने होते हैं । इस प्रकार इन दोनों पर लगने वाले करों के बीच इस समय १३ रुपये प्रतिमन का अन्तर है । इसमें से मैं केवल ५ रु० ले रहा हूं अब भी यह अन्तर ८ रुपये प्रतिमन रहता है । निस्सन्देह खांडसारी उद्योग को दानेदार चीनी की तुलना में कुछ रियायत की आवश्यकता है तथापि ८ रु० प्रतिमन रियायत को किसी प्रकार भी कम नहीं कहा जा सकता है । यदि इसका उत्पादन इतना महंगा हो जाय कि ८ रु० प्रतिमन की रियायत भी काफी न हो तो हमें इस प्रकार के गृह-उद्योग से लाभ ही क्या है । अब भी वित्त मंत्री की सहायता से उत्पादित होने वाली खांडसारी में कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगाया गया है । उसे अभी पूर्णतः रक्षण मिला हुआ है और यह रक्षण मिलता रहेगा । इससे गुड़ को भी अपेक्षाकृत अधिक रक्षण मिलेगा ।

†**श्री जाधव** (सातेगांव): खादी और अम्बर चर्खा के विषय में क्या होगा ?

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : ये उसे भी समाप्त कर देंगे ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : अम्बर चर्खे को रक्षण दिया जाता रहा है और भविष्य में भी रक्षण दिया जाता रहेगा । मेरे माननीय मित्र ही यह कह रहे हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिये ।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं अम्बर चर्खों की संख्या इस कारण नहीं बढ़ा सकता हूं कि खादी एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ सकती हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार का इसके प्रति यह रवैया कभी नहीं रहा है । वस्तुतः मैंने, प्रधान मन्त्री ने या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने खादी के प्रति ऐसा रुख कभी नहीं अपनाया है । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझ से कभी भी चर्चा कर सकते हैं । वस्तुतः हम खादी को हर प्रकार की हिदायत दे रहे हैं । सरकार के प्रोत्साहन से खादी के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है ।

†**आचार्य कृपालानी**: निस्सन्देह खादी की बिक्री बढ़ी है तथापि एक सीमा से अधिक उसकी बिक्री न हीं बढ़ सकती हैं । उन्होंने अभी कहा था कि खांडसारी प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकती है अतः उसे ख त्म हो जाना चाहिये इसके तात्पर्य हैं क्योंकि खादी भी प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकती है अतः इस उद्योग को भी समाप्त हो जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री मोरारजी देसाई:** मैंने केवल यह कहा था कि यदि किसी गृह उद्योग के एक सीमा से अधिक अनुचित रूप से रियायत दी जायेगी तो यह हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये लाभकारी नहीं होगा। हम भी माननीय सदस्य की तरह अनेक गृह उद्योगों को सहायता देना चाहते हैं। तथापि कई माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उक्त बड़े उद्योगों को खत्म कर दिया जाय। वस्तुतः किसी चीज को भी खत्म करने की आवश्यकता नहीं है अपितु गृह उद्योगों का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत होता जा रहा है। और सरकार उन्हें यथाशक्ति सहायता देना चाहती है।

डीजल तेल का सम्बन्ध केवल राजस्व से ही नहीं है अपितु डीजल तेल और पेट्रोल के उत्पादन में आर्थिक सन्तुलन रखने का है। इस समय डीजल तेल का उपयोग अधिक हो रहा है। यदि इसी गति से डीजल के तेल का उपयोग बढ़ता गया तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी क्योंकि हमारी शोधनशालाओं में बनने वाले पट्रोल का कोई उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः सन्तुलन बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि डिजिल तेल को जो रियायतें दी गई हैं वे हटा ली जायं। डीजल तेल पर कर इसी आशय से लगाया गया है। हमें पट्रोल का निर्यात करना है जबकि डिजिल तेल का हम आयात करते हैं। हमारे पैट्रोल का उत्पादन दो तीन वर्षों में दुगुना हो जायगा। जबकि इसी गति से उपयोग बढ़ने पर डीजल तेल का आयात दुगुना बढ़ जायगा। इसे रोकने के लिये डीजिल तेल पर कर लगाया गया है जिसके फलस्वरूप केवल ३४ नये पैसे प्रति टन मील की वृद्धि होगी। प्रति यात्री मील में यह वृद्धि केवल .०३५४ नये पैसे है। अतः इसे परिवहन पर कोई बड़ा भार नहीं कहा जा सकता है।

यह तर्क उठाया गया है कि इससे उन किसानों पर आघात होगा जो कि ट्रैक्टरों और सिंचाई के प्रयोजनों के लिये डीजिल तेल का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः इस बात की पिछले कई वर्षों से जांच की जा रही है लेकिन हम अभी तक कोई ऐसा तरीका ईजाद करने में समर्थ नहीं हुए जिससे कृषकों को उनके प्रयोजन के लिये दी गई रियायत का दुरुपयोग न हो सके। वास्तव में सम्भवना यह है कि इस रियायत का लाभ बड़े किसान ही उठायेंगे जो नकद फसलों द्वारा काफी रुपया कमाते हैं और इसका लाभ छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। तथापि मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि छोटे किसानों को कुछ रियायतें प्राप्त हो सकें।

वनस्पति तेलों के पहिले ७५ टन पर से हमने रियायत हटा ली है। बड़े कारखाने छोटे छोटे एकक बना कर इस कर से बचते जा रहे थे इसलिये यह छट हटा लेनी पड़ी। तथापि इन पर बड़े पैमाने के उत्पादनों की अपेक्षा कम शुल्क लगाया गया है। इससे वास्तविक गृह उद्योग को संरक्षण मिलेगा, इनमें तेल की घानियां भी शामिल हैं, जिन्हें यथोचित संरक्षण नहीं दिया जा रहा था।

वस्तुतः उक्त कारणों से ये कर लगाये गये हैं। हमने उक्त करों से सारे घाटे की पूर्ति न कर कुछ घाटा रहने दिया है जिसकी आलोचना की गई है। निस्सन्देह हमेशा इस प्रकार घाटा रहने देना ठीक नहीं है तथापि यह पिछले दो वर्षों से ही किया जा रहा है। वस्तुतः यदि राजस्व में घाटा रख कर उसे तत्काल अतिरिक्त करारोपण द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, तो उस के कुछ फायदे भी रहते हैं क्योंकि इससे सरकार को मितव्ययिता करने की प्रेरणा मिलती है और करों की आय उन क्षेत्रों में व्यय नहीं की जा सकती है, जिन खर्चों पर अधिकांश आपत्ति उठायी जाती है। हमने इस बात को इस पहल से भी देखा है।

कम्पनी करों में जो परिवर्तन किया गया है उसकी भी आलोचना की गई है। यह कदम कर-प्रणाली में वैज्ञानिकन और सरलीकरण के लिये उठाया गया है। इस प्रणाली में सरलीकरण करना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारजी देसाई]

आवश्यक हो गया था, क्योंकि इससे एक ओर कर-अपवंचन होता था और दूसरी ओर प्रशासन व्यय में वृद्धि होती थी। यह कहा गया है कि इससे अंशधारियों को हानि होगी। मैं यह वचन नहीं दे सकता कि किसी अंशधारी को कभी हानि न हो। तथापि मैं यह कह सकता हूं जो कम्पनियां अपने अंशधारियों को लाभांश देने में सतर्क रही हैं उनके अंशधारियों को जब भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन जो कम्पनियां अपना सारा लाभाँश अंशधारियों को बांट देती हैं उनके अंशधारियों को कुछ घाटा हो सकता है। तथापि सभी माननीय सदस्य इस पक्ष में हैं कि लाभांश देने में विनियमन किया जाये। वस्तुतः हमसे माननीय सदस्यों की यह मांग पूरी होगी कि सारे लाभ का इस प्रकार बटवारा न कर, उस उद्योग में ही लगाया जाय। वस्तुतः ऐसा होना कम्पनियों और अंशधारियों दोनों के लिये लाभदायक है। साथ ही इससे सरकार को भी घाटा नहीं होगा क्यों कि इससे सरकार की आय में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

श्री सोमानी ने कहा है कि इससे सरकार को अधिक शस्त्र की प्राप्ति होगी। वस्तुतः इससे सरकार का उद्देश्य राजस्व की दृष्टि करना नहीं रहा है। संभव है इससे आय में एक करोड़ रुपये की वृद्धि हो तथापि यह केवल इस कारण किया गया है कि हमसे सरकार को किसी प्रकार का घाटा न हो ? ४४.२ या ४४.३ प्रतिशत को बढ़ा कर ४५ प्रतिशत किसी प्रकार के घाटे की संभावना को दूर रखने को प्रयोजन से किया गया है। इससे २० करोड़ रुपये की आय नहीं होगी जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है। संभव है इन परिवर्तनों से कुछ कठिनाइयां या दिक्कतें पैदा हों। तथापि आगामी वर्ष के दौरान जितनी भी अनियमितायें इत्यादि देखने में आयेंगी हम उन्हे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ये कर १९६०–६१ से लागू होंगे। इस समय उन्हें इसके अनुसार केवल अग्रिम भुगतान करना होगा।

यह तर्क भी किया गया कि मद्यनिषेध समाप्त कर दिया जाय और नमक-कर लगा दिया जाय। मद्यनिषेध समाप्त किया जाय या नहीं इस विषय पर राज्य सरकारे ही विचार कर सकती हैं। तथापि यह कहना गलत है कि जहां मद्यनिषेध लागू किया गया वहां वह सफल नहीं रहा है। यदि सफलता से यह तात्पर्य हो, कि वहां अवैध शराब बिल्कुल नहीं बनती या वहां चोरी छिपे शराब नहीं ले जायी जाती तब इस दृष्टि से उसे सफल कहना गलत है। वस्तुतः कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिसका कुछ व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाता। तथापि हमें स्वीकार करना होगा कि मद्यनिषेध गरीब जनता के साथ लाभ के लिये है। मेरे कहने पर बम्बई में कई विदेशी और अपने देशवासी भी मजदूरों की बस्तियों में गये और उन्होंने लौट कर मुझे बताया कि मद्यनिषेध की जो आलोचना की जाती है वह पूरी सही नहीं है। निसंदेह वहां अवैध शराब बनती है या चोरी छिपे शराब लाई जाती है लेकिन ऐसा वहां भी होता है जहां मद्यनिषेध नहीं है बल्कि वहां ऐसा बड़े पैमाने पर किया जाता है। यदि मद्यनिषेध से पहिले वहां १०० व्यक्ति शराब पीते थे तो अब केवल २० व्यक्ति शराब पीते हैं। इस परिणाम को काफी सफल कहा जा सकता है। अब हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि अवशेष २० व्यक्ति भी शराब न पियें ताकि जो ८० व्यक्ति शराब छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से पीना सिखलायें।

नमक कर का अपना इतिहास है, इसका संबंध केवल भावना से ही नहीं है। नमक का प्रयोग गरीबों के द्वारा ही अधिक किया जाता है क्योंकि वे अनेक चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस पर कर लगाने से इनकी कठिनाइयां बढ़ेगी। वस्तुतः इसी कारण महात्मा गांधी ने नमक

सत्याग्रह का प्रारम्भ किया था। वे नमक पर कर लगाना नहीं चाहते थे। अतः हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम राष्ट्रपिता की भावनाओं का आदर करें। अतः मैं कभी नमक पर कर लगाने के पक्ष में नहीं हो सकता हूं।

अब मैं सहकारी कृषि के प्रश्न को लेता हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि श्री मसानी इसका विरोध क्यों करते हैं और वे क्यों ऐसा सोचते हैं कि सहकारी खेती, रूस के कल्कटिभज (सामूहिक खेती) के नमूने पर हो जायेगी। हम सहकारी खेती को सामूहिक खेती का रूप नहीं देना चाहते हैं। सामूहिक खेती दो प्रकार की होती हैं। संयुक्त सहकारी समितियों को भी सामूहिक सहकारी समितियां कहते हैं। तथापि इन दोनों में यह अन्तर है कि संयुक्त सहकारी समिति में भूमि उन व्यक्तियों की होती है जिन्होंने यह भूमि समिति को दी है। उन व्यक्तियों का अंश उस भूमि पर रहता है और काम करने के पश्चात् जो लाभ होता है वह उनके अंशों के अनुसार बांट दिया जाता है। इसे संयुक्त सहकारी खेती कहते हैं। सामूहिक सरकारी कृषि में, सरकारी भूमि समितियों को दी जाती है। उसमें किसी का व्यक्तिगत अंश न होकर संयुक्त रूप से सभी का अंश रहता है। सामूहिक खेती की एक स्वेच्छा से की जाने वाली और दूसरी अनिवार्यता की जाने वाली होती है। यदि सरकार सहकारी कृषि की शर्तों पर लोगों को भूमि देवे तो इसे जबरदस्ती करना नहीं कहा जा सकता है।

लोकतंत्र के समर्थक सभी व्यक्ति सहकारिता पर विश्वास करते हैं। पहिले हम कुछ कार्यों में असहयोग पर विश्वास करते थे, लेकिन अब ऐसा करना आवश्यक नहीं रह गया है। इस लिये हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि सभी क्षेत्रों पर विशेषतः हमारे कृषि संबंधी कार्य सहकारिता के आधार पर किये जायें।

व्यक्तिगत आधार पर खेती करने पर प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक औजार इत्यादि की व्यवस्था करनी होती है। इससे पूंजी का अपव्यय होता है, वे लोग अपने पृथक स्वार्थों में लगे रहने के कारण पारस्परिक सहायता इत्यादि भी नहीं करते हैं। देश में सहकारी समाज की स्थापना के लिये हमें इस बात को प्रोत्साहित करना होगा। यह सहकारिता उन पर जबरदस्ती नहीं लादी जा सकती है अपितु इसके लिये उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिये हमें जनता को आवश्यक शिक्षा देनी होगी तथा उनके लिये आवश्यक कार्य करना होगा। पहिले तीन वर्षों में हम सेवा सहकारी समितियां स्थापित करना चाहते हैं। हम जनता को इसके लिये शिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके द्वारा हम जनता के सदस्य में सहकारिता की भावना पैदा कर सकेंगे। तत्पश्चात् सवत्र सहकारी कृषि लागू करना सरल होगा। मैं पिछले १० वर्षों से यही बात कह रहा हूं। वस्तुतः देश का उत्पादन सहकारी कृषि के द्वारा ही हो सकता है। तथापि सहकारिता की भावना पैदा करने के लिये हमें जनता को इस दिशा में शिक्षित करना होगा। इस लिये यह कहना कि सहकारी खेती सामूहिक खेती का रूप ले लेगी और इससे देश में तानाशाही फैल जायेगी बिल्कुल गलत है। इसके विपरीत मेरी धारणा यह है कि यदि हमारे देश में सहकारी समितियां नहीं होंगी तो हमारे लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं होगा। निसंदेह इस बात पर सभी लोग एक मत नहीं हो सकते हैं। यह कहना गलत है कि हम इसे किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कर रहे हैं और ऐसा करना लोकतंत्रात्मक नहीं है। मेरे विचार से यह कहना बिल्कुल अव्यवहारिक है कि इससे खून खराबियां होंगी और जनता में इसका विरोध होगा। निसंदेह यदि गांव की जनता को ऐसी बातों का विरोध करना सिखाया जायेगा तो वे ऐसा करेंगे ही। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किसानों में चकबन्दी का विरोध करने का प्रचार करते हैं। निसंदेह जनता को इस बात के विरुद्ध भड़काया जा सकता है। इसके स्थान पर जनता को सहकारी खेती

[श्री मुरारजी देसाई]

करने को क्यों नहीं समझाया जाता है। यदि हम अपने किसानों को सहकारी खेती करने के लिये राज़ी कर सकें तो वे अपेक्षाकृत कम और अच्छे औजारों से खेती करने में समर्थ होंगे और उन्हें अधिक भूमि उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं गांवों में सहकारिता की भावना आज से कहीं अधिक गहरी हो जायेगी। और पारस्पारिक सहयोग से गांव का जीवन समृद्ध और सुखी हो जायेगा। तब प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र को चुनौती नहीं दे सकेगा। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में यथा औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में सहकारिता की आवश्यकता है। तथापि हमें यह कार्य समझा बुझा कर करना है ताकि बलपूर्वक उनके ऊपर लाद कर। इसके लिये हमें जनता को इस प्रणाली के लाभ और फायदे समझाने होंगे तथा इस दिशा में शिक्षित करना होगा। इस कार्य के लिये हम उन्हें सरकारी सहायता दे सकते हैं। बम्बई में कुछ वर्ष पहिले यही किया गया था। इस समय भी देश में संयुक्त सहकारी फार्म हैं। यद्यपि उनकी संख्या कम है तथापि वे व्यक्तिगत कृषि फार्मों की अपेक्षा अधिक कम रहे हैं। इसलिये यह कहना ग़लत है कि इस कार्य में हम कहीं भी सफल नहीं रहे हैं। हमारे देश में जहां किसानों के पास दो या तीन एकड़ से अधिक भूमि नहीं होती है वहां खेती करना लाभदायक नहीं रह जाता है। यदि ये लोग मिल जुल कर सहकारी खेती करेंगे तो यह धंधा केवल लाभदायक ही नहीं हो जायेगा अपितु वे कुछ गृह उद्योग करने में भी समर्थ होंगे जिससे वे अधिक आय पैदा कर सकेंगे। श्री रंगा ने बम्बई के सहकारी समिति के पंजीबद्ध के संबंध में जो भी कहा है उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तथापि मैं भी गांवों में गया हूं संभव है दृष्टिकोणों में अन्तर होने के कारण हमने स्थिति के अलग-अलग अर्थ लगाये हों। तथापि यह एक मामूली सा सवाल है कि यदि सभी व्यक्ति अपने भौतिक तथा मानसिक संसाधनों को पूंजीभूत करेंगे तो सबसे बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति की सेवायें भी निकृष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो सकेंगी। परिणाम यह होगा कि इससे सब को अधिक लाभ पहुंचेगा। हम समाज में इस प्रकार की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। तथापि यह व्यवस्था स्वेच्छापूर्वक विकास के द्वारा लोकतंत्रात्मक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं न कि बलपूर्वक जनता पर लाद कर। ऐसे समाज की स्थापना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग करता हो सहकारिता के बल पर ही की जा सकती है। यह बात सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती है इस संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है। कुछ भी हो हम इस विश्वास से कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जल्दी या देर से मेरे सभी माननीय मित्र इस तथ्य से सहमत होंगे।

लेखानुदानों की मांगें

वर्ष १९५९-६० के लिये विभिन्न मंत्रालयों की लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं और स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय .	६,१६,०००
२	उद्योग	२,४७,४९,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	नमक	६,१६,०००
४	वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े	६,७७,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय	२३,२६,०००
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	२,२८,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता	१,७१,८४,०००
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	३,३६,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना	१४,५६,३०,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें क्रियाकारी नौसेना	१,५३,३३,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुसेना	४,९८,२८,०००
१२	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी प्रभार	१,२७,१०,०००
१३	शिक्षा मंत्रालय	४,९५,०००
१४	शिक्षा	२,५९,४६,०००
१५	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	१९,७०,०००
१६	आदिम- जाति क्षेत्र	७२,५८,०००
१७	नागा पहाड़ियां—त्वेनसांग क्षेत्र	२८,६९,०००
१४	वैदेशिक कार्य	८१,३५,०००
१९	पांडीचेरी राज्य	२२,९२,०००
२०	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३९,०००
२१	वित्त मंत्रालय	१२,३४,०००
२२	सीमा-शुल्क	३३,०५,०००
२३	संघ उत्पादन शुल्क	६७,४४,०००
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर	४७,०४,०००
२५	अफीम	२,७३,९३,०००
२६	मुद्रांक	२३,२३,०००
२७	लेखा-परीक्षा	८८,१७,०००
२८	चल मुद्रा	३२,५२,०००
२९	टकसाल	४९,०३,०००
३०	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन	२,११,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३१	अतिवयस्कता भत्ता तथा निवृत्ति वेतन . . .	६२,७४,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय .	३,६६,६८,०००
३३	योजना आयोग	१८,९९,०००
३४	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	१,५१,०००
३५	विभाजन के पूर्व भुगतान . .	१,८३,०००
३६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . .	६,२९,०००
३७	वन	२१,६१,०००
३८	कृषि	८३,७३,०००
३९	कृषि गवेषणा .	४१,१५,०००
४०	पशुपालन	२१,८९,०००
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय .	९८,०१,०००
४२	स्वास्थ्य मंत्रालय	१,१७,०००
४३	चिकित्सा सेवायें	५५,२६,०००
४४	सार्वजनिक स्वास्थ्य	१,३७,७५,०००
४५	स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय .	७,३३,०००
४६	गृह-कार्य मंत्रालय .	२४,१६,०००
४७	मंत्रि-मंडल	३,११,०००
४८	क्षेत्रीय परिषदें . .	३१,०००
४९	न्याय प्रशासन .	२१,०००
५०	पुलिस . . .	४५,२८,०००
५१	जन-गणना	१,५४,०००
५२	आंकड़े	१५,७५,०००
५३	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते . . .	१,२९,०००
५४	दिल्ली	९०,८२,०००
५५	हिमाचल प्रदेश . .	४८,५८,०००
५६	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	२५,९५,०००
५७	मनीपुर	१९,४९,०००
५८	त्रिपुरा	३१,०५,०००
५९	लक्कद्वीप, मिनीकोय व अमीनद्वीप समूह . . .	१,५७,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६०	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	९७,१७,०००
६१	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	१,२०,०००
६२	प्रसारण	३८,७०,०००
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय	२८,६३,०००
६४	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२,०३,०००
६५	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें . . .	१५,९५,०००
६६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . .	१३,८६,०००
६७	श्रम और रोजगार मंत्रालय . .	१,६७,०००
६८	मुख्य खान निरीक्षक	१,७९,०००
६९	श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . .	८७,७२,०००
७०	विविध मंत्रालय	२,१५,०००
७१	निर्वाचन	७,५८,०००
	(पुनर्वास मंत्रालय)	
७२	पुनर्वास मंत्रालय . . .	३,११,०००
७३	विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्प-संख्यकों पर व्यय . .	१,६४,१०,०००
७४	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य	२,४४,०००
७५	पुरातत्व	८,९२,०००
७६	भारत का सर्वेक्षण . . .	१३,४३,०००
७७	बनस्पति सर्वेक्षण . . .	१,२८,०००
७८	प्राणिकीर्य सर्वेक्षण	९५,०००
७९	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय . .	१,०८,९२,०००
८०	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय . . .	३,०७,०००
८१	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय . . .	३,३६,०००
८२	भूतत्वीय सर्वेक्षण	१८,४२,०००
८३	तेल और प्राकृतिक गैस की खोज . . .	२८,२१,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८४	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य विभाग . . .	२,२५,५८,०००
८५	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	४,५५,०००
८६	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	५,५२,८७,०००
८७	वणिक नौवहन .	५,७५,०००
८८	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत .	१०,७४,०००
८९	ऋतु विज्ञान विभाग .	१३,५४,०००
९०	समुद्र पार संचार सेवा .	१०,७१,०००
९१	उड्डयन . .	५९,१२,०००
९२	केन्द्रीय सड़क निधि . .	३२,३९,०००
९३	संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित) . . .	५५,३६,०००
९४	परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय . .	१४,२६,०००
९५	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	५,२७,०००
९६	संभरण	२३,५६,०००
९७	अन्य असैनिक निर्माण कार्य .	२,२४,९२,०००
९८	स्टेशनरी और मुद्रण	६४,७९,०००
९९	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय . .	९,९१,०००
१००	अणु शक्ति विभाग .	१,११,०००
१०१	अणु शक्ति गवेषणा	३६,७३,०००
१०२	संसद्-कार्य विभाग .	१९,०००
१०३	लोक-सभा . .	८,३३,०००
१०४	लोक-सभा के अधीन विविध व्यय	३४,०००
१०५	राज्य सभा . .	२,८२,०००
१०६	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय .	५,०००
१०७	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,३५,४५,०००
१०८	सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय का पूंजी व्यय	३१,५६,०००
१०९	प्रतिरक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,०७,५०,०००
११०	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	५,८०,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१११	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	५,६९,०००
११२	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय .	९२,०००
११३	चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय .	८,४१,१२,०००
११४	टकसालों पर पूंजी व्यय .	४,०४,०००
११५	सेवा निवृत्ति वेतन का परिगणित भूल्य	३,७८,०००
११६	छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान .	१,०००
११७	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	५,३९,६२,०००
११८	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और पेशगियां	१७, ६,६८,०००
११९	वनों पर पूंजी व्यय	१,१६,०००
१२०	खाद्यान्नों का क्रय	२०,७८,४७,०००
१२१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३,०३,६३,०००
१२२	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	१,०४,००,०००
१२३	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	६,७५,०००
१२४	प्रसारण पर पूंजी व्यय	१६,६७,०००
१२५	बहुप्रयोजनीय नदी योजना पर पूंजी व्यय	२६,९१,०००
१२६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	६५,१७,०००
१२७	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२९,०००
१२८	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	१,६८,३३,०००
१२९	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१९,८२,०००
१३०	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२,००,६०,०००
१३१	भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया) . .	२,८४,८७,०००
१३२	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	३६,११,०००
१३३	पत्तनों पर पूंजी व्यय .	२५,२९,०००
१३४	सड़कों पर पूंजी व्यय . .	१,३७,५०,०००
१३५	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	७३,०१,०००
१३६	दिल्ली पूंजी व्यय	६१,०२,०००
१३७	भवनों पर पूंजी व्यय . .	६८,५४,०००
१३८	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	५९,५८,०००
१३९	अणु शक्ति विभाग का पूंजी व्यय	४५,५८,०००

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, खंड ३, अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २, खंड ३, अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

†**वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

भारत की अधिकृत लेखापाल संस्था की स्थापना अधिकृत लेखापाल अधिनियम १९४९ के अधीन हुई थी । इस संस्था द्वारा किये गये ९ वर्षों के काम में कुछ कमियों और त्रुटियों का पता चला है जिन का निराकरण इस विधेयक के द्वारा किया जाना चाहिये । इस अधिनियम का संशोधन पिछली बार १९५५ में हुआ था । उस समय चर्चा के दौरान में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उपयुक्त समय पर एक व्यापक और विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य उन कमियों और त्रुटियों को दूर करना तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति करना है । संस्था के सदस्यों में वृद्धि के साथ-साथ इस की परिषद के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होना आवश्यक है । आजकल इस परिषद में २० निर्वाचित तथा ५ नामनिर्देशित व्यक्ति हैं । अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि इस के परिषद के सदस्यों की संख्या ३० निश्चित कर दी जाये जिस में से २४ निर्वाचित तथा ६ सदस्य नामनिर्देशित हों । ताकि यह परिषद आसानी से कार्य कर सके । निर्वाचित तथा नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या का अनुपात नहीं रखा गया है । जो वर्तमान अधिनियम में हैं ।

संस्था के किसी सदस्य के कुचरित्र की जांच करने के सम्बन्ध में अधिनियम में बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है । परिषद को किसी मामले विशेष सम्बन्धी निर्णयों को अन्तिम आदेश के लिये उच्च न्यायालय तक भेजना होता है । बचत की दृष्टि और काम को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार के सदस्यों के अनुशासन सम्बन्धी मामलों के हेतु परिषद को कुछ सीमित अधिकार दे दिये जायें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

और उच्च न्यायालयों को मामले भेजे बिना वह निर्णय कर सके । इस के लिये कुचरित्र की परिभाषा दो भागों में की गई है । एक बड़े और एक छोटे । छोटे मामलों का निर्णय करने का अधिकार परिषद को दिया गया है । इस के अतिरिक्त असन्तुष्ट दलों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील करें ।

अब तक इस परिषद ने ५७ मामलों के निर्णय उच्च न्यायालय को भेजे हैं जिन में से ५० मामलों में परिषद के निर्णयों को उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है । केवल ६ मामले ऐसे हैं जिन में न्यायालय ने अपनी सहमति नहीं दी है कि ये कुचरित्र के मामले हैं । इस से यह प्रकट होता है कि परिषद के निर्णय ठीक और न्यायसंगत हैं अतः यह उपयुक्त होगा कि परिषद को कुछ अधिकार दिये जायें । सरकार को इस बात का भी पता चला है कि हमारे देश में कुछ अमान्यता प्राप्त संस्थायें भी कार्य कर रही हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाने, परीक्षा लेने और लेखापाल की उपाधि आदि देने का कार्य करती हैं बहुत से विद्यार्थी भूल से इन संस्थाओं में जाते हैं और यह समझते हैं कि इन संस्थाओं द्वारा दिये गये डिप्लोमा तथा डिग्रियां अधिकृत लेखापाल की डिग्रियों और डिप्लोमा के समान हैं और वे समझते हैं कि ये डिग्रियां उन्हें क्षेत्र में विधिवत रूप से काम करने के लिये उसी प्रकार अधिकार देंगी जिस प्रकार कि अधिकृत लेखापाल को काम करने का अधिकार है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

अधिकृत लेखापाल अधिनियम योजना का सार यह है कि देश में अकाउन्टेंसी के व्यवसाय को विनियमित करने के लिये केवल एक ही अभिकरण होना चाहिये और इस अधिनियम के अधीन अधिकृत लेखापालों की भारतीय संस्था (इंस्टीट्यूट आफ़ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) ही एक मात्र संस्था है जो इस प्रयोजनार्थ बनाई गई है ; अतः इसी प्रकार की अन्य दूसरी संस्थाओं द्वारा परीक्षा लेना और डिग्रियां बांटना इस अधिनियम के उद्देश्य को समाप्त कर देगा । इसलिये अनधिकृत संस्थाओं द्वारा अकाउन्टेन्सी में क्षमता की डिग्रियां बांटना रोका गया है ।

इस विधेयक के अन्य उपबन्धों की चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इस विधेयक की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाय । नियोजकों और संयुक्त स्कन्ध नियोजकों के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से इस व्यवस्था को विनियमित करने के लिये सन् १९१४ में पहली बार प्रयत्न किया गया था जबकि समवाय अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि किसी समवाय के लेखाओं की परीक्षा केवल उसी लेखा परीक्षक द्वारा की जा सकती है जिस के पास उस की योग्यता और क्षमता के बारे में स्थानीय सरकार का प्रमाणपत्र हो । इस प्रकार के प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये अतः राज्य सरकारों ने अपने अपने नियम आदि बनाये । १९३० में केन्द्र ने कुछ स्थायी नियमों की आवश्यकता समझी और समवाय अधिनियम के एक संशोधन के अधीन जारी किये गये लेखा-परीक्षक प्रमाणपत्र नियम के अनुसार एक भारतीय लेखामंडल की स्थापना की गई । सन् १९३९ तक इस मंडल के सदस्य राज्यपालों द्वारा नामनिर्देशित होते थे और तभी ग़ैर-सरकारी सदस्यों के निर्वाचन का प्रश्न उठाया गया ।

युद्ध तथा युद्धोत्तर वर्षों में देश में तीव्रगति से होने वाले औद्योगिक विकास और लेखापालों के कार्यों और उन के क्षेत्रों में होने वाली निरन्तर वृद्धि और विस्तार के कारण इस बात की आवश्यकता हुई कि एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जाये जो इस बात की जांच करे कि इस व्यवसाय को अपनाने वालों के लिये तथा इस के सदस्यों के लिये अनुशासन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के संबंध में नियम आदि बनाने के हेतु एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाये । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९ बनाया गया । अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था पूर्णतः न्यायसंगत और व्यवसाय की स्वायत्तता के हेतु है । इस संस्था की आयु को देखते हुए इस संस्था द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, जैसेकि विद्यार्थियों को पढ़ाना, इस के सदस्यों के लिये रोज़गार ढूंढना, अनुसंधान कार्य करना, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखना कि इस के सदस्य अच्छे सिद्धान्तों का निरूपण करते हैं, किये गये कार्य काफ़ी सन्तोषप्रद रहे हैं । इस संस्था की सामान्य निधि दस लाख रुपये है और यह एक आत्मनिर्भर निकाय है । जिस की आय सदस्यों की सदस्यता तथा परीक्षा शुल्क पर निर्भर करती है भवन निर्माण कार्य के लिये तथा विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये सरकार ने कुछ अनावर्तक अनुदान दिये हैं और इस के क्षेत्रीय मुख्यालय के भवन पर होने वाले व्यय के मद में ५ लाख रुपये की आंशिक सहायता दी है ।

इस संस्था के बारे में कुछ ग़लत बातें भी कही गई हैं कि इसने नवागन्तुकों की भलाई और विद्यार्थियों की पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधा के लिये कुछ नहीं किया है । इस पर यह भी आरोप लगाया गया है कि इस का प्रबन्ध कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो इस व्यवसाय की समाष्टि रूप से लाभ की बात न सोच कर कुछ लोगों के हित की ही बात सोचते हैं । नवयुवक व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें इस संस्था से उतनी सहायता नहीं मिलती जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिये । इस बात को छोड़ते हुए कि ये आरोप ठीक है अथवा नहीं यह बात स्मरणीय है कि हम आर्थिक विकासोन्मुख परिस्थिति में जबकि राज्य जनसाधारण की उन्नति के लिये प्रयत्न कर रहा है तब हमें इस बात की आवश्यकता

है कि इस प्रकार के स्वायत्त निकायों अथवा निगमों की अर्थ व्यवस्था पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो जिस से कि ये संस्थायें जनसाधारण के हित में कार्य करें। इस प्रकार की देखभाल के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के निकायों के परिनियमों के बारे में सरकार के कुछ अधिकार हों। अत: इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जनहित के लिये इस संस्था परिषद को कुछ विनियम बनाने के लिये सरकार को सुझाव देना चाहिये। और परिषद द्वारा ऐसा न किये जाने पर इस अधिनियम की धारा १५ में निहित बातों के बारे में सरकार स्वयं विनियम बनाये।

सरकार तथा इस संस्था के बीच के सम्बन्ध बहुत ही सन्तोषजनक और सद्भावनापूर्ण हैं और जहां कभी भी मतभेद हुआ हो वह आसानी से तै कर लिया गया। इसलिये ऐसी कल्पना करना कि सरकार को जो अब अधिकार मिल रहे हैं वह उन का उपयोग इस संस्था की परिषद के बिना परामर्श के अथवा संस्था के उद्देश्यों को समझे बिना ही प्रयोग करेगी। इस अधिकार का प्रयोग केवल उसी स्थिति में किया जायेगा जबकि संस्था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है और सरकार यह अनुभव करती है कि सरकार द्वारा कार्यवाही करना जनहित की दृष्टि से आवश्यक है। इसी प्रकार के परिनियम अन्य समस्याओं में भी पाये जाते हैं।

विद्यार्थियों को दी जाने वाली मौखिक और व्यावहारिक तथा भुगतान के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें आई हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनका अधिनियम के उपबन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध बनाने की आवश्यकता इस अधिनियम के अधीन पड़ गई है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इस संस्था के कुछ सदस्यों तथा संसद् सदस्यों की एक समिति की स्थापना करने के बारे में उल्लेख किया था। इस समिति का प्रतिवेदन आ जाने के पश्चात् इसकी सिफारिशों के आधार पर इन मामलों पर विचार कर सकती है और उपर्युक्त कार्यवाही कर सकती है। यदि सरकार इस प्रस्तावित समिति की किसी सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहती है तो उसे ऐसा करने के लिये आवश्यक अधिकार होने चाहिये। इसी लिये यह आवश्यक है कि इस प्रस्तावित विधेयक में इस प्रकार के अधिकार लिये गये हैं।

नये विद्यार्थियों की शिकायतों तथा नीति सम्बन्धी शिकायतों के हल करने के सम्बन्ध में माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का विचार दोनों सभाओं के सदस्यों की जिनकी रुचि की इस विषय में हो, तथा इस संस्था के परिषद सदस्यों की और समवाय विधि विभाग के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाने का है। जिन सदस्यों को इसके बारे में शिकायत है उनको उस समय इसके हल करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये उस समय काफ़ी अवसर मिल जायेगा।

लागत व निर्माण लेखापाल विधेयक के उपबन्धों को विनियमित करने के लिये सरकार ने एक विधेयक पुर:स्थापित किया है जो संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। उस संयुक्त समिति ने इस विधेयक में संशोधन किया है और वह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। लोक-सभा भी उस पर विचार करेगी।

राज्य सभा ने इस विधेयक में यह परिवर्तन किया है कि इस संस्था के सदस्यों को "अधिकृत लेखापाल" लिखने की छूट दी जाये चाहे वे इस व्यवसाय मे हों अथवा नहीं। वर्तमान अधिनियम के अधीन वे "अधिकृत लेखापाल" लिख नहीं सकते। सरकार से इस संस्था के सभी सदस्यों को अधिकृत लेखापाल लिखने की छूट देने के लिये कहा गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : कुछ दिन पूर्व लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक इस सभा में प्रस्तुत था उस समय कहा गया था कि यह विधेयक अधिकृत लेखापाल अधिनियम के अनुभव पर आधारित है अब उसी के बारे में संशोधन प्रस्तुत किया गया है । उस समय मैंने कहा था कि लागत और निर्माण लेखापाल विधेयक में कुछ त्रुटियां रह गई हैं । संयुक्त समिति द्वारा जांच के समय इसकी और भी त्रुटियां ध्यान में आईं । उनके बारे में अब काफ़ी मात्रा में वाद विवाद है । सरकार के वर्तमान विधेयक में जिन अधिकारों के दिये जाने का उल्लेख है उनके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं चाहते । पिछली बार यह संविधान सभा में अन्तिम दिन रखा गया था और पारित भी हो गया था तभी से यह सुचारु रूप से कार्य कर रहा है ।

उस समय जब कि यह संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था तो इसके उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया था कि इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध धीरे-धीरे व्यवसायियों के हाथ में दे दिया जायेगा और सरकार का नियंत्रण धीरे-धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो जायेगा । किन्तु इस विधेयक में हम देखते हैं कि सरकार अधिक अधिकार मांग रही है । मेरे विचार से तो वर्तमान अधिनियम में ही सरकार द्वारा नियंत्रण करने के लिये ही काफ़ी अधिकार दिये हुए हैं । ऐसी स्थिति में एक व्यवसायिक संस्था जो काफ़ी सन्तोषजनक कार्य कर रही है उसके सम्बन्ध में सरकार के लिये इतने अधिकार ही काफ़ी हैं । अत: मेरे विचार से किसी व्यवसायिक संस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण ठीक नहीं है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अब सरकार यह अधिकार चाहती है कि वह परिषद् को यह आदेश दे कि अमुक कार्य करे अथवा नहीं । यह कोई अच्छी बात नहीं है । सरकार को चाहिये कि वे इस प्रकार की संस्थाओं को उसी प्रकार कार्य करने दे जिस प्रकार कि वे कार्य करना चाहती हैं । मेरे विचार से और अधिकार लेना इस व्यवसाय के लिये ठीक नहीं है ।

इस अधिनियम के कार्यगत रहने पर इस व्यवसाय में रत व्यक्तियों द्वारा यह अनुभव किया गया कि परिषद् में सरकार का प्रतिनिधित्व आवश्यकता से अधिक है । इस प्रकार का अधिक प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं को अधिक स्वतन्त्रता के साथ कार्य नहीं करने देगा । इस से तो काम में और भी जटिलताएं बढ़ जायेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण फिर रख सकते हैं अब चूंकि ५ बज गये हैं और हमें दूसरा कार्य लेना है ।

स्थगन प्रस्ताव

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब सभा का कार्य स्थगित किया जाये ।"

इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मेरे क्षेत्र में भारतीयों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है । और वह क्षेत्र पाकिस्तान

---

†मूल अंग्रेजी में

की सीमा पर है। इस असुरक्षा का ज्वलंत उदाहरण हमें पिछले कुछ दिनों से मिल रहा है। पाकिस्तानी भारतीयों को पकड़ कर ले जाते हैं किन्तु इसके प्रत्युत्तर में हमारी ओर से कुछ नहीं होता। इसके अलावा पाकिस्तानी सेनाओं ने अब गोलाबारी भी शुरू कर दी है। और यह गोलाबारी पिछले तीन दिन तक बराबर चलती रही। इससे दो व्यक्ति भी हताहत हुए जो अस्पताल में चिकित्सा करा रहे हैं। यह घटना राजनगर नामक गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण करने के फलस्वरूप हुई। बग्गे पंचाट के द्वारा यह निर्णय हुआ था कि यह ग्राम भारत का है; दोनों प्रधान मंत्रियों ने अपने करार में भी इसका समर्थन किया था किन्तु फिर भी वे यहां बराबर आक्रमण करते रहते हैं। यही बात चार नूरपुर के साथ हुई। इसके बारे में मैंने प्रधान मंत्री श्री नेहरू को भी लिखा था। किन्तु हम देखते हैं कि चार नूरपुर आजकल पाकिस्तानियों के अधिकार में है और हमारी फौज़ों को वहां से हटना पड़ा। चूंकि यह स्थान युद्ध की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अतः पाकिस्तानियों ने इस पर अधिकार कर लिया।

मेरे द्वारा अभ्यावेदन करने पर वहां दुबारा से पुलिस भेजी गई। इससे ६०–७० मील की दूरी पर चार नूरपुर में पाकिस्तानियों ने सैनिक अड्डे बनाये हैं वहां उनकी सेना रहती है किन्तु हमारी ओर से कोई उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है केवल पुलिस वहां पर है। आज सुबह प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमारी पूर्वी कमान के पदाधिकारी इस स्थिति के प्रति जागरूक हैं।

मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कलकत्ता एरिया कमान्ड के एरिया कमांडर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक ब्रिटिश राष्ट्रीयता नहीं त्यागी है, क्या प्रधान मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन एरिया कमांडर का एक सगा सम्बन्धी पाकिस्तान में एरिया कमांडर है और ये दोनों ब्रिटिश राष्ट्रजन हैं?

लेकिन बात कुछ इसके विपरीत है। दूसरी ओर पाकिस्तानियों का रवैया कुछ इस प्रकार का है जहां कहीं भी उन्हें जरा सा अवसर मिलता है तो वे कार्यवाही करने लगते हैं और उस पर अधिकार जमा लेते हैं। मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार इन सब के बारे में क्या कर रही है। प्रधान मंत्रियों के करार के बावजूद भी पाकिस्तानियों ने सीमा पर अपनी सेनाएं जमा रखी हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तानियों की यह चाल हो सकती है कि वे एक स्थान पर आक्रमण करते हैं फिर दूसरे स्थान पर आक्रमण कर देते हैं इस प्रकार हमारी सेना का ध्यान एक स्थान पर नहीं जमने देते। मेरा तो यह कहना है कि हमारी सेना एक ही स्थान पर क्यों अपना ध्यान रखती है क्यों नहीं वह भी पाकिस्तानियों की तरह पूरी सीमा पर अपने सैनिक रखती।

सैनिक सुरक्षा की ही यह दशा नहीं है बल्कि असैनिक सुरक्षा की भी ऐसी ही स्थिति है। हम देखते हैं कि नूरपुर कुची से पी० एस० जालंगी तक का नदी का मार्ग भारतीयों के लिये रोक दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में क्या किया?

पाकिस्तानी सैनिक हमारे यहां आते हैं हमारे नागरिकों को भगा ले जाते हैं और वहां पाकिस्तान में उनको जेलों में डाल देते हैं। प्रश्न यह उठता है कि कब तक हम ये यातनाएं सहते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

आसाम की सीमा पर भी यही हाल है वहां भी पाकिस्तानी हमारी सीमा के भीतर घुस आते हैं और वहां उत्पात मचाते हैं। अभी हाल में एक गर्भवती महिला पर आक्रमण किया था जो अब

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

अस्पताल में इलाज करा रही है। सवाल यह उठता है कि कब तक हम इन सब बातों को सहन करेंगे। इससे तो जनता के मस्तिष्क में एक यही बात उठती है कि या तो शासन करो अथवा शासन छोड़ दो। इसलिये यह आवश्यक है कि वहां के नागरिकों की सम्पत्ति तथा उनके जीवन की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाये।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : यह बड़े दुख की बात है कि समय-समय पर सद्भावना व्यक्त किये जाने पर भी भारत-पाक सम्बन्ध दिन प्रति दिन अधिक खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान बनने के समय जिस प्रकार का रक्तपात हुआ था वह अभी भी जोरी है। इसको बन्द किया जाना चाहिए।

यह घटना हमारे लिये छोटी सी भले ही हो परन्तु जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनायें बड़ी भारी चिन्ता की विषय हैं। मेरे विचार से इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में काश्मीर और नहरी पानी जैसी बड़ी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हो सकी हैं। पाकिस्तान के नेता समय-समय शत्रुतापूर्ण वक्तव्य जारी करते रहते हैं जो बहुत खतरनाक हैं। इस तरह की बात कहने में मेरा उद्देश्य भारत-पाक सम्बन्धों को कटु बनाना नहीं है क्योंकि हम तो दोनों देशों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।

परन्तु इस प्रकार की घटनाओं के प्रति हम अपनी आंखें बन्द करके नहीं बैठे रह सकते। १९५७ में आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त पर गोली चलाये जाने की ३६ घटनायें घटित हुईं। १९५८ में उनकी संख्या १७१ हो गई। २३ दिसम्बर, १९५८ को युद्धविराम समझौता हुआ जिससे कुछ समय तक क्षणिक शांति रही। अब फिर पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे पूर्वी सीमान्त पर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया है।

करीमगंज क्षेत्र की गोलीवर्षा से हमारी जनसम्पत्ति की बहुत क्षति हुई है। सिग्रोलामुख स्थित सीमान्त चौकी के एक भारतीय अधिकारी को पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पीटा गया। उसके यह कहने पर भी कि वह अपराधियों की पहचान कर सकता है उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। भारतीय अधिकारियों द्वारा विरोध प्रकट किये जाने पर भी पाकिस्तान चुप बैठा है।

उसके बाद की घटनाओं का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता क्योंकि उनके सम्बन्ध में सभी भली प्रकार परिचित हैं। फिर ये हाल की कुछ घटनायें हैं। पाकिस्तानी बन्दूकधारी सैनिकों ने हमारे राज्य-क्षेत्र में घुसकर भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति लूटी। उन्होंने दो भारतीय स्त्रियों के साथ बलात्कार भी किया। यह बहुत शर्म की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे राज्य-क्षेत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकारों के साथ भी बलात्कार किया है। उदाहरणार्थ तुकेरग्राम को ले लीजिये। विधिवत हमारे देश का होने पर उस पर पाकिस्तानी सेनाओं ने अधिकार कर रखा है। जब नेहरू-नून समझौता हुआ तब हमारे प्रधान मंत्री को तुकेरग्राम के सम्बन्ध में मांग करनी चाहिए थी परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया। पाकिस्तान तुकेरग्राम को पथरियावन विवाद के हल के लिए लूट के माल के रूप में हथियाए हुए है। यदि इस समस्या का हल पाकिस्तान की इच्छानुसार नहीं किया जायेगा तो पाकिस्तान तुकेरग्राम पर अपना कब्जा बनाये रखेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार त्रिपुरा के सीमान्त पर स्थित लखीमपुर का मामला है। नेहरू-नून समझौते के कुछ दिन पूर्व ही पाकिस्तानी सेनाओं ने उस पर कब्जा किया था। समझौते में पूर्व स्थिति लाने की व्यवस्था की गई थी परन्तु अभी तक उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

अब यह मुर्शिदाबाद क्षेत्र की घटना हमारे सामने आई है। इसलिए इस घटना को हम सर्वथा पृथक रूप में नहीं ले सकते वरन् उसे एक सुनियोजित चाल के अंग के रूप में लेना चाहिए। वह चाल इस प्रकार है कि वे पहले एक स्थान पर उपद्रव करते हैं और जब उस क्षेत्र के सम्बन्ध में युद्धविराम समझौता हो जाता है तो वे किसी दूसरे क्षेत्र में उपद्रव शुरू कर देते हैं। इसी चाल के अनुसार पथरिया रक्षित वन, खासी-जैन्तियां पहाड़ियों, गैरो पहाड़ियों, करीमगंज आदि स्थानों में उपद्रव किये गये हैं। अब वे उस क्षेत्र से पश्चिमी बंगाल की ओर उन्मुख हो रहे हैं।

मेरा विचार है कि नेहरू-नून समझौते का पूर्ण रूप से क्रियान्वित न किया जाना ही समस्त झगड़े की जड़ है। उसके आंशिक क्रियान्वयन से काम नहीं चलेगा। इसलिए उसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

अभी जो युद्ध विराम समझौता हुआ है उसको पाकिस्तान किसी भी समय तोड़ सकता है। जब तक सीमांकन का कार्य पूरा नहीं होगा इस प्रकार के झगड़े चलते ही रहेंगे। अब यह कहा जा रहा है कि रेडक्लिफ और बग्गे पंचाट स्पष्ट नहीं है और हमारे राज्य-क्षेत्र को छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है।

फिर अमेरिका के साथ हुए समझौते का जो अर्थ पाकिस्तानी नेताओं द्वारा लगाया जा रहा है उसको देखते हुए हमारी स्थिति और भी अधिक खतरनाक दिखाई देती है। मेरा विचार है कि वे अमरीकी सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध अवश्य करेंगे।

एक बात और भी है; आसाम की स्थिति बहुत नाजुक है क्योंकि वह भारत के साथ बहुत छोटे से भूभाग से जुड़ा हुआ है। यदि पाकिस्तान आसाम के सीमान्त से आक्रमण करता है तो आसाम का भारत से सम्बन्ध सहज ही विच्छेद किया जा सकता है। यह बड़ी भारी समस्या है।

प्रतिरक्षा मंत्री ने हाल में कहा था कि हम दूसरों की मूर्खता को कुछ अंशों में सहन कर सकते हैं। लेकिन मेरा विचार है कि हमें ऐसी मूर्खता को नहीं सहन करना चाहिए जिससे हमारे देश का अहित हो रहा हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ठोस कदम उठाये जाने चाहिएं।

मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारों की सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त वहां केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस भी भेजी जानी चाहिए। जो पाकिस्तानी राष्ट्रजन हमारे राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें बन्दी किया जाना चाहिए और सीमान्तों की सुरक्षा के लिए एक सुसंगठित योजना बनाई जानी चाहिए।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता---मध्य) : श्रीमान्, हम सब लोगों को इस सभा में ऐसा वतावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए जो इस सभा के गौरव के अनुरूप हो। पूर्वी सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेनाओं ने जो कुछ किया है उससे बड़ी नाजुक तथा कठिन समस्यायें पैदा हो गयी हैं। पर जब वहां की भारतीय जनता को कष्ट हो रहा है तो, स्थिति चाहे कितनी भी नाजुक क्यों न हो, सरकार समस्या के प्रति अवज्ञा का दृष्टिकोण नहीं अपना सकती।

चूंकि हमारा एक विशिष्ट आदर्श और स्तर है अतः हम वैसा नहीं कर सकते जैसा पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा उत्तेजित किये जाने के बाद भी हमें सहिष्णुता से काम लेना है पर

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

प्रत्येक बात की एक सीमा होती है । आज हमें यह बात बता देनी चाहिए कि हमारे धैर्य्य का अर्थ यह नहीं है कि लोग जो कुछ चाहें मनमानी करते रहें । यदि भारत यही रवैया पाकिस्तान के साथ अख्तियार करे तो पाकिस्तान इन बातों को सहन नहीं करेगा । एक बात और है कि पाकिस्तान इतनी गड़बड़ी कभी न करता यदि उसे अमरीका से सब प्रकार की सहायता व प्रोत्साहन न मिलता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें उसी विषय पर चर्चा करनी चाहिए जो स्थगन प्रस्ताव द्वारा उठाया गया है । अन्य देशों का ज़िक्र करना स्थगन प्रस्ताव के विषय से बाहर होगा । अतः माननीय सदस्यों को इन आक्रमणों को रोकने तथा जनता की सुरक्षा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहिए । अन्य बातों पर चर्चा करने के लिए अन्य अवसर हमारे सामने आयेंगे ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** आज सुबह जब इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप की अनुमति हम लोग मांग रहे थे तो कई माननीय सदस्यों ने बताया था कि कलकत्ते के पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि गोली वर्षा में पाकिस्तानी गोलाबारूद का इस्तेमाल किया गया । उस दिन एक सम्वाददाता सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि सीमा पर हुए आक्रमणों में अमरीकी शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हुआ है । अतः वहां की सुरक्षा स्थिति को समझने के लिए इन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य मेरी बात सुनें । नियम ५८ के अधीन एक प्रस्ताव पर एक से अधिक विषय की चर्चा नहीं की जा सकती । यह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमणों के सम्बन्ध में था । कैसे शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है और कौन लोग सहायता कर रहे हैं, यह इस प्रस्ताव का विषय नहीं है । अतः माननीय सदस्य इसी विषय पर चर्चा करें कि क्या कदम उठाये जायें; क्या उठाये गये कदम पर्याप्त हैं या नहीं और क्या अन्य कदम उठाये जायें । अन्य बातों के सम्बन्ध में चर्चा करना इस अवसर के लिए उपयुक्त नहीं होगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मैं आप से इस बात की अनुमति नहीं मांगता कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी गयी सहायता के विषय पर चर्चा की जाये । हम तो केवल सुरक्षा के मामले पर चर्चा कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार विदेशी राज्यों के साथ क्या कार्यवाही करें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** विदेशी राज्यों के सम्बन्ध में मैंने अनुमति नहीं दी है । नियम ५८ के अधीन केवल आक्रमणों पर चर्चा करने की अनुमति दी गयी है । हमें इस बात पर चर्चा नहीं करनी है कि इसमें कौन-कौन से लोगों का हाथ है । अन्य देशों का ज़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : प्रधान मंत्री बात का जिक्र कर चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तो केवल उत्तर दे रहे थे ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** वैसे, इस समय हम जिस समस्या पर विचार कर रहे हैं, उसमें कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट हैं । पाकिस्तान द्वारा सीमा उल्लंघन तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में हम पाकिस्तान से कई बार शिकायत कर चुके हैं, ऐसा हमारे प्रधान मंत्री हमें बता चुके हैं । पर हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है अतः सीमा प्रदेश में रहने वाले लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है । अतः सरकार को कुछ अन्य उपाय करने चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध मित्रों के से हैं पर एक सीमा तक । पर हम देखते है कि हमारी मित्रता में कुछ गंदगी पैदा हो रही है और इस गन्दगी के पैदा होने का एक कारण है—कुछ विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप ।

हम देखते हैं कि हमारे देश के सीमा क्षेत्र में असुरक्षा है । इस मामले को राष्ट्र संघ आदि में ले जाने की बात व्यर्थ की है । हमारे प्रधान मंत्री क्या अमरीका सरकार से इस सम्बन्ध में शिकायत नहीं कर सकते ?

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : यह मामला बहुत नाजुक है । दुख की बात तो यह है कि पाकिस्तान किसी भी समझौते पर स्थिर रहना अपना कर्त्तव्य नहीं समझता है । वे बार-बार समझौते का उल्लंघन करते हैं । हाल के महीनों में आठ बार इस विषय पर समझौता हो चुका है लेकिन प्रत्येक बार पाकिस्तान इस का उल्लंघन करता है । इस समय की घटना पद्मा नदी पर स्थित चार द्वीप के कारण हुई है । देश के इस भाग में पूर्व व पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा पद्मा के बीच की धार पर हैं । जिस के सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है । पद्मा नदी बड़ी वेगवती नदी है । अतः मल्लाहों या नाविकों का सीमा का अतिक्रमण कर जाना कोई अनहोनी घटना नहीं है । ऐसे मामलों पर विनम्रता से विचार करना चाहिये । लेकिन इस के विपरीत पाकिस्तानी अभी हाल में २१ नाविकों को भारतीय सीमा के अन्दर से पकड़ ले गये । ऐसी घटनाओं का परिणाम यह होगा कि सीमान्त में रहने वाले व्यक्ति अपनी जीविका के निर्वाह के लिये भी कोई कार्य नहीं कर सकेंगे । इस क्षेत्र में ऐसे भी कई मकान हैं जिन का एक अंश पाकिस्तान में है और दूसरा भारत में है इसी प्रकार यह भी संभव है कि परिवार का एक व्यक्ति भारत और दूसरा पाकिस्तान का नागरिक हो अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सीमा उल्लंघन पर सख्ती नहीं करनी चाहिये ।

भारत सरकार के लिये यह बड़े दुख और लज्जा का विषय है कि तुकेर ग्राम पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया है प्रधान मंत्री भी उस की मुक्ति के लिये सैनिक टुकड़ी भेजने को सहमत हो गये हैं । तथापि ये सब बातें भारतीय क्षेत्र को हथियाने के लिये की जा रही हैं । हमें इन से दबना नहीं चाहिये ।

जहां तक मालदा और मुर्शिदाबाद की सीमा का सम्बन्ध है, रेडक्लिफ पंचाट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच की सीमा गंगा नदी नहीं अपितु इन दोनों जिलों के बीच की भौगोलिक सीमा रहेगी । अतः मुर्शिदाबाद और राजशाही जिलों के बीच भी सीमा सम्बन्धी विवाद का प्रश्न नहीं पैदा होता है क्योंकि इन ज़िलों का विभाजन नहीं हुआ है और वे आज भी ठीक उसी रूप में हैं जैसे कि विभाजन के पूर्व थे ।

यह संवाद प्राप्त हुआ है कि चार-राजनगर को खाली करवाया जा रहा है । पाकिस्तानियों की गोलाबारी के फलस्वरूप ऐसा कई बार हो चुका है । इस से वहां के निवासियों के जीविका निर्वाह में बाधा पड़ती है और उन्हें बार-बार अपने घर व सम्पत्ति छोड़ कर जाना होता है । अतः सरकार को चाहिये कि वे उन्हें उचित आश्रय और सहायता प्रदान करें जिस से कि उन के कष्ट दूर हो सकें ।

सीमांत क्षेत्रों के निवासियों में सुरक्षा की भावना बनाये रखने तथा संकट काल में सहायता के लिये वहां सहायक सेना के नमूने पर एक सेना तैयार की जाय तथा उन्हें बन्दूक चलाना तथा युद्ध कौशल इत्यादि सिखाया जाय । सीमान्त के निकट फौज़ रखी जाय जिस से वह आवश्यकता होते ही तत्काल उपलब्ध हो सके । निस्सन्देह भारत पाकिस्तान की गोलाबारी के जवाब में स्वयं वैसी हरकतें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं गुह]

नहीं कर सकता है । भारत को अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनी है तथापि भारत सरकार का अपने नागरिकों के प्रति भी एक कर्त्तव्य है जिस की वह अवहेलना नहीं कर सकती है । अतः सरकार को चाहिये कि वह सीमांत के निवासियों की जान और माल की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैं ने इन छुटपुट वारदातों पर कभी भी गम्भीरता से विचार करना आवश्यक नहीं समझा था लेकिन जब पाकिस्तान की रायफलें अमरीकी गोलियां चलाने लगीं तो इस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक हो गया है । वस्तुतः मेरे हृदय में पाकिस्तान की जनता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है बल्कि मेरा तो यह विचार है कि वहां की मेहनतकश जनता अवसर मिलने पर भारत व पाकिस्तान की एकता का प्रयत्न करेगी ।

तथापि भारत सरकार को मैं दो सुझाव देना चाहता हूं पहिला यह कि प्रतिरक्षा मंत्री को सीमांत क्षेत्रों का दौरा करना चाहिये जिस से वहां की जनता में पुनः उत्साह पैदा हो दूसरे यह कि प्रधान मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से इस सम्बन्ध में वार्ता करने का प्रयत्न करना चाहिये । जिस से कुछ स्थायी परिणाम निकल सकें । मैं सभा के सदस्यों को भी सुझाव दूंगा कि वे इन क्षेत्रों का स्वयं दौरा करें और वहां की स्थिति स्वयं अपनी आंखों से देखें वस्तुतः यह केवल मुर्शिदाबाद जिले का मामला नहीं है अपितु सम्पूर्ण भारत का प्रश्न है । अतः हमें इस भयावह स्थिति पर गम्भीरत से विचार करना चाहिये ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष की हैसियत से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि समस्त जाट सरकार की सैनिक रूप से सहायता करने को तैयार हैं । अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आर्य पेशवा होने के नाते हम आप को यकीन दिलाते हैं कि सैनिक रूप से आप की सहायता करेंगे । मैं राजनियक स्तर पर भी आप की सहायता कर सकता हूं । हम भारत और पाकिस्तान को पुनः एक करेंगे । इस सम्बन्ध में हम ५ अप्रैल को कलकत्ता में एक सम्मेलन कर रहे हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अध्यक्ष महोदय, आप ने इस प्रस्ताव को एक निर्दिष्ट वाद-विषय पर गृहीत किया था परन्तु उस की चर्चा अधिक व्यापक आधार पर की गई है । सीमान्त प्रश्नों के सम्बन्ध में भी आसाम सीमान्त सम्बन्धी पिछले अनेक प्रश्नों का निर्देश किया गया तथा सीमान्त सम्बन्धी कुछ अन्य समस्याओं का उल्लेख भी किया गया ।

यह सच है कि प्रत्येक प्रश्न की एक पृष्ठभूमि होती है । भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा-विवाद की पृष्ठभूमि में यह तथ्य है कि पाकिस्तान का निर्माण भारत का विभाजन कर के किया गया था जिस के फलस्वरूप कुछ समस्यायें उत्पन्न हुईं जो अभी तक चली आ रही हैं और जिन के कारण सीमान्त प्रदेशों में अभी भी न केवल असुरक्षा वरन् मनोमालिन्य और कटुता की भावना भी व्याप्त है ।

श्रीमान्, आप जानते हैं और यह सदन भी जानता है कि हम ने भारत की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इन समस्याओं को हल करने और ऐसा कोई काम न करने का भरसक प्रयत्न किया है जिस से कटुता उत्पन्न होने की संभावना हो । मैं सदन में अनेक बार यह बता चुका हूं परन्तु फिर भी यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की छोटी बड़ी समस्यायें प्रति दिन और प्रतिवर्ष उत्पन्न होती ही रहती हैं । बड़ी समस्याएं तो एक विशिष्ट श्रेणी में आती हैं उन का हल तो दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों

---

†मूल अंग्रेजी में

की बैठक के समय नहीं किया जा सकता । परन्तु मेरा विचार था कि छोटी-छोटी समस्याओं को तो हल किया ही जा सकेगा । लेकिन खेद है कि सीमान्त में वैसी शांति नहीं स्थापित हो सकी है जैसीकि मैं आशा करता था ।

इस स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को जो चिन्ता हो सकती है उस को मैं भली प्रकार समझता हूं । इस प्रश्न पर दलगत दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपने सीमांत और नागरिकों की सुरक्षा हम सभी चाहते हैं ।

जहां तक इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा, बल्कि मुर्शिदाबाद के जिलाधीश द्वारा, जिस के क्षेत्राधिकार में वह भाग आता है और जो इस की जांच कर रहे हैं, प्रस्तुत तथ्यों का एक विवरण पढ़ कर सुना सकता हूं । यदि सदन चाहे तो मैं ऐसा कर सकता हूं । सुबह भी मैं ने संक्षेप में इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला था ।

दो मामले और भी हैं जिन का मैं निर्देश करना चाहूंगा यद्यपि वे किसी हद तक इस प्रस्ताव के विषयक्षेत्र के बाहर है, जो सदन के समक्ष है, क्योंकि उन के सम्बन्ध में भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश किया गया है । सदन के बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो सीमान्त की इन घटनाओं का सम्बन्ध अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए सैनिक समझौते के साथ जोड़ते हैं । पिछली बार जब मैं इस मामले पर बोला था तो मैं ने कहा था कि हम इस के सम्बन्ध में अग्रेतर जांच करेंगे । हम ने जांच कराई जो वास्तव में अभी भी जारी हैं । जांच से मेरा तात्पर्य स्पष्टीकरणों से है । मैं कल सुबह सदन के समक्ष एक विवरणपत्र प्रस्तुत करने की आशा करता हूं जिस में इस विषय पर दिये गये आश्वासनों का मूल पाठ तथा अन्य सम्बन्धित बातें दी हुई होंगी । संभवतः उस के बाद भी हमें कुछ जानकारी उपस्थित करनी पड़ेगी क्योंकि इस के सम्बन्ध में अभी लिखापढ़ी जारी है । इसलिये मैं उस के सम्बन्ध में इस से अधिक कुछ नहीं कहूंगा कि मैं सदन के समक्ष वह विवरणपत्र रखूंगा जिस में इन समझौतों आदि का मूल पाठ होगा जिस से माननीय सदस्यों को सही स्थिति की जानकारी हो सके ी ।

अभी मैं इस के सम्बन्ध में यही कह सकता हूं कि अमेरिकी सरकार से अग्रेतर पूछताछ करने पर हमें स्पष्ट आश्वासन दिये गये हैं कि सहायता समझौते में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने की भावना कदापि नहीं है । ये आश्वासन अत्यधिक स्पष्ट हैं । हां, यह ठीक है, जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा कि, ये आश्वासन सन्तोषप्रद हैं परन्तु पूर्णतः नहीं क्योंकि दूसरा पक्ष यानी पाकिस्तान तो आश्वासन देने के बजाय इस के विपरीत ही वक्तव्य जारी कर रहा है । परन्तु मैं इस के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहूंगा ।

दूसरे, मैं ने और बाद में कुछ अन्य सदस्यों ने पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अमरीकी सैनिक सामान के प्रयोग किये जाने का उल्लेख किया है । मैं समझता हूं कि सदन के समक्ष वास्तविक तथ्य रखे जाने चाहियें ताकि किसी प्रकार की गलतफहमियां न उत्पन्न हो सकें । 'स्टेट्समैन' अखबार में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है । परन्तु जब पहले मैं ने इस के सम्बन्ध में कहा था तो मेरा तात्पर्य उन सैनिक वस्तुओं से था जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य में युद्धविराम रेखा पर हमें मिली थीं और जो निश्चय ही अमेरिका में निर्मित की गई थीं । वास्तव में, वे अन्यत्र कहीं से आ भी नहीं सकती थीं । लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वे सैनिक सहायता के अंगस्वरूप प्राप्त हुई थीं अथवा आम बाजार से खरीदी गई थीं । पूर्व की सीमांत घटनाओं से अमेरिकी शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

है । परन्तु जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के परे तोड़-फोड़ की कार्यवाही के मामलों में अमेरिका में बनाये गये कुछ सैनिक चीज़ें पाई गई हैं जिन का ब्योरा निम्न प्रकार है :

बरामद रेडियोसोन्डे ट्रांसमीटर :

६ अक्टूबर, १९५८ को एक यंत्र, जिस पर "यू० एस० आर्मी सिगनल कोर, रेडियो सोन्डे मोडुलेटर, नम्बर ....., जानसन सर्विस कम्पनी....." आदि शब्द अंकित थे, प्राप्त हुआ था ।

९ अक्टूबर को एक अन्य यंत्र, जिस पर "यू० एस० आर्मी सिगनल कोर, रेडियोसोन्डे ट्रांसमीटर एण्ड रेडियो मोडुलेटर" शब्द अंकित थे, मिला था । मैं यह और कह देना चाहता हूं कि मुझे इन चीजों की विस्तृत जानकारी नहीं है और मैं नहीं जानता कि ये क्या हैं ।

फिर २१ दिसम्बर, १९५८ को पूंच पुलिस स्टेशन के बनवट गांव के पंचायतघर के अहाते में से अमरीकी फ्यूज़ सहित प्लास्टिक के दो एक्सप्लोसिव चार्जेज़ मिले थे ।

और फिर १६ फरवरी, १९५९ को राजौरी से ९॥ दक्षिण-पश्चिम और युद्धविराम रेखा से लगभग ५ मील हमारी ओर एक स्थान से एक यू० एस० ए० निर्मित वायरलैस सेट मिला था । यह ज़रूरी नहीं कि इस अमरीकी सामान का प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम से सम्बन्ध हो क्योंकि उसकी खरीद पाकिस्तानियों द्वारा सहज ही की जा सकती थी । यदि इस प्रकार की वस्तुयें बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई होती तब तो दूसरी बात होती । एक बार पहले पाकिस्तानियों द्वारा काश्मीर में तोड़फोड़ के कामों में प्रयोग किये गये प्लास्टिक के बम्बों के सम्बन्ध में अमरीकी राजदूत से लिखापढ़ी की गई थी । राजदूत ने जोरदार शब्दों में इस बात का खंडन किया था कि वे अमरीका में बने हुए हैं और यह राय व्यक्त की थी कि उन्हें पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन से खरीदा होगा । यह बात ७ जून, १९५८ की है ।

एक बात और है । एक माननीय सदस्य—संभवतः श्री बरुआ या श्री चौधरी—ने यह कहा कि उस क्षेत्र में हमारे एरिया कमाण्डर ब्रिटेन के राष्ट्रजन हैं । मुझे अफ़सोस है कि उन्होंने इसका उल्लेख किया क्योंकि वह एक विश्वस्त और बहादुर अधिकारी हैं । वह अंग्रेज अवश्य हैं पर ब्रिटेन के राष्ट्रजन नहीं । वह बहुत समय पूर्व भारतीय राष्ट्रजन बन गये थे और उस स्थिति में बहुत समय से हमारी सेना में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली और विभिन्न स्थानों में काम किया है । वास्तव में, हाल की घटनाओं का ख्याल न करके सामान्यतः ही उनका तबादला दूसरे क्षेत्र में किया जा रहा है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मेरे विचार से वह आंग्ल भारतीय हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता नहीं अपनाई है । यदि सरकार वैसा कहती है तो कोई प्रमाण दिया जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया है कि वह भारतीय राष्ट्रजन हैं । यदि मेरी जानकारी गलत है तो मैं भूल सुधार करने को तैयार हूं । परन्तु सामान्यतः प्रत्येक आंग्ल-भारतीय भारतीय राष्ट्रजन समझा जाता है जब तक कि वह इसके प्रतिकूल घोषणा न करे। उनका घर भारत में ही है; और कहीं उनका घर नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त सुरक्षा की अन्तिम जिम्मेदारी सेना की होती है । परन्तु यह इस पर निर्भर है कि किसी सीमान्त की स्थिति कैसी है । यदि सीमान्त की स्थिति प्रायः

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्ध जैसी होती है तो उसके सम्बन्ध में सैनिक दृष्टि से कार्यवाही की जाती है। अन्यथा उसके सम्बन्ध में पुलिस की दृष्टि से कार्यवाही की जाती है यद्यपि पीछे सेना की सहायता भी रहती है जिसको आवश्यकता होने पर असैनिक अधिकारियों द्वारा बुलाया जा सकता है। सदन में अनेक अवसरों पर भारत और पूर्वी पाकिस्तान के सीमान्त विवादों का उल्लेख किया गया है। सदन को स्मरण होगा कि इन में से अधिकांश घटनायें आसाम के सीमान्त पर घटित हुई हैं। पश्चिमी बंगाल-पाकिस्तान सीमान्त पर आम तौर से शांति रही है, पूर्णतः तो नहीं। वहां मुख्यतः पशुओं की चोरी और यदा कदा चार-भूमि सम्बन्धी समस्याएं ही उत्पन्न हुई हैं। कुछ समय से इसमें परिवर्तन आया है और पश्चिमी बंगाल की ओर अधिक उपद्रव हुए हैं। आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त पर इस प्रकार के उपद्रवों की पुनरावृत्ति के कारण उस क्षेत्र में सेना का प्रबन्ध करने की निश्चित व्यवस्था की गई थी। पश्चिमी बंगाल-पाकिस्तान सीमान्त पर ऐसा नहीं था यद्यपि, जैसा कि मैंने कहा, आद्योपान्त जिम्मेदारी सेना की ही थी और उसे आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकता था। परन्तु वास्तव में सामान्यतः सशस्त्र पुलिस ही वहां की देखरेख करती थी। स्थिति इस प्रकार रही है। परन्तु इन घटनाओं को देखते हुए हमें निस्संदेह इस मामले पर पुनर्विचार करना होगा और हम निकट भविष्य में पश्चिमी बंगाल सरकार से इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिये किस प्रकार से अधिक प्रभावपूर्ण कदम उठाये जा सकते हैं।

कठिनाई यह रही है कि सामान्यतः मारपीट के छुटपुट मामलों में सेना को नहीं बुलाया जाता चाहे वे कितने भी बुरे हों। परन्तु अब चूंकि इस प्रकार की घटनाओं की अत्यधिक पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हमें पुनर्विचार करना होगा कि भविष्य में हम किस प्रकार से रक्षा की कार्यवाही करें ताकि वह अधिक प्रभावपूर्ण हो सके।

जहां तक इस घटना विशेष का सम्बन्ध जिसके बारे में यह प्रस्ताव पुरःस्थापित किया गया था तथ्य इस प्रकार है : ६ मार्च को लगभग ११ बजे दिन के राजनगर पुलिस स्टेशन, जे० एल० ६१, के अन्तर्गत चार राजनगर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र के निवासी रती कान्त मण्डल और उनके चार नौकरों (जो सब चैमण्डल थे) पर, जब वे पाकिस्तान के सीमान्त पर स्थित चार राजनगर नामक स्थान में अपने खेत में अलसी की फसल काट रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के दियारखिदिरपुर स्थित पाक सीमान्त चौकी में नियुक्त आदमियों ने हमला किया और २०० गज़ की दूरी से अपनी राइफलों से दो बार गोली चलाई। कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। तीन पाकिस्तानी राष्ट्र जन, जिनके पीछे ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के ४ सशस्त्र सैनिक भी थे, वहां आये और उस भूमि को पाकिस्तान की सीमा में बताकर उस पर अपना दावा करने लगे। पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने चार-राजनगर के माखन मण्डल नामक व्यक्ति को, जो उधर से गुजर रहा था, पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र से अलसी की फसल काटने के अभियोग में पकड़ लिया और उसे दियारखिदिरपुर स्थित पाकिस्तानी सीमान्त चौकी में ले गये और रास्ते में उसे बुरी तरह मार लगाई। रति कान्त मण्डल को भी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने भारत के राज्य-क्षेत्र में घुस कर मार लगाई। उसका हाथ चोट के कारण सूज गया।

सीमान्त की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं और उस क्षेत्र के पुलिस दल की संख्या बढ़ा दी गई है।

६ मार्च को हमारे मुर्शिदाबाद स्थित जिलाधीश ने पाकिस्तान के राजशाही स्थित जिलाधीश से भारतीय राज्य-क्षेत्र में पाकिस्तानियों के घुस आने और गोली चलान के विरुद्ध शिकायत की। उन्होंने दोनों जिलाधीशों द्वारा मौके की संयुक्त जांच का सुझाव दिया और इस घटना के लिये जिम्मेदार पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस एवं पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तथा श्री माखन मण्डल के जिनका अपहरण किया गया था तुरन्त लौटाये जाने तथा भारतीय राष्ट्रजनों के पीटे जाने के बारे में प्रतिकर की मांग की ।

१० मार्च को पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस द्वारा भारी एवं निरन्तर गोलीवर्षा जारी रही और हमारी सीमान्त पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिये गोली चलाई । पाकिस्तानी गोलियों से दो भारतीय राष्ट्रजन घायल हुए ।

हमारे मुर्शिदाबाद स्थित जिलाधीश ने पाकिस्तान के राजशाही स्थित जिलाधीश से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किया तथा पाकिस्तानी जिलाधीश गोली वर्षा बन्द करने तथा दोनों जिलाधीशों की एक बैठक के लिए सहमत हो गये ।

हमारे मुर्शिदाबाद स्थित जिलाधीश राजशाही के जिलाधीश से भेंट करने के लिए ४ बजे सायंकाल निर्धारित स्थान पर गये । परन्तु राजशाही के जिलाधीश नियत स्थान पर नहीं पहुंचे और पाकिस्तानियों ने गोली चलाना जारी रखा और पाकिस्तानी जिलाधीश को मुर्शिदाबाद के जिलाधीश की सूचना देने के लिये भेजे गये संदेशवाहक पर भी गोली चलाई गई ।

११ मार्च को ६ बजे प्रातःकाल पाकिस्तानियों ने गोली चलाना बन्द कर दिया परन्तु दिन में फिर चाररराजनगर पर भारी गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया । स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की गई है ।

इस मामले के सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि हम न केवल इन घटनाओं वरन् उनकी समस्त पृष्ठभूमि के प्रति अत्यधिक चिन्तित हैं, लेकिन इस बारे में प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने की हमें पूरी आशा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानना चाहता हूं कि सदन की राय क्या है । प्रधान मंत्री स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त कदम उठा रहे हैं इसलिए मैं समझता हूं कि श्री चौधरी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे । क्या सभा माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देने के पक्ष में हैं ?

†**अनेक माननीय सदस्य** : हां, श्रीमान् ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

इस के पश्चात् लोक-सभा की बैठक शुक्रवार, १३ मार्च १९५९/२२ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुवार, १२ मार्च, १९५९

२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२९०१—२६
तारांकित प्रश्न संख्या		
११४६	खाद्यान्नों का राज्य व्यापार	२९०१—०५
११४७	दूसरे शिपयार्ड का स्थान	२९०५—०७
११४८	तपेदिक प्रशिक्षण केन्द्र	२९०७—०९
११४९	हसन–मंगलौर लाइन . .	२९०९–१०
११५०	बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं के लिये विदेशी विशेषज्ञ .	२९११–१२
११५१	वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	२९१२–१३
११५२	बिना टिकट यात्रा . .	२९१३–१४
११५३	उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों का संभरण	२९१४—१६
११५५	सिंचाई संबंधी परियोजनायें	२९१६–१७
११५६	कोरबा तथा बीरसिंहपुर विद्युत स्टेशन .	२९१७–१८
११५७	खाद्यान्न का चोरी-छिपे पाकिस्तान में ले जाया जाना	२९१८–१९
११५८	भाखड़ा नंगल के सम्बन्ध में पंजाब और राजस्थान के करार	२९१९—२१
११६०	गण्डक पर पुल	२९२१
११६१	अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन . .	२९२२–२३
११६२	हैदराबाद में गोष्ठी	२९२३—२५
११६४	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन	२९२५–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२९२६—७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
११५४	सिकन्दराबाद में बच्चों के लिये राज-सहायता प्राप्त छात्रावास .	२९२६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या		
११५९	खाद्यान्नों का उत्पादन	२९२७
११६३	औषधीय जड़ी-बूटियां	२९२७
११६५	हिमपात और तूफान के कारण क्षति	२९२७-२८
११६६	डिवीजन में भ्रष्टाचार	२९२८
११६७	हीराकुड बांध परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी	२९२८
११६८	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	२९२८-२९
११६९	दिल्ली में यातायात की कठिनाई	२९२९
११७०	मध्य प्रदेश में चावल का क्रय	२९२९
११७१	स्वतन्त्र विमान संचालक	२९३०
११७२	पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क)	२९३०
११७३	डीज़ल इंजनों का निर्माण	२९३०-३१
११७४	वैमानिक जांच संगठन	२९३१
११७५	मनीपुर राज्य परिवहन	२९३२
११७६	तम्बाकू	२९३२
११७७	मध्य प्रदेश में फालतू चावल	२९३२
११७८	कोटला मुबारकपुर	२९३३
११७९	दामोदर घाटी निगम में विदेशी	२९३३
११८०	उड़ीसा में नदियों की सिंचाई और विद्युत क्षमता	२९३३
११८१	गन्ना उत्पादकों द्वारा लाभ में हिस्सा बटाना	२९३४
११८२	पंजाब गन्ना (गुड़ बनाने के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९	२९३४
११८३	केरल में विषाक्त भोजन	२९३५
११८४	दिल्ली में क्लोरीन मिले पानी का संभरण	२९३५
११८५	खोसला समिति का प्रतिवेदन	२९३६
११८६	तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर	२९३६
११८७	बिजली बोर्ड	२९३७
११८८	'शिम्प' और 'प्रॉन'	२९३७-३८
११८९	महिला ग्राम विद्यापीठ, इलाहाबाद के प्रशिक्षार्थियों द्वारा हड़ताल	२९३८
११९०	मंगलौर पत्तन	२९३८-३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७७९	रेल दुर्घटनायें	२९३९
१७८०	पंजाब में बी० सी० जी० दल	२९३९-४०
१७८१	दिल्ली परिवहन उपक्रम	२९४०
१७८२	आलू की पैदावार	२९४०
१७८३	बम्बई राज्य में कृषि का विकास	२९४०
१७८४	जगाधरी रेलवे वर्कशाप	२९४०-४१
१७८५	जम्मू व काश्मीर में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	२९४१
१७८६	जिला गुरदासपुर में तार व टेलीफोन सुविधायें	२९४१-४२
१७८७	जिला गुरदासपुर में लैटर—बक्स	२९४२
१७८८	अजमेर रेलवे वर्कशाप	२९४२-४३
१७८९	स्पेशल गाड़ियां	२९४३
१७९०	रेल कर्मचारी	२९४३
१७९१	रेलवे संरक्षण बल	२९४३-४४
१७९२	उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र	२९४४
१७९३	उड़ीसा में बी० सी० जी० आन्दोलन	२९४४
१७९४	उड़ीसा में विस्तार व विकास मुर्गीपालन केन्द्र	२९४५
१७९५	नई दिल्ली में होटल	२९४५
१७९६	आन्ध्र प्रदेश में किराये पर लिये गये गोदामों का किराया निश्चित करना	२९४६
१७९७	उत्तर प्रदेश में अनाज के गोदाम	२९४६
१७९८	इगतपुरी स्टेशन पर जल संभरण	२९४६-४७
१७९९	पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइन	२९४७
१८००	परिवार नियोजन	२९४७
१८०१	रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान	२९४८
१८०२	छोटी सिंचाई योजनायें	२९४८
१८०३	कोट्टूर—दवनगिरि—भद्रावती लाइन	२९४८
१८०४	अम्बाला में ग्रांड ट्रंक रोड पर पुल	२९४८-४९
१८०५	जनता रेलगाड़ियों में सोने का स्थान	२९४९
१८०६	उचित मूल्य वाली दुकानें	२९४९
१८०७	दिल्ली में बच्चों के लिये मनोरंजन यात्रा की रेलगाड़ी	२९४९-५०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित ऊत्तर---(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८०८	बेजवाड़ा-गुदूर रेलवे सेक्शन	२९५०
१८०९	दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	२९५०–५१
१८१०	पंजाब में गोशाला विकास की योजना	२९५१
१८११	उड़ीसा में भूमि उपयोग बोर्ड	२९५२
१८१२	अन्वेषक क्लब	२९५२
१८१३	कोटा में माल-डब्बा मरम्मत का नया कारखाना	२९५२–५३
१८१४	बोलपुर टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत	२९५३
१८१५	माल डिब्बे	२९५३
१८१६	रेलगाड़ियों में चोरियां	२९५४
१८१७	डमडम हवाई अड्डा	२९५४
१८१८	विदेशी यातायात कार्य का विकेन्द्रीकरण	२९५४
१८१९	त्रिपुरा सड़क	२९५४–५५
१८२०	त्रिपुरा में चावल का मूल्य	२९५५
१८२१	हिमाचल प्रदेश में फलों की खेती	२९५६
१८२२	सहकार विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	२९५६–५७
१८२३	पूर्वोत्तर रेलवे पर डिग्रियां	२९५७
१८२४	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अधिकारियों को आवास सुविधा	२९५७–५८
१८२५	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पदाधिकारियों को भत्ते	२९५८
१८२६	रेलवे संरक्षण बल के अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की भर्ती	२९५९
१८२७	रेल भाड़े	२९५९–६०
१८२८	त्रिपुरा में जल संभरण	२९६०
१८२९	समय सारणी	२९६०
१८३०	रेलवे भाण्डारों में चोरियां	२९६१
१८३१	बम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राज्यपथ पर पुल	२९६१
१८३२	चिकित्सा विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी	२९६१
१८३३	दामोदर घाटी निगम नहर पर बैलगाड़ियां ले जाने वाली नावें	२९६१–६२
१८३४	रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता	२९६२
१८३५	देशी चिकित्सा प्रणाली	२९६२–६३
१८३६	सीसे की छड़ों की चोरी	२९६३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८३७	मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन . . .	२९६४
१८३८	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये वर्दी और थैले	२९६४
१८३९	मत्स्य पालन सहकारी समितियां . .	२९६४
१८४०	डाक तथा तार कर्मचारी . . .	२९६५
१८४१	उड़ीसा में नगर जल सम्भरण की योजनाएं .	२९६५
१८४२	बच्चों द्वारा नये पैसों का निगला जाना . . .	२९६५—६६
१८४३	रेलवे स्टेशन पर सामान रखने के लिये सुविधायें .	२९६६
१८४४	पंजाब में सिंचाई कार्य . .	२९६६
१८४५	पुरुलिया जंक्शन पर पीने का पानी	२९६६—६७
१८४६	खाद संसाधनों का विकास	२९६७
१८४७	रेलवे के पुल . . .	२९६७
१८४८	उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनायें .	२९६७—६८
१८४९	केन्द्रीय, डेरी (दिल्ली) .	२९६८
१८५०	केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड	२९६८
१८५१	भारतीय बच्चों के लिये यूनिसेफ० सहायता .	२९६८—६९
१८५२	रेलवे में चोरियां .	२९६९—७१
१८५३	पंजाब में औद्योगिक विकास	२९७१
१८५४	पंजाब में छोटी सिंचाई योजनायें . . .	२९७१—७२
१८५५	मुख्य पत्तनों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग .	२९७२
१८५६	मकान का किराया . . .	२९७२
१८५७	लाजपत नगर में क्वार्टर . . .	२९७२—७३
१८५८	स्नोडन राज्य अस्पताल, शिमला . . .	२९७३
१८५९	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	२९७३
१८६०	मद्रास राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाना . .	२९७४
१८६१	दिल्ली में वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रों का सर्वेक्षण . .	२९७४
१८६२	मद्रास राज्य में चिदाम्बरम स्थान पर गन्दी नालियों की व्यवस्था	२९७४
१८६३	हिन्दी केन्द्र .	२९७५
१८६४	हिन्दी तारबाबू . . .	२९७५
१८६५	परिवार नियोजन	२९७५

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	२९७६—८०,
अध्यक्ष महोदय ने मुर्शिदाबाद-राजशाही सीमा में घुस आये पाकिस्तानी सैनिकों से लोगों की जान और माल की रक्षा करने में सरकार की कथित असफलता के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी ।	३०३२—४२
सभा की अनुमति मिलने पर अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से यह निदेश दिया कि इस प्रस्ताव को ५ बजे लिया जाये ।	
५ बजे श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया "कि अब सभा का कार्य स्थगित किया जाये" । इस प्रस्ताव पर ६.२५ बजे तक चर्चा जारी रही । तत्पश्चात् सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२९८०—८१
निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखे गये :—	
(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारों (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति पटल पर रखी गई :—	
(एक) वर्ष १९५७–५८ के लिये ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन ।	
(दो) वर्ष १९५७–५८ के लिए वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन ।	
(२) अत्यावश्यक पाण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक- प्रति :—	
(एक) दिनांक २८ फरवरी, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २४८ जिसमें मद्रास, धान (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ दिया हुआ है ।	
(दो) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २४९ जिसम मद्रास, धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ दिया हुआ है ।	
(तीन) दिनांक ४ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८५ ।	
(चार) उत्तर प्रदेश धान (लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८८ ।	
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा	२९८१—३०२२
सामान्य आय व्ययक, १९५९-६० पर सामान्य चर्चा जारी रही ।	
वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) ने वाद विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।	

विषय पृष्ठ

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

सामान्य आयव्ययक १९५९-६० की लेखानुदान की सब मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

विधेयक—पुरःस्थापित ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ।

विधेयक—पारित ३०२८

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . .

वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने प्रस्ताव किया कि अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि —

अमरीका और टर्की, ईरान तथा पाकिस्तान के बीच हुये सैनिक सहायता संबंधी करार के बारे में प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) द्वारा वक्तव्य, अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा और उसका पारित किया जाना और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।